राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का नवां दिवस [संख्या 7

मंगलवार,

दिनांक 23 मार्च, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.02 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खाद्य, राजस्थान कैनाल परियोजना, अकाल सहायता, शिक्षा, समाज कल्याण, यातायात, पंचायत, सिचाई, विद्युत् विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

चरिटी फण्ड की राशि

6. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि चीनी वितरण व्यवस्था में राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में चैरिटी फण्ड स्थापित किया है ?

(2) यदि हां, तो उक्त फण्ड में सन् 1967-68, 1968-69, 1969-70 एवं 1970-71 के वित्तीय वर्षों में प्रत्येक जिले में कितनी कितनी राशि एकत्रित हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त फन्ड में राशि एकत्रित करने का एवं उसको किसी सार्वजनिक कार्य में लगाने की स्वीकृति देने का क्या तरीका है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस फण्ड के व्यय की स्वीकृति हेतु कोई अराजकीय समिति प्रत्येक जिले में बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालोर जिलों में वित्तीय वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70 एवं 1970-71 में इस चैरिटी फण्ड में से किस किस काम में कितनी राशि व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) चैरिटी फण्ड किसी नियम अथवा आदेश के आधार पर स्थापित है ? कृपया नियमों एवं आदेशों की प्रतियों को सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी हां।

(2) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) नियन्त्रित खाद्य वस्तुओं की निर्धारित कीमत को पूर्णांक (राउंड ऑफ) में परिवर्तित करते समय वास्तविक कीमत से जो अधिक रकम बनती है वह चैरिटी फण्ड में जमा कराई जाती है। अनुदान चाहने वाली संस्थाओं द्वारा जिलाधीश के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। अनुदान स्वीकार करने का अधिकार मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान को है जो खाद्य मंत्री महोदय की सहमति से अनुदान स्वीकार करते हैं।

(4) जी नहीं। पूर्व में उक्त फन्ड से अनुदान स्वीकृत करने हेतु जिला सलाहकार समितियां बनी हुई थीं, उस समय उक्त फण्ड से अनुदान स्वीकृत करने में काफी विलम्ब हो जाता था। उक्त फण्ड से जनहित में शीघ्र अनुदान स्वीकृत हो यह आवश्यक है, अतः अराजकीय समिति बनाने का कोई विचार नहीं है।

(5) बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालोर जिलों में वित्तीय वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70, एवं 1970-71 में इस राशि में से प्रत्येक जिले को जिस जिस कार्य हेतु जो राशि अनुदान के रूप में दी गई है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) चैरिटी फण्ड नियम क्रमांक 13(20)खा० वि०।60, दिनांक 10-8-61 द्वारा स्थापित किया गया है। नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द जैन : जवाब से संतोष हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामचन्द्र आर्य।

माइनर निकालने की योजना

62. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की 116 आर० डी० पर एक माइनर निकालने की योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो यह योजना कब तैयार की गई और इसका कार्य कब शुरू किया गया? कोई योजना तैयार नहीं की गई है? तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि 116 आर० डी० से काश्तकार 5 मील लम्बा खाला खोदकर अपनी जमीनों में पानी ले जा रहे हैं? यदि हां, तो काश्तकारों पर इस खाले का प्रति वर्ष कितना खर्च पड़ता है?

(3) क्या यह सही है कि 116 आर० डी० पर बनी योजना के मुताबिक माइनर तैयार करवाना राज्य सरकार का काम है? यदि हां, तो इस काम में इतनी ढिलाई होने का क्या कारण है?

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री मनफूलसिंह): (1) राजस्थान नहर की 116 आर० डी० पर एक माइनर निकालने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा

Page No. 3

(श्री मनफूल सिंह)

माइनर के अलाइनमेंट का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। सम्बंधित खाला जिसके द्वारा काश्तकार अपनी जमीनों में पानी ले जा रहे हैं, उसकी लम्बाई केवल ढाई मील है।

चक के खालों का खोदना और उनको सुचारू रूप में रखने का उत्तरदायित्व काश्तकारों का है। इसलिये राजस्थान नहर परियोजना विभाग द्वारा खर्चे का ब्यौरा रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रस्ताव विचाराधीन है। जब तक उस पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि यह जो माइनर है, इसको निकालने के पहले जो नहर की मोरी मन्जूर की गई, उसकी पहले से ही योजना विचाराधीन चल रही है?

श्री मनफूलसिंह : पहले से विचाराधीन नहीं है। गांव वालों ने कहा था कि मोरी दे दी जाये और हम खाले से पानी ले जायेंगे। वह ढाई मील लम्बा पड़ता है इसलिये हमने उचित समझा कि एक माइनर निकाला जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि वहां 15 से 20 फीट की खुदाई करनी पड़ती है, तो सिंचाई ही नहीं होती।

श्री मनफूलसिंह : इसलिये ही तो माइनर निकाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जिला टोंक में ओलावृष्टि से क्षति

63. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टोंक में वर्ष 1970 में ओलावृष्टि से किन किन तहसीलों में फसल को कितना कितना नुकसान हुआ है? कृपया तहसीलवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन प्रभावित क्षेत्रों में कहां कहां पर और किस किस समय पर अकाल राहत कार्य चालू किये गये? कृपया चालू किये गये कार्यों की सूची मय तारीखों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि अधिकतर कार्यों का भुगतान समय पर नहीं किया गया? यदि किया गया है, तो किन किन तारीखों पर चुकारा किया गया है? सूची मय कार्यों के तारीखों सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 26-4-1970 को भी अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों की हाजरियों को दर्ज किया गया था?

(5) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सबसे अधिक प्रभावित तहसील निवाई थी पर उसमें सबसे कम कार्य चालू किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि तहसील टोंक में अरनियां माल, टटीयाना पालठी व झालरा ग्रामों में सिंचाई विभाग द्वारा बिना स्वीकृति के कार्य चलाये गये थे?

Page No. 4

(श्री दिग्विजयसिंह)

यदि नहीं, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगा राम चौधरी): (1) सूची 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची 'ख' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) कार्यों पर चुकारे का भुगतान तथा सम्भव समय पर ही करने का प्रयत्न किया गया है। कार्यवार एवं पक्षावार चुकारा तारीखों का विवरण किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जो मजदूर कार्य पर उपस्थित थे, उनकी हाजरी दर्ज की गई थी।

(5) जी नहीं। तहसील निवाई के कुल 15 गांव 8 आने से अधिक प्रभावित थे, और प्रभावित जनसंख्या को देखते हुए वहां 2 सड़क कार्य एवं 3 सिंचाई कार्य चालू किये गये थे, जो पर्याप्त थे।

(6) जी नहीं। ग्राम पालड़ी में सिंचाई विभाग द्वारा जिलाधीश की स्वीकृति से तालाब पर राहत कार्य कराया गया। शेष अरनिया, उटियाना व झालरा गांवों में सिंचाई विभाग द्वारा अपने विभागीय स्तर पर मरम्मत का कार्य करवाया गया। इसलिये स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने भाग दो में कहा है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। मैंने प्रश्न में पूछा है कि किस किस समय पर अकाल राहत कार्य चालू किये गये, तो इस सूची में समय अंकित नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : पुराना रेकर्ड इस वक्त सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिये तारीखें नहीं दी जा सकतीं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष का ही मामला है, कौनसा पुराना रेकर्ड हो गया ? गत वर्ष ओलावृष्टि के कारण कार्य चालू किये गये थे, उनकी तारीखें मैंने पूछी हैं कि कौनसी तारीखों पर कार्य चालू किये गये।

श्री गंगाराम चौधरी : अकाल राहत कार्य समाप्त होने पर सारे विभाग रेकर्ड अपने अपने हैडक्वार्टर्स पर ले जाते हैं। इसलिये तारीखें देना मुश्किल है।

श्री दिग्विजयसिंह: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे कार्य जिलाधीश के यहां से स्वीकृत होते हैं, तो जिलाधीश के कार्यालय में ये तारीखें उपलब्ध हो सकती हैं।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री): जो सूची माननीय सदस्य ने चाही है, उस सूची में काम कब प्रारम्भ किया गया वह तारीखें लिखी हुई है, तो मैं समझता हूं उससे आपका पर्पज सर्व हो जायेगा।

श्री दिग्विजयसिंह: मेरे पास जो सूची है, उसमें तो नहीं है। आप कौनसी लिस्ट के लिये फर्मा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप दूसरी लिस्ट देख रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह: जो आपने दी है वही देख रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : दो सूचीयां दी हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरे पास तो एक ही है ।

श्री परसराम मदेरणा: आप दूसरी सूची देख लीजिये, वह हाउस की टेबल पर होगी । पहली सूची में तो यह है कि कितने गांव हैं जो ओलावृष्टि से अफेक्टेड हुए हैं, और दूसरी जो सूची है उसमें राहत कार्य चालू किये गये, उनकी सूची है ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में दस आने से अधिक नुकसान हुआ है, वहां पर क्या वसूली स्थगित की गई थी ?

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया : जवाब दो साहब ।

श्री परसराम मदेरणा : स्केयरसिटी डिक्लेयर होने के बाद जो गांव स्केयरसिटी डिक्लेयर्ड हो गये, उनकी वसूली स्थगित की गई है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर वसूली हो रही है। और जहां चौदह आने और सोलह आने का नुकसान हुआ है, करीब करीब सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है, वहां पर तो वसूली माफ हो जानी चाहिये । वहां पर भी वसूली की जा रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : माफी का कोई प्रावधान कानून में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और । क्या यह अकाल राहत के कार्य जो खोले जाते हैं, उनमें नियमानुसार एक कार्य से दूसरे कार्य में 4 या 5 मील की दूरी का फासला होना चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : परिस्थितियों के अनुसार कार्य खोले जाते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या यह क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस मामले में कई बार बताया जा चुका है ।

श्री दिग्विजयसिंह : 26-4-70 को कितने मजदूर उपस्थित थे ? 26-4-70 को था वोटिंग डे । उस दिन छुट्टी थी। उनसे हाजरियां लगवाई गई और वोट डलवाये गये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री दिग्विजयसिंह : मजदूरी सड़क का काम करने के लिए दी जाती है, वोट के लिए नहीं । इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करायें।

श्री मदनसिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । शिक्षा मन्त्रीजी ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए । उस रोज छुट्टी थी सड़क का काम नहीं हुआ है । वोट देने के लिए वह गय हैं ।

Page No. 6

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब है भ्रष्टाचार ।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मण्डल

64. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मण्डल की स्थापना कब हुई थी ?

2. अब तक किस किस कक्षा की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ?

3. क्या राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की कीमत पहले के मुकाबले में कम रखी गई या अधिक ?

4. राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल हानि में चल रहा है या लाभ में ?

5. यदि हानि में है तो कितनी हानि में ?

6. यदि लाभ में है तो आज तक कुल कितना लाभ हुआ है ?

7. क्या सभी पुस्तकों का जो पाठ में पढ़ाई जाती है राष्ट्रीयकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

8. जिन पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण अब तक बाकी है वह कब तक कर दिया जायेगा ।

9. उपरोक्त मंडल के सदस्य कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :
1. दि० 6 फरवरी, 1956 को हुई थी ।

2. राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्यक्षेत्र के अनुसार पहली से 8वीं तक सभी कक्षाओं का पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ।

3. राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निजी प्रकाशकों की किसी विषय एवं कक्षा की स्वीकृत पाठ्य पुस्तक के स्थान पर, प्रकाशित पाठ्य पुस्तक का मूल्य, आकार आदि के समानुपात के अनुसार कम ही पाया गया है ।

4. विगत वर्षों में राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल को प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर मामूली लाभ हुआ है ।

5. मंडल को कोई हानि नहीं हुई ।

6. सत्र 64-65 से सत्र 68-69 तक के वाणिज्यिक लेखों के आधार पर रु० 44,68,390.05 रु० का लाभ हुआ है। सत्र 56-57 से सत्र 63-64 तक मंडल का लेखा वाणिज्यिक पद्धति पर नहीं रखा जाता था अतः सत्र 63-64 के पश्चात् ही लाभ की स्थिति का उल्लेख किया गया है ।

7. कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक विषयों की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है ।

8. सभी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है ।

9. राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल के सदस्य निम्नलिखित है :—

1. निदेशक, कॉलेज शिक्षा (अध्यक्ष)

(श्री शिवचरण माथुर)

2. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

3. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर।

4. उप-सचिव, शिक्षा विभाग, राज० सचिवालय, जयपुर।

5. उप-सचिव, वित्त विभाग, राज० सचिवालय, जयपुर।

6. अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक विभाग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद्, देहली।

7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।

8. प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अजमेर।

9. मण्डल के सचिव।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि अधिक कीमत रखी गई है उससे अधिक लाभ हुआ है?

श्री शिवचरण माथुर : लाभ कीमतों से नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि 66-67 में और 68 69 में इसलिए हुआ कि जो गिफ्ट पेपर मिला था, उसकी कीमत इसमें शामिल हो गई थी। बाकी 6 लाख प्रति वर्ष लाभांश में से गरीब छात्रों को पाठ्यपुस्तकें मुफ्त देते हैं।

श्री हंसराज आर्य : क्या?

श्री शिवचरण माथुर : लाभ दो सालों में हुआ था। बोर्ड को गिफ्ट पेपर मिला था। इसके अलावा 6 लाख रु० साल की किताबें गरीब बच्चों को मुफत बांटते हैं।

श्री हंसराज आर्य : गरीब से मतलब?

एक माननीय सदस्य : गरीब से मतलब कांग्रेसी।

श्री भवरलाल (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि 6-6 महीने तक किताबें सप्लाई नहीं होती है?

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय..

श्री रामचन्द्र आर्य : देहातों में पुस्तकें नहीं पहुंचती है यह शिकायत है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना : मूल्य लागत से अधिक न लगाकर क्या भीतर भीतर ही रखेंगे?

श्री शिवचरण माथुर : यह तो नो प्राफिट, नो लास में रहता है। गिफ्ट पेपर आया है, उससे हमें लाभ हुआ है।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय..

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : गिफट में जो पेपर आया उसको यदि खरीदते तो कितने का होता?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 10 लाख रु० का लाभ हुआ है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आपने कहा है कि पहली कक्षा से लेकर

(श्री दौलतराम सारण)
आठवीं कक्षा तक की पुस्तकों का राष्ट्रीय-करण हुआ है। आठवीं की अंग्रेजी की किताब का कब हुआ है ?

श्री शिवचरण माथुर : इसी साल हुआ।

श्री दौलतराम सारण : इतने सालों तक अंग्रेजी की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करने के क्या कारण थे ?

श्री शिवचरण माथुर : कुछ लेखकों को दिया था। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वह इस वर्ष हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम चाणोद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये पानी की सुविधा

65 **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि चाणोद ग्राम (जिला पाली) पिछले कुछ वर्षों से अकाल पीड़ित रहा है ?

(2) इस वर्ष इस ग्राम में अच्छी वर्षा हुई परन्तु क्या यह सही है कि इस ग्राम के अनुसूचित जन-जाति (विशेषतया मीणा व भील जाति) तथा अनुसूचित जाति (विशेषतया मेघवाल) के परिवार इस अच्छी वर्षा का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि इनके पास बैल नहीं होने से ये खरीफ फसल बो भी नहीं सके और रबी फसल भी पूरी नहीं बो सके।

(3) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष चाणोद में पीने के पानी का भारी कष्ट रहता आया है और बाबा गांव के ट्यूब वेल से (स्थाई नल योजना द्वारा) पानी लाकर चाणोद की पानी समस्या का हल स्थायी-तौर से किया जा सकता है ? यदि हां, तो यह कार्य सरकार द्वारा कब तक किया जाएगा ?

राज्य मन्त्री समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध जलप्रदाय विभाग से है। यह उसको भेज दिया गया है। पूर्ण उत्तर उसी विभाग से दिया जा सकता है।

श्री फूलचन्द बाफना : जो अपूर्ण उत्तर हो वही दे दें। कुछ तो आप दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : पूर्ण जवाब ही दिलायेंगे। नेक्स्ट।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मन्त्री को यह चाहिये कि वह उनसे पूछे।

भीलवाड़ा-जहाजपुर वाया महुआ मार्ग

66. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र में महुआ बड़ा कस्बा है और व्यापारियों की बडी तादाद वहां पर है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जब भीलवाड़ा से जहाजपुर रूट कायम हुआ था उस समय वाया महुआ होकर बसें जाती थी ?

(3) क्या यह सही है कि अब भीलवाड़ा से जहाजपुर जाने वाली बसें महुआ को छोड़ देती है ? यदि हां, तो क्या उनके परमि टों

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
में भी महुआ जोड़ा जाएगा और नये परमिट देते समय भी इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि मानपुरा से ही महुआ होती हुई बसें आया जाया करें ?

(4) महुआ की जनता का यह कष्ट कब तक दूर हो सकेगा ? इसकी निश्चित तारीख बताने की कृपा कर ।

उप-मन्त्री, यातायात (श्री समरथलाल) :
(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां, परमिटों में वाया महुआ जाने आने का उल्लेख न होने से वहां नहीं जाती है । इस समय कोई प्रार्थना-पत्र किसी का पेण्डिंग नही है । जिसमें महुआ को जोडने की प्रार्थना की हो । प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी ।

(4) इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा सकेगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रार्थना-पत्र से आप का मतलब, किसका प्रार्थना-पत्र ? जब एक एम० एल० ए० इतने साल से, अध्यक्ष महोदय, मे चार साल से चिल्ला रहा हूं । माननीय मन्त्री महोदय कहते है कि प्रार्थना-पत्र आ जाये । कितनी बार मैंने निवेदन किया है । महुआ कितना बड़ा कस्बा है ?

श्री अध्यक्ष : क्या ठीक है कि 4 साल से माननीय सदस्य आग्रह कर रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बिल्कुल ठीक है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दरख्वास्त रिकार्ड पर है नहीं जिससे यह कहा जा सके ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हुक्म हो, तो, मैं निकलवा कर लाऊं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट से ?

श्री अध्यक्ष : यह उपयुक्त नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सदन के माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं, तो सरकार को अपना ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ध्यान आकर्षित हो चुका है, लेकिन आर० टी० ए०, एस० टी० ए० हैं वहां पर तो कोई न कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हो जिस पर नोटिफिकेशन निकले, रिवाइज हो, परमिट की कन्डीशन बदलें, वाया बदलें और उस पर आब्जेक्शन इन्वाइट करें । तो कोई न कोई प्रार्थना-पत्र तो पंचायत का या एम० एल० ए० का या जनता का आर० टी० ओ० के पास चला जाय ताकि वहा कार्यवाही जल्दी कर सकें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय का उत्तर एक हद तक पर्याप्त है, किन्तु सदन की परम्परा के अनुसार सदन में प्रश्न पूछा जाता है तो सिद्धान्ततः सरकार पर यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करने का भी सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है । ऐसा कह देना सरकार की ओर से कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जब तक कोई आवेदन-पत्र नहीं आयेगा तब तक सदन के अन्दर जो कोई भी कार्यवाही होगी उसके सम्बन्ध में अपने कान बिल्कुल बन्द करके बैठे रहेंगे। यह व्यवस्था मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। महुआ एक औद्योगिक गांव है, बड़ा गांव है, मैंने भी देखा है, उसको सड़क से जोड़ने में आपत्ति क्या है ? आवेदन-पत्र की आवश्यकता हो तो माननीय सदस्य आवेदन-पत्र आपको प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु आवेदन-पत्र आये तब महुआ गांव को जोड़ा जाय—यह उत्तर सरकार का अपर्याप्त और असंतोषजनक मानता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते ही हम आर० टी० ओ० को निवेदन कर देंगे कि जल्दी ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्य-वाही करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : मैं कई बार प्रार्थना-पत्र दे चुका हूं और यह प्रश्न भी तीन बार आया है चार साल के अर्से में, आप इसको प्रार्थना-पत्र मान लीजिये अगली बार जब चिट्ठी लेकर जाऊंगा, तो अब समझ गया हूं, रसीद लेकर आऊंगा। अब क्या करूं, आप इसको प्रार्थना-पत्र मान लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ज्यों ही पत्र आयेगा, आर० टी० ओ० को आगे कार्य-वाही करनी है उसके सम्बन्ध में कहेंगे ताकि आगे की कार्यवाही नियमानुसार जल्दी करके जो कुछ करना है, परमिट रिवाइज करनी है, वाया बदलना है वह बदलें ताकि सहूलियत उन लोगों को हो सके।

श्री दौलतराम सारण : भविष्य के लिए मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं कि वैसी कार्यवाही करेंगे। लेकिन आपत्तिजनक बात यह है कि कोई माननीय सदस्य कोई दरख्वास्त दें, लेटर लिखें, वह जनता की तरफ से निर्वाचित होते हैं, लेकिन उनके प्रार्थना-पत्र भी गायब हो जाते हैं, उपस्थित नहीं हैं—यह आपत्तिजनक है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रार्थना-पत्र दिया है, वहां की पंचायत ने लिखा है, जनता ने लिखा है और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि प्रार्थना-पत्र दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रार्थना-पत्र उपलब्ध हुआ होगा, जैसा आप कहते हैं तो मैं जानकारी करा लूंगा। अगर प्रार्थना-पत्र पहले से मौजूद है तो उस पर कार्य-वाही करा लेंगे और नये प्रार्थना-पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री दौलतराम सारण : आप कैसे कह रहे हैं कि उपलब्ध नहीं है प्रार्थना-पत्र, यह कैसे कह रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर कह रहा हूं। आप इन्सिस्ट करते हैं तो मैं जानकारी कर लूंगा, दरख्वास्त उपलब्ध होगी तो उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : इसको आप साधारण बात समझते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गैर साधारण समझता हूं, तभी तो दुबारा कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

विकास अधिकारियों की नियुक्ति का आधार

67. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समितियों का विकास अधिकारियों हेतु किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है ?

(2) क्या वर्गीकरण के आधार पर ही विकास अधिकारियों की नियुक्ति हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारियों का चयन अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? कब तक चयन कर दिया जायगा ?

(4) क्या यह सही है कि विकास अधिकारियों के चयन हेतु नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) ऐसे कितने विकास अधिकारी है जो विभागीय वरिष्ठता सूची में काफी जूनियर हैं जब कि उनसे वरिष्ठ अधिकारी कई है जिन्हें विकास अधिकारी का अवसर नहीं दिया गया है ? ऐसे दोनों तरह के अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि कम तजुर्बे वाले व एडहोक आधार पर विकास अधिकारियों को लगाने से पंचायत समितियों में प्रशासनिक स्तर में गिरावट आई ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) पंचायत समितियों का केवल विकास अधिकारियों की नियुक्ति हेतु ही वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(2) आमतौर पर, पंचायत समिति की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नियुक्तियां की जाती हैं।

(3) जी नहीं। 'नॉन केडर' विकास अधिकारियों का चयन हो गया है। कृषि अधिनस्थ सेवा के विकास अधिकारियों का चयन कृषि विभाग द्वारा उनकी विभागीय वरिष्ठता निर्धारित कर दिए जाने पर किया जा सकेगा।

(4) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कृषि विभाग की वरिष्ठता सूची अभी तक अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुई है।

(6) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह वरिष्ठता सूची जो है, यह कब तक तैयार कर दी जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : कृषि विभाग ने टेन्टेटिव लिस्ट प्रकाशित कर दी है, उस पर आब्जेक्शन इन्वाइट किये गये हैं, उसके आने के बाद में वरिष्ठता सूची का निर्धारण सम्पन्न होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कितना समय लगेगा उसमें ?

Page No. 12

श्री परसराम मदेरणा : विकास विभाग से उनको जल्दी सूची तैयार करने के लिए कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कब तक कर सकेगा-यह नहीं कह सकता।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि एनीमल हस्बेन्ड्री की वरिष्ठता सूची तैयार हो गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : एनीमल हस्बेन्ड्री की पहले से तैयार है। एनीमल हस्बेन्ड्री की वरिष्ठता सूची पहले से है उसका प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तक वरिष्ठता सूची तयार क्यों नहीं की ? आपके पास क्या बेसिस था, या आर्बीट्रेरी बेसिस पर जो डिसीजन लेना होता वह लेते थे ?

श्री परसराम मदेरणा : वरिष्ठता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। जहां तक ए० ई० ओ० का प्रश्न है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करता है। कोपरेटिव विभाग के अधिकारियों को लेने की बात हो तो उसको भी पेरेन्ट डिपार्टमेंट में रहती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि कोई बेसिस होना चाहिए, डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या आपाधापी की व्यवस्था थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फतहसिंह !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कुछ तो उत्तर मिलना चाहिए, अगर उत्तर मंत्री महोदय को नहीं देना है तो चुपचाप बैठे रहें।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय जब कभी कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, सीनियरिटी लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की थी, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वह नहीं बना सका। अब जो उन्होंने सूची बनाई है, उसमें कई ए० ई० ओ० ने आब्जेक्शन किये हैं। दूसरा मामला यह था कि रूल्स में प्रावधान है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्टेड ए० ई० ओ० होने चाहिये। डिपार्टमेंट में कुछ लोग सीनियर हैं, लेकिन उनका सलेक्शन नहीं हो सका। अब प्रश्न आना था। जब सीनियरिटी 'ए' लिस्ट ड्रा की तो उसके आधार पर की और उस पर एतराज किये, जो टेन्टेटिव लिस्ट बना कर छापा की है गजट में उसमें एतराज हुए हैं, वह एतराज यों ही डिस्पोज ऑफ नहीं किये जा सकते। जो रूल्स हैं, एक्ट हैं उसके आधार पर एतराज को विचार किये बिना उसको फाइनल नहीं कर सकते। क्योंकि सलेक्शन में, सीनियरिटी के कारण गलती हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री फतह सिंह !

भीमादेह जलप्रदाय योजना

68. **श्री फतहसिंह** (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ब्यावर नगर की पेयजल समस्या को हल करने के लिये ता० 22-8-70 को भीमादेह जल प्रदाय योजना का उद्घाटन किया था ?

Page No. 13

(श्री फतहसिंह)

(2) इस योजना पर अब तक कुल कितना धन खर्च हो चुका है ?

(3) इस योजना को पूरी करने के लिये सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है और यह योजना कब तक पूरी होकर ब्यावर नगर को पेय जल मिलने लगेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, भीमादेह सिंचाई योजना का शिलान्यास किया था।

(2) अब तक इस पर लगभग 2,46,112.59रु० खर्च किया जा चुका है।

(3) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा कराया जा सकेगा।

श्री फतहसिंह : ब्यावर नगर की अधिकत्तम कितनी जनसंख्या मानकर इस योजना का उद्घाटन किया गया था ?

श्री जसराज : यह जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है।

श्री फतहसिंह : श्रीमान्, सिंचाई विभाग ने उसका उद्घाटन किया है। मेरा प्रश्न दूसरा है, कोई योजना बनाई गई होगी ब्यावर नगर की, तो कितनी अधिकत्तम जनसंख्या मानी गई होगी और उस आधार पर यह योजना बनाई गई होगी। आपका यह उत्तर असंतोषजनक है।

श्री जसराज : सिंचाई विभाग ने एजेंसी के रूप में काम किया था और सारी योजना जन स्वास्थ्य के द्वारा बनाई गई थी। यह आंकड़े उनके पास हैं।

श्री मदनसिंह : किन आधारों पर योजना बनाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता!

श्री फतहसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षाकालीन अधिवेशन में इस प्रश्न का नोटिस माननीय मुख्य मंत्री को दिया था, उसको इस सचिवालय, विधान सभा सचिवालय ने जन स्वास्थ्य मंत्री को भेज दिया, उस प्रश्न को और उस मंत्री द्वारा सिंचाई मंत्री को भेजा गया। अब इस प्रश्न के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री है, वह इस तरह टालमटोल कर रहे हैं—यह ठीक नहीं है, फिर भी मैं आगे प्रश्न पूछता हूं, कितने क्षेत्रफल का कितना घनफीट पानी उस बांध के पूरा करने पर इकट्ठा होगा ? आप उधर क्या देख रहे है, आप वहां तो उस वक्त मौके पर थे, हर हफ्ते ब्यावर का दौरा करते हैं आप ?

श्री जसराज : इसकी जानकारी की जायेगी।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मुफ्त दौरा करते हैं, रोज वहां जाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसका कैचमेंट एरिया 18 किलो माइल प्रप्रोज्ट है, 97 एन० सी० एफ० टी० है, डेड स्टोरेज है 3 एन० सी० एफ० टी०। इस प्रकार 97.4 दोनों में एन० सी० एफ० टी० है।

श्री फतहसिंह : क्या यह काम आज तक भी चल रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री फतहसिंह : क्यों नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसलिए कि यह काम अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था और मंत्री महोदय ने बताया 2 लाख 46 हजार अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत खर्च हुआ हैं। इसके बाद पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट से फण्ड प्रोवाइड हो, जो 1 अप्रेल, 71 से होने वाले साल के अन्दर कुछ प्रावधान होगा उसके अनुसार काम शुरू किया जायगा......

श्री फतहसिंह: श्रीमान्, प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है। प्रश्न के भाग 3 को देखा जाय। इस जोजना को पूरी करन के लिये सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है और यह योजना कब तक पूरी होकर ब्यावर नगर को पेयजल मिलने लगेगा ? इसका उत्तर दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, नहीं इसलिये दिया कि यह डिपार्टमेन्ट तो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट के डिपोजिट वर्क की तरह कर रहा है। जब उनके यहां यह हो जायेगा तब सिंचाई विभाग करेगा। यह तालाब पब्लिक की समस्या को हल करने के लिये बनाया गया है ?

श्री फतहसिंह : इसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी योजना ही नहीं पूरी हुई तो उद्घाटन कसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : शिलान्यास हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बनी हुई है। दस लाख की योजना है। 2।। लाख रुपया अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हुआ था खर्च और 7।। लाख रुपया और इस पर अब लगेगा। इस सम्बन्ध में इन्फोर्मल सी० ई० आदि से मेरी यह चर्चा हुई थी और इसके लिये आने वाले बजट में प्रावधान रखेंगे और काम शुरू होगा।

श्री फतहसिंह : क्या यह सही है कि इस योजना के द्वारा ब्यावर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है और इस पर 65 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

श्री फतहसिंह : मुख्य मंत्री जी ने भाषण दिया था। मैं तो वहां उपस्थित नहीं था लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने यही बताया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेयजल के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से सारी जानकारी चाह रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि इसकी सही जानकारी मुझे नहीं है लेकिन इस तालाब से ही ब्यावर की पेयजल की समस्या हमेशा के लिये हल हो जाती हो यह नहीं है। किसी हद तक इसकी कमी को पूरा करने में यह तालाब सहयोग देगा इसलिये अन्डरग्राउन्ड वाटर एक्स्प्लोर करके, कुए खोद कर के वहां पर पानी दिया जाय इसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यह भीमादेह का तालाब और अन्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड कुए खोद कर ब्यावर की पेयजल की समस्या को हल करेंगे। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट जानकारी करके अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा कितने कुओं से पानी जावेगा उसके लिये योजना बना रहे हैं। दोनों योजना मिल कर ब्यावर की वाटर सप्लाई की समस्या को हल करेगी। इस पर दस लाख रुपये का प्रावधान है और अन्डरग्राउन्ड वाटर बो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
से कितना लगेगा उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री फतहसिंह : श्रीमान् दो सप्लीमेन्टरी मैं और पूछना चाहूंगा। क्या भीमादेह तालाब के बीच में बड़े बड़े गांव भी पड़ते हैं ? जवासिया, राजियावास आदि उनको भी क्या इस योजना के अन्तर्गत पानी उपलब्ध कराया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सम्बन्ध पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट से है और हमारा काम तालाब बनाना है।

श्री फतहसिंह : क्या इस योजना के उद्घाटन के समय...

श्री अध्यक्ष : शिलान्यास के समय।

श्री फतहसिंह : उद्घाटन और शिलान्यास को मैं एक ही मानता हूं श्रीमान् । उस वक्त क्या बैन्ड बाजे और सामियानों का प्रबन्ध किया गया था जिस पर दस हजार रुपया खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री फतहसिंह : क्यों श्रीमान् अलग से प्रश्न ? यह अलग नहीं है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि ठेकेदार और मजदूरों से चन्दा करके बैण्ड बाजे और सामियाने का प्रबन्ध किया गया था। और आप इसको दबाना चाहते है। कौन कौन मंत्री थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 69

श्री लादूराम सुलानिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री फतहसिंह : नारायणसिंहजी थे । इस तरह से इसको टाला जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री मदनसिंह : मुख्य मंत्री महोदय ने..

श्री अध्यक्ष : सदन के विरोधी दल के नेता महोदय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मैं यह जानकारी कर सकता हूं मंत्री महोदय से कि सरकार की ओर से इस काम को अप्रेल में ले लिया जावेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने निवेदन कर दिया कि इन्फार्मल डिस्कशन हुआ है और इसको पूरा करने के लिये अप्रेल के बजट में जो रकम रखी जावेगी ताकि इस काम को आगे कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा ।

गुढा गोकुलपुरा का बांध

70. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गुढा गोकुलपुरा का बांध का कार्य क्या अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किया गया था ?

(2) इस बांध का काम कब शुरू हुआ और अब तक इसके लिये कितनी

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

रकम सालवार मंजूर की गई और कितनी व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इसका काम शुरू होने के बाद में किन कारणों से बीच बीच में बन्द रहता रहा और काम कब कब बन्द रहा ?

(4) अब तक इस बांध पर कितनी रकम लग चुकी है और कितनी और लगने पर काम पूरा होगा ?

(5) इस बांध का काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) (1) जी हां।

(2) इस बांध का कार्य नवम्बर, 1966 में अकाल राहत के अन्तर्गत शुरू कराया गया। सूची संलग्न है।

(3) प्रारम्भ में यह कार्य माह नवम्बर, सन् 1966 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत शुरू किया गया तथा समय समय पर अकाल की समाप्ति पर बन्द कर दिया गया था तथा अप्रेल, 1970 से यह कार्य योजना कार्यों के अन्तर्गत शुरू कर दिया गया है तथा अब भी चालू है। अक्टूबर, 1967 से दिसम्बर, 1968 तथा सितम्बर, 1969 से मार्च, 1970 तक इसका कार्य बन्द रहा।

(4) अब तक इस पर कुल 1,50,237 रु० की राशि खर्च की जा चुकी है तथा लगभग 5.17 लाख रु० और लगेगा।

(5) वित्तीय प्रावधान मिलने पर यह कार्य जून, 1973 तक पूरा किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड 2 में मैंने सूची मांगी है कि कब कब काम शुरू हुए, और कब कब बन्द हुए, वह नहीं दी है। उन्होंने जो यह सूची दी है उसमें यह है कि सन् 1966-67 में अकाल राहत में 7,700), 67-68 में 33,365), 1968-69 में 3,06,665 के काम हुए और 1969-70 में 42,144 के काम हुए। स्वीकृत योजना सन् 70-71 की जो एक लाख की थी उसमें से 46,393 रुपये खर्च किये। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि काम आप चलाते हैं और फिर बन्द कर देते है। अध्यक्ष महोदय, और तो क्या मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय मुझे स्वयम् को दोषी इसके लिये बतलाते हैं। कहते हैं कि ऐसा एम० एल० ए० चुना जो काम नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : लोकतंत्र के खिलाफ सरकार का यह आचरण है और इसको इस रूप में लिया जाय।

श्री केसरीसिंह : यह कहकर लांछन लगाते हैं तो क्या यह सही है ? क्या मैं वह काम करने के लिये कौनसी बाधा उपस्थित करता हूं ? 66-67 में एक याचिका भी इस सदन में पेश की गयी थी कि अकाल राहत के काम शुरू हुए उनको पूरा क्यों नहीं करते तो उस समय सरकार की ओर से यह कहा गया कि जो काम हुए हैं

(श्री केसरी सिंह हाड़ा)

उनको पूरा किया जायगा। सूची नहीं दी वरना यही बात मैं अपनी कोन्स्टिट्यूएन्सी में लेकर जाता और उन लोगों के सामने रखता कि काम कब कब हुए और कब कब बन्द किये। एक उत्तर दिया कि काम अब भी चालू हैं। अध्यक्ष महोदय, यह झूठ की पराकाष्ठा है। मध्यावधि चुनाव के समय मैं स्वयं गुढ़ा गोकुलपुरा गया और मैंने यह देखा कि काम बिल्कुल बन्द है। एक आदमी आया उसने बताया कि काम उठा लिया गया है और बन्द कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : क्या काम बन्द कर दिया और उठा लिया गया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने कुछ शंकायें इसके सम्बन्ध में बतायीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 69-70 में जो कुछ भी पैसा लगा हर साल अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत लगा है। अकाल राहत के अन्तर्गत जितना लेबर मिल सका और काम हो सका उसको कराया गया। 70-71 के प्लान पर इसको ले लिया और 1 लाख का प्रावधान इसके लिये रखा उसमें से 46 हजार रुपया खर्च हुआ है और काम बन्द करने का तो सवाल ही नहीं है। टेन्डर जल्दी मंजूर नहीं हुए इसलिये देरी हुई। टेन्डर मंजूर होते ही काम शुरू हो गया यह तो संभव है।

हमारी तरफ से काम बन्द कर देने का कोई आदेश नहीं बल्कि एक लाख का प्रावधान रखा है और भविष्य में साधनों को देखते हुए जितना हो सकता है, पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और माननीय सदस्य के बारे में मुझे याद नहीं कि ऐसा कहा हो कि एम०एल०ए० ने काम बंद करवाया है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने स्पष्ट सूची मांगी है कि कब कब काम बंद हुए, कब कब चालू हुए, यह उनको देनी चाहिए थी, वह नहीं दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीखों की सूचना नहीं है, ईअरवाईज सूचना है कि इस साल में अकाल राहत के अन्दर इतना रुपया खर्च हुआ। किस तारीख से कितनी तारीख तक कितना लेबर....

श्री केसरीसिंह : दूसरा सवाल यह है कि लास्ट इअर की योजना के अन्दर एक लाख रुपया तो 46 हजार ही क्यों खर्च किया?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 1970-71 अभी चालू है। एक अप्रेल के बाद 1971-72 लागू होगा। हमारे पास जो सूचना आई है उसमें 46,000) का जो पेमेन्ट कर दिया है, वह बताया है। बुक्ड पेमेन्ट तो 31 मार्च तक होगा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : 31 मार्च कोई दूर नहीं है। काम मध्यावधि चुनाव से पहले कुछ चल रहे थे जिसमें कम से कम 100 आदमियों से ज्यादा नहीं थे। चुनाव खतम हुए। काम खतम हो गया। अभी काम बन्द है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं कभी सदन के सामने न ज्यादा बोलता हूं न झूठ बोलता हूं। ट्रेजरी बेंचेज......

श्री अध्यक्ष : अभी काम बन्द है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काम चल रहे हैं या नहीं, यह सूचना अभी नहीं दे सकता लेकिन हमने बन्द करने के आदेश नहीं दिए हैं और न ही हमारी जानकारी में है कि काम बन्द हुआ है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्योंकि इस सवाल पर मुख्य मंत्री ने मुझ पर लांछन लगाया था फरवरी 14 को तो मैं चाहूंगा कि आप बूंदी में तलाश कर लें कि वाकई काम बन्द हैं या नहीं और इसकी सूचना सदन को दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इतना सरकार तो मन्जूर नहीं करती है, अध्यक्ष महोदय आपने तो मन्जूर कर लिया ?

श्री अध्यक्ष : मैं मौन रहा, मन्जूर कहां किया ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सरकार इस बात की सूचना दे कि काम चल रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : चल रहे हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मालूम कर लेंगे।

श्री लाभचन्द वैद्य (सुजानगढ़) : क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री जहां जहां दौरा करते हैं तो अपने पब्लिक भाषणों में ऐलान करते हैं कि वहां जनता काम की आशा क्यों करती है जहां से कांग्रेस उम्मीदवार जीतकर नहीं आये हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की व्याख्याता के पद पर नियुक्ति

71. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जन-जाति के 46 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को व्याख्याता (लेक्चरार) के पद पर लिया गया है जबकि प्रथम श्रेणी वाले व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो प्रत्याशी दो दो वर्षों तक व्याख्याता के पद पर सफलतापूर्वक काम कर चुके थे उन्हें इस कारण निकाल दिया गया कि शिड्यूल्ड कास्ट तथा शिड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्तियों को लेना था चाहे उनका डिवीजन थर्ड ही था या थर्ड के आस पास सेकेन्ड डिवीजन था ?

(3) यदि ऐसे व्याख्याताओं को निकाला गया है तो पूरे राजस्थान में उनकी संख्या कितनी है ? ; उनके नाम डिवीजन अंकित करते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) शिड्यूल्ड कास्ट तथा ट्राइब के व्यक्तियों के विषयवार कोटा निर्धारित किया गया है या जनरल कर दिया गया है ?

(5) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जनरल कर देने से सारा भार आर्ट्स साइड पर पड़ा है ?

(6) क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि राज्य के इस निर्णय से शिक्षा का स्तर बहुत गिर जायेगा ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(7) क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि शिक्षा के काम में रिजर्व सीटें नहीं रखी जानी चाहियें ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) यह सही नहीं है कि अनुसूचित जन-जाति के 46 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को व्याख्याता पद पर लिया गया है। अनुसूचित जन-जाति के जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं वे सभी स्नातकोत्तर परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं परन्तु यह हो सकता है कि इन व्यक्तियों को विभागीय फार्मूला के अनुसार मेरिट निकालने में 48 प्रतिशत से नीचे मैट्रिक से बी० ए० तक तृतीय श्रेणी में पास होने पर कम अंक चले गए हों। अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को उन्हीं के आरक्षित पदों के अनुकूल ही नियुक्त किया गया है।

(2) यह सही नहीं है, यह संभव है कि प्रत्येक वर्ष योग्यता सूची विभागीय फार्मूला के अनुसार नए सिरे से तैयार किए जाने पर यदि कोई अभ्यार्थी जो प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर है, मेरिट में न जाने पर नियुक्ति से वंचित रह सकता है। ऐसी नियुक्तियां अनुसूचित जन-जाति के आरक्षित कोटा के अनुसार ही की गई हैं।

(3) उपरोक्त भाग (2) पर दिए उत्तर के फलस्वरूप प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) वतमान नियमानुसार जनरल कोटा के अन्तर्गत नियुक्तियां की जाती हैं।

(5) जनरल कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति व जन-जाति के अभ्यार्थियों की अधिक संख्या में नियुक्तियां कला के विषयों में इसलिए अधिक होती हैं क्योंकि विज्ञान विषयों में इन जातियों के अभ्यार्थी उपलब्ध बहुत कम होते हैं।

(6) शिक्षा के स्तर गिरने की विशेष संभावना नहीं मालूम होती।

(7) यह राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछूं इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं 15 साल का था उस स य से लेकर आज 60 साल का हूं, बराबर हरिजनों में काम करता आया हूं और जब तक जीवित रहूंगा तब तक करता रहूंगा....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर आयें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने फर्माया है कि 48 प्रतिशत से जिसके कम नंबर थे उनको हमने नहीं रखा। लेकिन हो सकता है कि उनका मैट्रिक में या बी० ए० म थर्ड क्लास में पास हुए हों इसलिए 46 प्रतिशत रह गया है। इसलिए 46 प्रतिशत हरिजनों में जो आए हैं उनको 48 तिशत अगर उन्होंने एम० ए० पारित किया है उनको 48 प्रतिशत मान लिया है और बी० ए० व मैट्रिक के नहीं काटे लेकिन सवर्ण लोग 48 प्रतिशत लाते हैं तो उन्हें भी मान लेंगे चाहे उन्होंने थर्ड क्लास में बी० ए० पास की हो ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जो आरक्षण होता है 28 प्रतिशत उस कोटे के अनुसार अलग लिस्ट बनाई जाती है और जनरल कोटा आम

(श्री शिवचरण माथुर)

तरह से लोगों का होता है वह अलग बनती है और जब मेरिट में बनाने का सवाल होता है तो मिनीमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट थर्ड क्लास होता है और उनके अंक मैट्रिक से बी० ए० तक पूरे जोड़े जाते हैं इसलिए जब मेरिट का सवाल आता है तो हो सकता है कि टोटल अंकों में 48 प्रतिशत से कम आ सकते हैं आरक्षा के ख्याल से।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो फिर जिनका 48 प्रतिशत से कम, यह सही है तो उनको फिर क्यों रखा ? दूसरों के लिए भी कर सकते हैं सवर्णों के लिए ?

श्री शिवचरण माथुर: आरक्षण है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आरक्षण जरूर दें। आप इनको पूरा आरक्षण दें, इनको स्कालरशिप दें लेकिन स्कालरशिप देने के बाद में जब नियुक्ति करें तब तो इस बात का ध्यान रखें कि जिनके ऊंचे से ऊंचे नंबर आयें उनको लें नहीं तो शिक्षा का स्तर इतना गिर जाएगा और शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें अच्छे से अच्छे लोग लिए जाने चाहियें।

श्री शिवचरण माथुर : अनुसूचित जाति जन-जाति के लोग संस्कारों से ही ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनको ऊंचा पद मिले यह तो आरक्षण है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तो आरक्षण का मतलब नहीं होता है जब तक नीचे से ऊपर तक आरक्षण का लाभ उनको न मिले इसलिए 28 प्रतिशत जो आरक्षण दिया गया है सब वर्गों को मिले, इस बात का ध्यान रखा जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दो तीन सप्लीमेंटरी और पूछने हैं। मैंने निवेदन किया है कि 28 प्रतिशत तय किया है वह तो अच्छा लेकिन जो आर्ट्स के हैं उनमें और जो साइंस के हैं उनमें सबको बांट दें 28 प्रतिशत। क्योंकि साइंस के नहीं थे इसलिए 28 का 28 प्रतिशत आर्ट्स साइड में इनको दे दिया। परिणाम यह हुआ कि जो पोलिटिकल साइंस में 65 प्रतिशत के विद्यार्थी थे जो दो दो साल तक लेक्चरर्स रह चुके थे, वह वंचित हो गए हैं और 46 प्रतिशत वालों को ले लिया।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण।

श्री शिवचरण माथुर: आरक्षण टोटल वेकेन्सीज के अगेन्स्ट होता है। अगर एक एक विषय का मान लिया जाए कि किस विषय में वेकेन्सी है उसका 10 प्रतिशत का क्या बनेगा इस हिसाब से देखा जाए तो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कहीं जगह नहीं मिलेगी इसलिए टोटल वेकेन्सीज के आधार पर हम रिजर्वेशन की बात सोचते हैं। आज उनको सही तौर से आगे बढ़ाना जरूरी है। जिन संस्कारों और स्थितियों में वह बढ़ते हैं, आज फर्स्ट क्लास में लड़के केवल अच्छे घरानों के आते हैं लेकिन इन घरानों के लोगों के आने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं देगी तो इनका आना मुश्किल होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : और भी पूछना है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 72। सिंचाई मंत्री।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने लिस्ट मांगी है कि जो लेक्चरर्स लगातार दो दो साल से काम कर रहे हैं उनके 65 प्रतिशत अंक होते हुए भी आपने उनको जगह नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 72।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल तो पर्चे ही गिरे अगर 65 प्रतिशत वालों को जगह नहीं मिली और तो और कुछ गिरेगा। यहां पर ध्यान दें, यहां तो भयंकर कांड होने वाले हैं। अगर 70 प्रतिशत वाले रहेंगे तो......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मानता हूं कि सिद्धान्ततः जो सरकार की नीति है उसका मैं समर्थक हूं और निर्धारित कोटा के अनुसार उनको संरक्षण मिले लेकिन संरक्षण देने के लिए सरकार के पास कई रास्ते खुले हुए हैं। शिक्षा के उच्च स्तर के साथ ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसके द्वारा वह उच्च स्तर कायम नहीं रख सकते तो सरकार को इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अपनी नीति और रीति को कायम करना चाहिए और जो संरक्षण दिया है परसेन्टेज का कोटा, उसमें कमी न होते हुए भी जो लेक्चरार्स पहले ही रखे गए हैं उनको निकाल दिया जाए, यह व्यवस्था सरकार के लिए इन्सटेबिलिटी है, उचित नहीं है। इस संबंध में क्या मंत्री महोदय कोई प्रकाश नहीं डाल सकते कोई दूसरे रास्ते से ? सरकार के पावर ऑफ पेट्रनेज के कितने जरिए हैं। पावर ऑफ परसेंटेज एक्सटेंट में नॉट....

श्री शिवचरण माथुर : सीट्स के अलावा क्या किया जाए, समझ में नहीं आता। जिन परिवारों कि पुरातन संस्कारों के कारण ऐसी सुविधाएं जिनको प्राप्त नहीं है उनको अगर कुछ समय तक संरक्षण नहीं दिया जावेगा तब तक वे हमारे समान स्तर पर नहीं आ सकेंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये संरक्षण दिया जाना जरूरी है और फिर यह आपका ही निर्णय है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पर फिर भी अत्यधिक प्रतिभावालों को इग्नोर करके यह संरक्षण नहीं दिया जावे, उसकी ओर कई रास्ते हैं जिनमें एडजस्ट किया जा सकता है। फिर आप अगर ऐसा ही करना चाहते हैं तो इससे तो अच्छा यही होगा कि उनको एम० एल० ए० और एम० पी० बनावें।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : क्या आप चाहते हैं कि वे सर्विस में न जावें।

श्री शिवचरण माथुर : ये पद अस्थायी होते हैं। अन्त में तो ये पी० एस० सी० के सामने जाते हैं। पर वहां पर भी संरक्षण का सवाल आता है। ऐसी सरकार की नीति है और इसे आप लोगों की अनुमति से ही बनाया गया है। पार्लियामेंट ने बनाई है। इसके अनुसार ही नियुक्तियां की जाने के अलावा और रास्ता नजर आता नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सूचना मंत्री।

सिचाई के अधूरे कार्य

72. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य

Page No. 22

(श्री दिग्विजयसिंह)

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो सिंचाई के कार्य अकाल राहत कार्यों में अधूरे रह गए हैं उन्हें सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण कराया जावे ? यदि हां, तो इसके लिये कितनी धन राशि रखी गई है ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग द्वारा कुछ जिलों में जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में धनराशि आवंटित भी कर दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? दूसरे अन्य जिलों में क्यों नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला टोंक में सिंचाई के काफी कार्य अधूरे पड़े हैं, पर विभाग द्वारा कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है ?

(4) क्या यह सत्य है कि सूथड़ा बान्ध, तहसील उनियारा, जिला टोंक अकाल राहत कार्य में चालू किया गया था वह अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसे पूर्ण करने के लिये धनराशि क्यों नहीं आवंटित की जाती है ?

(5) क्या यह सत्य है कि यदि इस बान्ध को पूर्ण करा दिया जावे तो इससे 600 एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी ?

(6) क्या वर्ष 71-72 में इस सूथड़ा बान्ध पर कुछ धनराशि प्रदान की जावेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) धनराशि के उपलब्धि के हिसाब से अधूरे कार्यों को पूरा कराने का कार्यक्रम बनाया जावेगा।

(5) बान्ध पूर्ण हो जाने पर लगभग 350 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

(6) यह अभी नहीं कहा जा सकता।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, उप-मन्त्री जी ने फरमाया कि नहीं। मैं निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह रूरल कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम अलग है। इसमें सिंचाई विभाग का पैसा नहीं है। वह केवल दस जिलों में है। इसमें टोंक शामिल नहीं है। रूरल कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के अतिरिक्त रिलीफ में काम चले थे और अगर वे अधूरे रह गये हैं कहीं तो उनको भी और दूसरों को भी लिया जा सकता है पर यह सब फण्ड की उपलब्धि के अनुसार जैसी स्थिति होगी किया जावेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : वे दस जिले कौन कौन से है।

टोंक जिला क्यों नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टोंक नहीं है तो भीलवाड़ा भी नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : भीलवाड़ा नहीं है तो मेरा तो लेना देना टोंक से है, भीलवाड़ा

(श्री दिग्विजयसिंह)
में भले ही हो, मुझे इससे क्या लेना देना है।

श्री मदनसिंह दांता : भीलवाड़ा नहीं है, इसका तो जवाब मिल गया। टोंक का बताइये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस रूरल कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत वे हिस्से लिये गये हैं भारत सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट इफेक्टेड थे मिसाल के तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बीकानेर चूरू इस तरह के जिले हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : उदयपुर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उदयपुर नहीं है इसमें।

तो इस तरह के जिले थे दस जो क्रानिक्ली ड्राफ्ट इफेक्टेड होने की वजह से वहां पर काम हो सकें, वहां के अकाल का कोई सोल्यूशन निकाल सकें जिसमें इर्रिगेशन रोड्स और फोरेस्ट का काम है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट भी फेमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट ही है। हमने तो इसके लिये भी कई जिलों की सिफारिश की थी, पर भारत सरकार ने दस ही माने हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या इसके लिये फिर अगले अकाल की इन्तजार करें?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसे ही वित्तीय साधन हमारे पास होंगे, हम इन पर पूरा ध्यान देंगे।

मांडलगढ़ क्षेत्र के गावों में बिजली

73. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लोडा, खाचरोल हाडां का खेड़ा (मांडलगढ़) के कुओं में पानी काफी है और जल्दी ही यहां बिजली पहुंचानी चाहिये।

(2) यदि यह सही है तो ऐसे गावों मे बिजली पहुंचने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह): (1) इन ग्रामों के कुओं में काफी पानी होने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) तहसील मांडलगढ़ के ग्राम दायती का विद्युतीकरण इस वर्ष कर दिया गया है। ग्राम योजना, धाकडखेड़ी, सांगोली बीगोद, बरुदनी को इस वर्ष में स्वीकृत कर दिया गया है। ग्राम खाचरोल व पीयर्सी का खेड़ा की एक स्कीम वर्ष 69-70 में बनाई थी लेकिन वह लाभप्रद नहीं पाई गई, और लाभप्रद न होने के फलस्वरुप उनका विद्युतिकरण नहीं किया गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या यह कोई सरकार का षडयन्त्र है। आपने फरमाया कि वहां पानी है या नहीं तो फिर आपने क्या जांच की। कुओं में वहां पानी काफी है और काफी उंचाई पर है, कुए भी काफी तादाद में है। कनेक्शन लेने वाले भी बहुत है, फिर क्या बात है ?

श्री खेतसिंह : यह जांच तो आप इर्रीगेशन विभाग से करवाइये। हमारा काम तो यह है कि कुए काफी तादाद में

(श्री खेतसिंह)

हों, लेने वाले काफी लोग हों। हमारा कामर्शियल डिपार्टमेंट है। इसलिये हम तो यह देखते हैं कि कहां से हमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है। रिटर्न के हिसाब से हम देखते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : शेरगढ़ में पानी है या नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो मैंने कहा कि पानी बहुत है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नहर टूटने से फसलों को नुकसान

74. **श्री हंसराज आर्य** (मा॰रा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल की लो लेवल ब्रान्च 193 आर०डी० पर टूट गई थी ?

(2) यदि हां, तो यह नहर अपने आप टूटी थी या किसी किसान के द्वारा तोड़ी गई थी ? इसकी बन्धाई पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

(3) इस नहर के टूटने से पानी कुल कितने एकड़ भूमि में फैल गया था ?

(4) उस पानी से कितने किसानों की फसलें डूब गई थी ?

(5) पानी में डूबी फसलों से किसानों का कुल कितना नुकसान हुआ है।

(6) क्या सरकार ने ऐसे किसानों को मुआवजा भी दिया है ?

(7) यदि हां तो कुल कितना मुआवजा दिया गया है ?

(8) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां, लो लेवल ब्रान्च आर० डी० 1948 पर टूटी थी।

(2) यह शाखा अपने आप ही टूटी थी। इसकी बन्धाई (रिपेअर) पर कुल राशि रुपया 5,200) खर्च हुई है।

(3) इस नहर के टूटने से करीब 1366 बीघा भूमि में पानी फैल गया था।

(4) इस पानी के फैलने से फसलों को क्षति होने के बजाय फायदा ही हुआ है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(8) जिस भूमि में यह पानी गया था उसकी सिंचाई अच्छी तरह से हो गई जिसके फलस्वरूप वहां पर बहुत ही अच्छी फसल खड़ी है। इस कारण मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हंसराज आर्य : क्या टूटने से यह पानी राजकीय भूमि में गया या किसानों की भूमि में ?

श्री मनफूलसिंह : कुछ किसानों की थी, ज्यादा राज की थी।

श्री हंसराज आर्य : फिर किसानों को नुकसान कैसे नहीं हुआ ?

श्री मनफूलसिंह : नवम्बर में रबी की फसल नहीं होती। बुवाई होती है इससे तो उल्टा फायदा पहुंचा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर नगर के प्राथमिक विद्यालय

69. **श्री लादूराम तुलानिया (फागी) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में कुल प्राथमिक विद्यालय कितने हैं वह कहां कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि कई एक विद्यालयों के नाम हरिजन विद्यालय रखे हुए हैं और उनमें हरिजनों के अतिरिक्त अन्य जातियों को प्रवेश नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर नगर में ऐसे कितने ही अध्यापक हैं जो 3 वर्ष की अवधि से ज्यादा समय से एक शाला में कार्य कर रहे हैं ?

(4) क्या अध्यापकों को एक ही स्थान पर पांच वर्ष या इससे अधिक समय तक एक शाला में रखे जाने व उनके स्थानान्तर नहीं किये जाने के कोई नियम पृथक् से बने हुये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या राज्य सरकार पांच वर्ष या इससे अधिक एक ही शाला में कार्य करने वाले अध्यापकों का अविलम्ब स्थानान्तर करना चाहेगी ?

(6) क्या अध्यापकों को राज्य सेवा के साथ पार्टी पोलिटिक्स में भाग लेने व समाज सेवी संस्थाओं में पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने की छूट है ? यदि हां, तो ऐसी छूट संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी हां।

(4) अध्यापकों को एक ही स्थान पर पांच वर्ष या इससे अधिक समय तक एक शाला में रखे जाने व उनके स्थानान्तर नहीं किये जाने के सम्बन्ध में पृथक् से कोई नियम नहीं है।

(5) इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(6) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वनों के ठेकों की बकाया

54 **श्री हंसराज आर्य (भादरा) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वनों के ठेकों की कुल कितनी धनराशि ठेकेदारों में बकाया है और किस कारण से ?

(श्री हंसराज आर्य)

(2) क्या बकाया की जल्दी वसूली की जावेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) इतनी बकाया राशि बाकी रहने के लिये कौन जुम्मेदार है ?

(4) क्या सरकार की यह योजना है कि रेल की पटरियों और पक्की सड़कों के किनारे आम तौर पर पेड़ लगाये जायेंगे ?

(5) क्या सरकार का यह भी प्लान है कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिये योजना-बद्ध तरीके से जंगल लगाया जावेगा ?

(6) यदि हां, तो इसका प्रारम्भ कहां से कौन से जिले से किया जा रहा है ?

(7) जंगलों से सरकार को सालाना कितनी आय होती है ?

(8) सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) 31-12-70 तक ठेकेदारों में कुल 7,64,500/- रु० पुरानी बकाया है। ठेकेदारों के समय पर ठेका राशि जमा नहीं कराने के कारण बकाया रही।

(2) जी हां। बकाया वसूली की कार्यवाही पी० डी० आर० एक्ट व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तथा विभागीय तौर पर की जा रही है। मुआमले न्यायालयों में भी हैं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) यह बकाया कई ठेकों की मिलकर है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का उत्तरदायित्व नहीं मालूम होता।

(5) रेल की पटरियों के किनारे वृक्ष लगाने की वन विभाग की कोई योजना नही हैं। पक्की सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने की वन विभाग की योजना विचाराधीन है।

(6) जी हां। रेगिस्तान क्षेत्रों में अकाल की समस्या के निराकरण के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृति ग्रामीण विकास एवं मरु विकास योजना के अन्तर्गत बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, चूरू, बीकानेर, नागौर जिलो में वन विकास के कार्य किये जा रहे हैं।

(7) इस योजना का प्रारम्भ इस वर्ष से बाड़मेर जिले से सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड मरु विकास योजना के अन्तर्गत किया गया है।

8. गत दो वर्षों की वन विभाग की आय निम्नानुसार है:-

वर्ष	आय
1968-69	93,79,038
1969-70	98,68,459

(9) आय की सूची प्रश्न भाग सं० 8 में दी जा चुकी है।

अनवासा बांध

55. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनवासा बांध (मांडलगढ) की स्वीकृति हो चुकी है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(2) यदि यह सही है, तो इसका काम कब प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस काम के टेण्डर अभी विचाराधीन हैं तथा टेण्डर की स्वीकृति होने पर कार्य शुरु हो जावेगा।

सरहिन्द फीडर का लिंक

56. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हरियाणा में बनने वाला सरहिन्द फीडर का लिंक जो कि लोहगढ़ के पास बन रहा है जिसके माध्यम से राजस्थान केनाल का पानी भाखरा की नहर में लेना है क्या वह तैयार हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है और इसके माध्यम से राजस्थान केनाल का कितने क्यूसेक पानी भाखरा की नहरों में लिया जावेगा ?

(3) यह पानी भाखरा की किन किन ब्रांचों में कितना कितना चलाया जावेगा ?

(4) इस पानी के लेने से क्या भाखरा क्षेत्र का और अधिक रकबा कमाण्ड होगा ?

(5) यदि हां तो कितना रकबा कमाण्ड होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कार्य प्रगति पर है।

(2) इस लिंक पर लगभग रुपये 6.50 लाख व्यय होने की संभावना है तथा इसके द्वारा अधिक से अधिक 1,700 क्यूसेक पानी राजस्थान नहर से भाखड़ा की 'करणीसिंह' व सादूल ब्रांचों' में भी दिया जा सकेगा।

(3) इससे भाखड़ा की 'सादूल व करणीसिंह ब्रांचों' में आवश्यकतानुसार पानी दिया जा सकेगा।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिध मुख नहर का सर्वे

57. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गंगानगर जिले में सिधमुख नहर की पूर्ण रूप से सर्वे हो चुकी है ?

(2) यदि हां, तो इस नहर के निर्माण कार्य को शुरु करने में देरी क्यों हो रही है ? क्या चौथे योजना काल में यह शामिल है ?

(3) यह नहर हरियाणा में भाखरा नहर से कौन से स्थान से निकलेगी ?

(4) इस नहर से कौन कौन सी तहसीलों के कुल कितने गांव कमाण्ड होंगे ?

(5) इस नहर में कुल कितने क्यूसेक पानी होगा और कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

(6) इस नहर से कितनी भूमि की सिंचाई फ्लो लाइन से और कितने एकड़ भूमि की लिफ्ट योजना से सिंचाई होगी ?

(श्री हंसराज आर्य)

(7) इस कार्य को कब तक शुरु कर दिया जावेगा और कुल कितनी धनराशि निर्माण पर खर्च होगी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) (अ) प्रश्न ही नहीं उठता ।
(ब) जी नहीं ।

(3) यह टोहना के समीप फतेहाबाद ब्रांच से निकलेगी ।

(4) पूरा सर्वे होने व योजना तैयार होने पर ही बताया जा सकेगा ।

(5) यह नहर 700 क्यूसेक्स की होगी व इससे लगभग 1.5 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

(6) पूरी योजना बन जाने पर ही यह बताया जा सकेगा ।

(7) योजना के पूरा बन जाने पर ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा ।

कुओं पर बिजली

58. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गांवों को व गांवों में किसानों के कुओं को बिजली देने की सिफारिश करने के लिए जिलों में जिला उत्पादन समितियां गठित की गई हैं ?

(2) यदि हां, तो गंगानगर जिले की उत्पादन समिति के कुल कितने सदस्य हैं उनके नाम मय पद व समिति का चैयरमैन कौन है, इसकी सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) इन जिला उत्पादन समितियों का गठन कब हुआ और उनका उद्देश्य क्या है ?

(4) इन समितियों की बैठकें कितनी अवधि में होती हैं ?

(5) गंगानगर जिला उत्पादन समिति की बैठकें गठन के समय से लेकर 31 दिसम्बर, 70 तक कितनी हुई और इन बैठकों में किन किन सदस्यों की उपस्थिति है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(6) गंगानगर जिला उत्पादन समिति ने अपने समय में जिले की कौन कौनसी तहसील के किन किन गांवों को बिजली देने की सिफारिश की है और आज तक उसमें कितने गांवों को बिजली दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो जिला उत्पादन समिति की सिफारिश के बाद भी गांवों व गांवों के कुओं को बिजली नहीं देने का क्या कारण है ? क्या इन बैठकों में चूरू जिला के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर व उनके किसी प्रतिनिधि ने भाग लिया है ?

(7) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या उनके खिलाफ कोई अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जावेगी ?

(9) यदि हां, तो कब तक ?

(10) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, जिला कृषि उत्पादन समितियां बिजली दिये जाने हेतु गांवों के नामों की सिफारिश भी करती है।

(2) विद्युत् मण्डल को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) यह प्रश्न विद्युत् विभाग से सम्बन्धित नहीं है ?

(4) यह प्रश्न भी विद्युत विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(5) इसकी जानकारी विद्युत् मण्डल में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(6) गंगानगर जिला उत्पादम समिति द्वारा सिफारिश किये गये गांवों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से जिन ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है उनके आगे इस प्रकार की सूचना अंकित कर दी गई है। साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए, समिति द्वारा सिफारिश किये गये केवल उन्हीं ग्रामों का विद्युतिकरण सम्भव है जो आर्थिक एवं तकनीकि दृष्टि से साध्य हों।

(7) जी नहीं। दिसम्बर, 70 तक की बैठकों के लिये अधिशासी अभियन्ता, चूरू को समिति की बैठक में। भाग लेने के लिये कोई सूचना नहीं दी गई। 22 जनवरी, 71 की बैठक में भाग लेने की सूचना अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पहुंची लेकिन अधिशासी अभियन्ता 12-1-71 से 20-1-71 तक दौरे पर थे और उन्हें इस बैठक की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। इसलिये वह उस बैठक में भाग नहीं ले सके।

(8) एक बैठक में उपर्युक्त परिस्थिति में भाग नहीं ले सकने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(9) प्रश्न नहीं उठता।

(10) स्थिति का स्पष्टीकरण आइटम नं० 8 के उत्तर में किया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

खेडोला तालाब

59. श्री मनोहरसिंह मेहता (मण्डलगढ): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर (भीलवाड़ा) के पास खेडोला नामी तालाब पर अकाल में काम हुआ है और आज भी उस तालाब में पानी भरा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि बीस तीस हजार रुपये खर्च करने पर ही सालरागांव की भूमि इससे सिंचित हो सकती है ?

(3) यदि हो सकती है, तो क्या इसी वर्ष इसे पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

संग्रामपुरा तालाब

60. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में धामनिया पंचायत का संग्रामपुरा नामक सिंचाई विभाग का तालाब है जो अधूरा पड़ा हुआ है ?

(2) यदि यह सही है, तो इस तालाब को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी कोई कदम उठाये नहीं जा रहे हैं।

ग्राम बीचड़ी के पास एनिकट का निर्माण

61. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी की तहसील हिन्डोली में ग्राम बीचड़ी के पास एक एनिकट का निर्माण कब और कितने की लागत से कराया गया ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला कांग्रेस कमेटी बूंदी की ओर से एक शिष्टमण्डल सिंचाई मंत्री से मिला था ? यदि हां, तो कब, क्यों और उसका अभिप्राय क्या था ?

(3) क्या यह सत्य है कि सरकार ने खटावदा व दबलाना के पास एनिकट बंधाने का विधान सभा में आश्वासन दिया था ?

(4) उपरोक्त एनिकटों का कार्य कब से शुरु कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी की तहसील हिन्डोली में ग्राम बीचड़ी के पास एक एनिकट का निर्माण कार्य 10-5-70 को पूर्ण हुआ। जिसकी लागत 1,36,697) रु० है।

(2) जी हां, मिला था, तारीख याद नहीं है। शिष्टमण्डल का कहना था कि खटावदा के पास एक एनिकट बनना चाहिए।

(3) विधान सभा में सरकार द्वारा खटावदा योजना को बनाने के बारे में विचार प्रगट किया गया था।

(4) आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर इसे शुरु किया जा सकेगा।

लिफ्ट योजना से चूरू जिले में सिंचाई

62. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल का पानी लिफ्ट करके चूरू जिले की तहसील सरदारशहर, डूंगरगढ़, तारानगर, रतनगढ़ और चूरू वगैरह को देने का सरकार का विचार है ?

(2) यदि हां, तो यह लिफ्ट राजस्थान कैनाल के कौन से स्थान से की जावेगी ?

(3) क्या यह लिफ्ट केवल खारे पानी वाले गांवों के मनुष्य और मवेशियों

(श्री हंसराज आर्य)

के पीने के पानी के लिये लगाई जावेगी या इससे भूमि भी सिंचित होगी ?

(4) क्या इसका प्लान तैयार कर लिया गया है ?

(5) यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरु कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

लेकिन चूरू जिले के कुछ क्षेत्र को लिफ्ट द्वारा पानी देने की सम्भावना के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में 'सर्वे' कराया जा रहा है।

(2) इस समय निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(3) वैसे इस 'लिफ्ट' योजना का सर्वेक्षण भूमि की सिंचाई के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है लेकिन अगर सिंचाई के लिए पानी दिया जायगा तो पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

(4) जी नहीं।

(5) इसका 'सर्वे' कार्य हो रहा है तत्पश्चात ही इस बारे में कहा जा सकता है।

पलाना गांव में कोल से बिजली

63. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीकानेर जिले के पलाना गांव में कोल से बिजली पैदा करने का प्लान सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो योजना कब तक कार्य रूप में परिणित हो जावेगी ?

(3) कितनी बिजली पैदा की जावेगी व कहां कहां पर काम में लाई जावेगी ?

(4) इस योजना पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) पलाना थर्मल स्टेशन से 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का प्रस्ताव है जिसका उपयोग राजस्थान ग्रिड में किया जावेगा।

(4) स्टेप अप सब-स्टेशन सहित प्रस्तावित थर्मल स्टेशन की अनुमानित लागत करीब 1,928.00 लाख रुपये है।

स्थगित प्रश्न

(16-3-71)

पंचायत समिति फागी का ऑडिट

4. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर के भण्डार का भौतिक सत्यापन 2-10-1959 के बाद बराबर होता रहा है ? यदि हां, तो कब-कब,

(श्री लालूराम सुलानिया)

किन-किन अधिकारियों द्वारा किस-किस तिथि को किस अवधि का किया गया?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या भण्डार में गबन हुआ है?

(4) क्या पंचायत समिति फागी ने वर्ष 1959 से अब तक कोई सामान क्रय किया है? यदि हां, तो क्रय किये गये माल के कोटेशनों की प्रति, बिल की प्रति व व्यय विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या 1960 से 1969 तक पंचायत समिति फागी का ऑडिट किया गया है? यदि हां, तो किस-किस विभाग द्वारा?

उत्तर

(1) जी नहीं। सर्व श्री नाथूलाल पारीक, कृषि प्रसार अधिकारी, देवी सहाय गौड़, विकास अधिकारी, मूलचन्द शर्मा, शिक्षा प्रसार अधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 1-9-68 से 30-12-68 तक, 1-7-67 से 30-12-68 तक की अवधि का, दिनांक 24-2-69 से 28-2-69 तक, 1-7-67 से 28-2-69 तक की अवधि का व दिनांक 7-1-70 से 15-1-70 तक, 1-7-67 से 15-1-70 तक की अवधि का सत्यापन किया गया है।

(2) जी हां। विशेष जांच करवाई गई।

(3) गबन होना प्रतीत होता है। भण्डार के संबंध में 3 कर्मचारियों को निलम्बित कर जांच की जा रही है।

(4) जी हां। सूचना इकट्ठी करने में बहुत समय लगेगा।

(5) जी हां। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग व महालेखाकार द्वारा ऑडिट व निरीक्षण किया गया है।

राज्यपाल महोदय का सन्देश

श्री अध्यक्ष :

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका पत्र संख्या 325। नि० स०। अ० वि०स०।71, दिनांक मार्च 22, 1971 प्राप्त हुआ। इस कृतज्ञता संदेश के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवदीय,
हुक्मसिंह।

सदन की कार्यवाही में बाधा पहुचानें सम्बन्धी मामले पर सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को याद होगा कि कल दिनांक 22 मार्च, 1971 को दिन के 1.10 बजे प्रश्नोत्तर काल के पश्चात कुछ व्यक्तियों ने जो दर्शक गैलरी के अन्दर उपस्थित थे, सभा भवन में पत्र फेंके और गैलरी में से नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। तुरन्त ही माननीय सदस्यों के सामने वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने मेरी आज्ञा से इन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया।

(श्री अध्यक्ष)

पूछताछ करने के बाद इन व्यक्तियों ने जो अपने नाम बतलाये हैं वे इस प्रकार हैं:

(1) श्री नजीर भारती पुत्र श्री वजीर अहमद, निवासी श्रीपुरा (कोटा) इस समय एम० एल० ए० क्वार्टर नम्बर बी 10 में रहते हैं।

(2) श्री प्रेमराम भारती पुत्र श्री लच्छीराम, अलमोड़ा (यू० पी०) हाल साकिन नीम-का-थाना।

(3) श्री तुलसीदास पुत्र श्री पांचू राम, परसराम द्वारा (जयपुर)।

कल मुख्य सचेतक महोदय द्वारा इस आशय का प्रस्ताव सदन के विचारार्थ रखा गया था कि चूंकि ये तीनों व्यक्ति सदन के अपमान के दोषी हैं अतः इनको 15 दिनों के लिये जेल की सजा दी जाय।

इस प्रस्ताव पर निर्णय न लेकर सदन द्वारा आसन को प्राधिकृत किया गया था कि वे आवश्यक जानकारी करके इस सम्बन्ध में दण्डित करने की उपयुक्त कार्यवाही करें।

मैंने इन तीनों व्यक्तियों से कल अपने चेम्बर में बात की एवं उनके बयान लिए। वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं परन्तु यह नहीं मानते हैं कि उनके इस कार्य से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची है। उन्होंने अपने इस कार्य पर न तो कोई खेद प्रकट किया है और न ही वे क्षमा याचना के लिए तयार हुए। ऐसी स्थिति में मैं यह उपयुक्त एवं न्याय संगत समझता हूं कि अपराधियों को दण्डित करने के इस प्रश्न पर सदन द्वारा ही निर्णय लिया जाय। ये तीनों व्यक्ति मेरे आदेश से कल ज्युडिशियल कस्टडी में रखे गये और आज वे सदन के समक्ष उपस्थित हैं।

जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है मुख्य सचेतक का प्रस्ताव सदन के विचारार्थ पहले ही प्रस्तुत है। इसी संदर्भ में मैं और निवेदन कर दूं कि तीनों व्यक्ति जो मेरे चेम्बर में उपस्थित हुये सम्मान के साथ रखे गये और उसके बाद ज्युडिशियल लॉकअप में भेजे गये। अब मैं सदन को दण्ड के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं क्यों कि उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया है। यद्यपि सदन ने यह शक्ति भी दी थी कि मैं उस दण्ड के प्रश्न पर निर्णय दे दूं लेकिन मैंने उचित नहीं समझा। अब इस पर सदन निर्णय करे।

लेकिन मेरा यह सुझाव है कि जितनी देर वे ज्युडिशियल लॉकअप में रह गये हैं उस समय को ही दण्ड के रूप में मान लिया जाय और उनको मुक्त कर दी जाय। अथवा जो कुछ माननीय सदस्य अन्य निर्णय लेना चाहें वे संक्षेप में इस प्रश्न का अधिक विस्तृत न करके सुझाव दे दें तो अच्छा है ताकि शीघ्र ही उनके सम्बन्ध में निर्णय हो जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा उन्होंने बयान दिया और आपने बताया कि उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया है और आपने यह सुझाव भी दिया कि जितनी देर ज्युडिशियल लॉकअप में रहे उतना ही दण्ड मान लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने से पहले उसकी बात सुनी जाय। आपने यह भी कहा कि यह सदन ही इस बात पर निर्णय करे

Page No. 34

(श्री नत्थीसिंह)
तो ठीक है। मैं निवेदन करूंगा उन लोगों को सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाय और फिर विचार करें। उन्होंने जन समस्याओं को उठाया है कोई व्यक्तिगत काम नहीं किया है। मिट्टी के तेल की कमी, कोयले की कमी और सरकार का अन्धा और बहरा इस प्रकार का रुख है उसको लेकर जनमानस विक्षुब्ध है। उसका कदम उठाया है और इस सदन में उठाया है कि अब यह औचित्य है अथवा अनौचित्य है इससे पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिये। उनको मौका दिया जाना चाहिये तभी विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है आप कल सदन में नहीं थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में उनकी बात सुनी जाय और फिर निर्णय लिया जाय यह प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न कल तय हो चुका है और उसी संदर्भ में उनकी बात सुन-ली गई थी। आसन को इस सदन द्वारा जो अधिकार दिया गया था उसी संदर्भ में बयान लिये गये बात सुनी गई, इसलिये यह प्रश्न फिर पैदा नहीं होता है। यहां तो प्रश्न जैसा भी कल सदन ने अधिकार दिया था या अनुमति दी थी उसी संदर्भ में आपके समक्ष यह प्रश्न दिया है-उनको छोड़ देने का अथवा उनको दण्डित करने का यह प्रश्न है। सारा प्रश्न ओपन नहीं होता।

श्री नत्थीसिंह : मैं एक निवेदन करूंगा आपको जज नियुक्त किया गया, आपने बयान लिये और बयान लेने के बाद दण्ड दे देते तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता लेकिन चूंकि अब आपने वापस सदन को सुपुर्द कर दिया। आपने जो बयान लिये वे सदन के समक्ष नहीं माने जा सकते है जो सजा दे देते तो ठीक था—सदन ने आपको अधिकार दिया था लेकिन जब आपने सदन के सामने सारा मामला पुनः रख दिया है तो इसलिए सामान्य नियमों का तकाजा है कि उनकी बात सुनी जाय कि वे अपराधी हैं या नहीं हैं उनको छोड़ दिया या मुक्त कर दिया जाय।

श्री मकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्षजी, एक बात निवेदन करना चाहूंगा जब एक कार्यवाही एक मजिस्ट्रेट करे और उस कार्यवाही का ट्रान्सफर दूसरे मजिस्ट्रेट के यहां पर हो जाय तो उस न्याय की कार्यवाही दुबारा होनी चाहिये इसके अलावा भी अगर आप उस निर्णय पर पहुंचे कि उनके बयान आपने जो कक्ष में लिये हैं वे ही बयान पर्याप्त माने जायं तो उस सूरत में हम यह चाहेंगे कि उनके बयान पढ़कर सदन में प्रस्तुत किया जाय और सदन के लोगों को जो जज की हैसियत से बैठे हैं उसके पूरी एन्क्वायरी करने का मौका दिया जाना चाहिये ताकि हम भी उसमें अपना योगदान कर सकें और उचित निर्णय पर आ सके। बड़ी विडम्बना है आप उनको दण्डित करें किन्तु यह एक सामान्य बात है कि जो ब्लेक मारकेट करें जो जनता के साथ विश्वासघात करें.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्न सीमाओं में बन्धा हुआ है। आसन का प्रश्न नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यजी, मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

करना चाहता हूं कि जिन मूलभूत समस्याओं को लेकर, क्योंकि नियमों की अवहेलना हुई है, नियम पूर्वक कोई काम नहीं हुआ है, नियमों की रक्षा होनी चाहिये इसलिए नियमों की रक्षा के खातिर जरूर दंडित किया जाय ऐसी परिपाटी चल गई चाहे वे ब्लेक मारकेट के खिलाफ कहना चाहते हों, तेल के ब्लेक के बारे में कहना चाहते हों, कोयले के ब्लेक के बारे में आवाज उठानी चाहते हों। मारकेट में जो आम लोगों की जरूरत है वह नहीं मिल पा रही है ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो जनता का सर्वोच्च अधिकार है....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ....(अश्रव्य)....औचित्य और अनौचित्य पर विचार नहीं करते। उनकी जायज मांगों पर विचार नहीं करते....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ....(अश्रव्य)......इसलिये उनको दबा दिया जाय (माननीय अध्यक्ष के बार बार निवेदन करने पर भी बोलते रहे, अश्रव्य) ... फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाय। यह एक निजी प्रश्न नहीं है। ठीक आज के दिन 23 तारीख को, 23 मार्च को ठीक इसी रोज वीर भगत सिंह ने भी...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न भाषण का नहीं है, माननीय सदस्य। भाषण का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य। आप इस प्रश्न को ख्वामख्वाह पेचीदा बना रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब यह दुर्घटना हुई तो मैं सदन में नहीं था किन्तु इस सम्बन्ध में चार दिन पूर्व ही मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण करने की चेष्टा की थी कि मिट्टी के तेल की कमी, कोयले की कमी, रेजगारी की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय। यह सारे राजस्थान की समस्या है और जनता में इस सम्बन्ध में इन आवश्यकता की वस्तुओं की कमी के कारण असन्तोष और रोष भी है। मैं नहीं चाहता कि सदन की परम्परा भंग हो कभी नहीं चाह सकता। मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता हूं कि कोटा, परमिट, लाइसेन्स के अन्तर्गत काला बाजारी और सब तरह की अव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये यह कांग्रेसी सरकार जिम्मेदार है और सरकार की यह गलत नीति है। यही उसका कारण निश्चित रूप से है। यह मेरा अभिमत है। जनता में असन्तोष है, रोष है उसको भी समाप्त करने का सरकार का सबसे प्रथम कर्तव्य है। अगर आवश्यकता की वस्तुओं की एक तरफ कमी होती है और दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, हजारों मन कोयला काले बाजार के जरिये ब्लैक में बेचा जाता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य भाषण नहीं हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नहीं कहूंगा लम्बा चौड़ा भाषण और समाप्त करता हूं लेकिन इतना कहता हूं कि आपाधाफी और काला बाजारी के द्वारा बाहर जाये, मिट्टी के तेल में भी बिलकुल अंधाधुंधी होती है, रेजगी के संबंध में भी आज यह व्यवस्था हो गयी है कि मैंने कल ही एक रुपया दिया और मुझ से कहा गया कि 90 पैसे ही देंगे, पूरे 100 पैसे नहीं देंगे--यह सब व्यवस्था ऐसी है कि सरकार को इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर व्यवस्था भंग होती है इस सदन की तो कल जो कुछ हुआ उनको हिरासत में लिया गया और एक दिन तक रखा यही पर्याप्त है और उनको छोड़ दिया जाये । उन्होंने कोई नारे नहीं लगाये . . .

कुछ माननीय सदस्य: नारे लगाये हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको जो कुछ कहना है आपको अधिकार है । मैं माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुए हैं उनकी व्यग्रता के साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है । मैं नहीं कहता कि उनको छोड़ दिया जाय बिना सजा के लेकिन जो कुछ सजा हो गयी वह हो गयी लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपकी ही कमी के कारण और आपके ही दोषों के कारण यह जो कुछ हुआ है:

'हाथ कमाया कारणा,
कीने दीजे दोष ।'

ऐसी व्यवस्था के लिए मेरी तो यही मान्यता है और निवेदन है कि जो कुछ हुआ वह पर्याप्त है और अब उनको छोड़ दिया जाये ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सजा चाहे कुछ भी हो चाहे फांसी तक की सजा हो तो हो वह तो मन्जूर है उसके बारे में गिला नहीं है लेकिन निवेदन यह है कि उनको सदन में बुलाया जाकर उनको सुना जाना चाहिए और उनको सुनकर ही उचित निर्णय लिया जाना चाहिए . . . . .

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : आपका मतलब है कि वह यहां आकर बयान करें ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : क्यों नहीं करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दांता ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य को थोड़ी जानकारी मालूम पड़ती है कि सदन इस समय जज की हैसियत से बैठा है.........

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय,......

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: ...और इस समय . . . . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दांता बोल रहे हैं आप व्यवधान न डालें माननीय सदस्य ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो दोनों माननीय सदस्य बोल रहे थे वे सदन में उस समय उपस्थित नहीं थे जिस समय कि यह पर्चे फैंकने की घटना हुई और कल मैं भी वह व्यक्ति था कि जिसने निवेदन किया था और सदन ने भी बहुत आराम से अपनी मन्शा व्यक्त की थी कि अगर वह

(श्री मदनसिंह)

माफी मांगलें तो उनको माफ कर दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, मैं भी उनसे मिला और उन तीनों में से दो ऐसे थे जो मन्जूर कर रहे थे कि अपने भाव व्यक्त करने का तरीका सदन नहीं हैं । माननीय सदस्य आप आन्दोलन कर सकते हैं, आपको राजस्थान की जनता ने वोट दिये हैं और आप यहां रिप्रजेन्ट कर सकते हैं, आप यहां कागजों को फेंक सकते थे लेकिन उन गरीबों से फिकवाये यह नहीं होना चाहिए। सदन से आप इस्तीफा दे सकते हैं ।

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के ऊपर आपत्ति उठाता हूं कि माननीय सदस्य का यह कहना कि आपने क्यों फिकवाये । यह बिल्कुल गलत है और इस तरह की बात कहना बिलकुल न्यायसंगत नहीं है......

श्री रोशनलाल व शंकरसिंह : (दोनों साथ 2 बोलने से अश्रव्य)

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : मैं इसके लिए . . . .

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री नत्थीसिंह : X X X.

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री मदनसिंह : मैं इस बात की क्षमा चाहता हूं कि मैंने कहा कि फिकवाये गये । मैंने अन्दाजा लगाया था, मैं माफी चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय दो सदस्य ऐसे थे जिन्होंने यह स्वीकार किया था कि पर्लियामेन्ट या असेम्बली में इस प्रकार की घटनायें नहीं होनी चाहिए और एक सदस्य जिसके आंखें नहीं थीं.........

श्री रामकिशन : अन्तर चक्षु थे ।

श्री अध्यक्ष : प्रज्ञा चक्षु हैं ।

श्री मदनसिंह : वह विद्यार्थी है आपको पता होगा । वह कह रहा था कि हमारा तो हक है । मैंने कहा कि पार्लियामेन्ट और असेम्बली में नहीं है और वह इस पर जिद्द कर रहा था इसलिए मैं पूर जोर शब्दों में कह रहा हूं कि जब सदन माफ करने के लिए तैयार है और सदन में यह मर्यादा रहेगी तो यह गलत बात है। कल आपकी गवर्नमेन्ट हो सकती है इस सदन के अन्दर फिर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो आप क्या सोचेंगे ? नागौर और झुन्झुनू के अन्दर पत्थर फिंके और सदन के अन्दर नारे लगाये जा रहे हैं और पर्चे फेंके जा रहे हैं और फिर उनको रुपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूं कि वह प्रजातंत्र को नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय उनकी वाहवाही से मेरा सम्पर्क नहीं है, जो सही चीज है वह कह रहा हूं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है माननीय सदस्य श्री दांता साहब पान चबा रहे हैं और बड़े लहजे के साथ बोल रहे हैं और मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह सदन का अपमान है कि वह पान चबा कर बोलें । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना पान पहले थूक कर आयें और फिर ठीक तरह से बोलें ।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आइन्दा शायद मेरे मुंह में आपको पान नहीं मिलेगा लेकिन उनका क्या होगा जो गलीचों पर थूकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब छोड़िये भी पान का मसला ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं तो यही कहूंगा कि एक रोज की सजा काफी है और उसके उपरान्त भी वह जिद्द करते हैं तो मैं समझता हूं कि 15 दिन की सजा देकर सदन की परम्परा को कायम रखा जाये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों ने पर्चे कल सदन में फैंके, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने गलत तरीके का कार्य किया है और यह मौका क्यों उपस्थित हुआ सदन के माननीय सदस्यों ने उन मुद्दों के ऊपर वैधानिक ढंग से स्थगन प्रस्ताव यहां सदन में रखा था लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस लचरपूर्ण तरीके से जो वक्तव्य दिया था उसके कारण राजस्थान के अन्दर यह मूल समस्यायें हैं और वह समस्यायें हल नहीं हो पायीं और यह समस्यायें हल नहीं होने के कारण तेल की समस्या जिसको हल किया जाना चाहिये और जिसके कारण से विद्यार्थी अपना अध्ययन नहीं कर सकते और उनके अध्ययन पर आघात पहुंचता है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप फिर स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनकी भावनाओं को ध्यान में रख कर उनमें भाव पैदा हुए कि राज्य सरकार वैधानिक ढंग से रखे गये स्थगन प्रस्ताव के ऊपर भी गंभीरता से लेकर नहीं चलती है तो फिर उनके पास और रास्ता ही क्या है ?

श्री मदनसिंह : वह राजस्थान के नहीं हैं । राजस्थान के बाहर के हैं । कोई स्टूडेन्ट्स नहीं हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसके कारण उनमें रोष पैदा हुआ । उसके कारण से उन्होंने यह कार्य किया । मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूं और न मेरा दल उसको अच्छा समझता है । माननीय अध्यक्षजी, आपको सदन ने अधिकार दिया था और आप उसके ऊपर अपना निर्णय दे सकते थे लेकिन उसके उपरान्त भी आपने इस सदन के अन्दर रखा और साथ ही साथ आपने भाव भी रखे क्योंकि तीनों नौजवान लड़कों को भी जिनको कल से जुडिशियल लॉकअप में रखा है वह सजा ही पर्याप्त है । मेरी भी यही मान्यता है कि उन्होंने कोई भयंकर अपराध किया हो जिसके कारण से 15 दिन की सजा दी जाये मैं उससे सहमत नहीं हूं । आपने भावनायें जो सदन के अन्दर रखी हैं वह पर्याप्त हैं और कल से जो उनको जुडिशियल लॉक-अप में रखा और दण्डित किया है वह पर्याप्त है और आज उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, यह मेरी राय है ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक .

श्री मनोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भी अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे चाहे आप थोड़ा ही टाइम दें लेकिन हम जरूर बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन ने आपको इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार दिया था और आपने उनको अपने कक्ष में बुलाया और उनके बयान लिये। उस समय भी सदन की यह राय थी कि माफी मांगले तो उनको छोड़ दिया जाये और यह सारे सदन की राय की जानकारी भी आपने उनको दी।

मगर इसके विपरीत भी उन लोगों ने सदन की गरिमा को कायम रखने के लिये और जिस प्रकार का अपमान कल यहां पर किया गया उसके लिए किसी प्रकार का खेद प्रकट करने की इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं की और उसके बाद में जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया, और आज सदन के सामने वह सारी परिस्थिति उनको सजा देने के सम्बन्ध में या माफ करने के सम्बन्ध में जो भी विचार सदन में हो आपने यहां पर रखा है। मैंने जो प्रस्ताव यहां पर रखा था उसमें कहा था कि उनको 15 दिन की सजा दी जाय, क्योंकि उन्होंने सदन का भारी अपमान किया है। आपने बाद में, माननीय अध्यक्षजी, जिस प्रकार के विचार यहां पर प्रकट किये हैं कि कल जो जुडिशियल लॉकअप में रखा है उसी को सजा मानकर उनको छोड़ दिया जाय, तो मेरे ख्याल में हमको इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, और आपने जो सुझाव दिया है उसको हाउस स्वीकार कर ले।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, एक-एक लाख की गाड़ियों में बिराजकर पधारते हैं इनको पता नहीं कि केरोसीन की कितनी तकलीफ है, क्योंकि इनके यहां तो बिजली के हीटर जलते हैं और पैसे नहीं लगते हैं चाहे कितनी ही बिजली जलाओ, लेकिन जो केरोसीन जलाते हैं और कोयला जलाते हैं और रेजगारी लेकर सब्जी लेने जाते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती है। लोगों की असुविधा को देखकर उन्होंने यह काम किया था और उनको करना पड़ा। जो सजा आपने फरमाई उससे मैं सहमत हूं। वह पर्याप्त है। उनको सजा दी जाय, लेकिन जिनके कारण यह स्थिति आगई है कि कोयला नहीं मिलता है, केरोसीन नहीं मिलता है तो कुछ सजा उनको भी मिलनी चाहिए जिन जिन के कारण यह हुआ है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्षजी, दर्शक दीर्घा से कुछ परचे फेंकने की कल एक घटना हुई, उस घटना के सम्बन्ध में, यहां पर प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सारे सदन की राय से उस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार आपको सौंपा गया। आपने सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान लिये और उसके बाद में आपने यह उचित समझा कि सदन के सामने यह केस पुनः प्रस्तुत किया जाय, यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं थी। सदन ने अपनी पूर्ण सहमति से आपको प्राधिकृत किया था। उस दृष्टि से आपको स्वयं को उसका फैसला जिस भावना को आपने यहां व्यक्त किया वह या बिल्कुल छोड़ देते या जो कर देते उस समय इस सदन को आपत्ति होने का प्रश्न नहीं था। लेकिन आपने न मालूम क्यों यह आवश्यक समझा कि यह सदन इस पर निर्णय करे। जब यह प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है अपनी भावनाओं के साथ मैं तो, इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

(श्री दौलतराम सारण)

यह सही है कि सदन की प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत यह कार्य जो किया गया वह व्यवधानकारक था, कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाला था और नियमों को भंग करने वाला था, इसलिए वह अपराध की सीमा में आता है लेकिन नियम और प्रक्रियाएं समाज की व्यवस्था या किसी संस्था की व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए बनाये जाते हैं। नियमों के लिए समाज नहीं है समाज के लिए नियम और प्रक्रियाएं हैं। इसलिए नियम और प्रक्रिआओं की अवहेलना नियम बनाने वाले, प्रक्रियाएं निर्धारित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं की अवहेलना लगातार करें, उसका अनुपालन नहीं करें तो उसकी प्रतिक्रिया, उसकी छाया स्वाभाविक रूप से अन्य सामान्य नागरिकों पर ऐसी पड़ती हैं। हम देखते हैं कि जो लोक महत्व के, अविलम्बनीय लोक महत्व के उनके प्रश्न प्रतिदिन जन-प्रतिनिधियों की ओर से पेश किये जाते हैं परन्तु उन प्रश्नों को यह सरकार बिल्कुल उपेक्षा के भाव से नजरअन्दाज कर देती है। अध्यक्षजी, इस सम्बन्ध में हम प्रतिपक्ष के लोग चिन्ता व्यक्त करते हैं, जनता की भावनाओं, असन्तोष और रोष का विवरण रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन शासक दल उसको नजरअन्दाज करता है और उसी का परिणाम है कि जन-सामान्य की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं उनसे विक्षुब्ध होकर उनमें असन्तोष बढ़ता है। वह असन्तोष, निराशा का भाव हिंसा का स्वरूप लेता जा रहा है, और लोगों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। इसलिए ऐसा है कि नियमों और प्रक्रियाओं का अगर सम्मान करवाना है, इस सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का सम्मान करवाना है तो यह सदन शासक दल को जो नियमों और प्रक्रियाओं के सम्मान की रक्षा करने वाला है, समाज के नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान पैदा कराने वाला है उस पर उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी डालें। अगर यह शासक दल नहीं करेगा तो यही परिणाम होगा। प्रक्रियाओं और नियमों की दुहाई देने वालों से नियमों और प्रक्रियाओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती है तो यही परिणाम आयेगा। इतिहास से सबक लें..

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्षजी, मैं समाप्त कर रहा हूं। एक अवसर दिया है तो मुझे अपनी भावना व्यक्त करने दें। मेरी भावना व्यक्त नहीं हुई तो इसके साथ न्याय नहीं करूंगा। आप न्याय में सहयोग की बातचीत करते हैं इसलिए मैं मेरी भावनाओं के साथ इस न्याय में सहयोग देने की चेष्टा कर रहा हूं।

इसलिए, अध्यक्षजी, मैं आपको इसमें निवेदन कर रहा था कि अगर हम प्रक्रियाओं और नियमों का सम्मान सारे समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो हमें समाज की समस्याओं के प्रति उनको शिकायत का स्वरूप नहीं समझकर, उनको अपने लिए अपमान की बात नहीं समझकर विरोधी पक्ष की तरफ से समस्याएं सामने आयें तो उनके निराकरण का, उनके समाधान का उपाय करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती है। अगर ऐसी स्थिति होती तो यह बात न होती।

(श्री दौलतराम सारण)

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह से अपने अभाव-अभियोग न रखते। जन-साधारण जो मिट्टी के तैल के चिराग जलाते हैं उनको कितनी बड़ी तकलीफ है.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी डिबेट के विषय को लें।

श्री दौलतराम सारण: यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, और यह घटना है अभिव्यक्ति सारे समाज के अभावों की और सारे समाज के अभावों के प्रति की गई उपेक्षा की अभिव्यक्ति है। मैं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस घटना को साधारण नहीं मानता हूं। मैं इस घटना को ऐतिहासिक घटना मानता हूं यह सदन का अपमान नहीं है समाज के प्रति की गई उपेक्षा का प्रदर्शन इस सावरेन बोडी के सामने है। इस लाइट में इसको लेकर समझना चाहिए। आप इनको सजा दे दें। 15 दिन की दे दें चाहे महीना भर की दे दें, चाहे जुडिशियल कस्टडी को सजा पर्याप्त है मानकर छोड़ दें। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। इतने से ही इस सदन की अवमानता बन्द नहीं हो जायगी, प्रक्रियाएं और नियम सुरक्षित नहीं हो जायेंगे। अध्यक्षजी, अगर इस सदन की सत्यरूप से गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित करना है तो मैं शासक दल से निवेदन करूंगा कि अपने दृष्टिकोण को बदले, समाज के प्रति अपने दायित्व को महसूस करे। अगर करेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा अन्यथा विधान सभा में ऐसी स्थिति बनती जायेगी और इस सदन के नियम हैं और प्रक्रियाएँ समाज को गौरव प्रदान नहीं करेंगी।

श्री अध्यक्ष : आपने.........

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपको बेचैनी नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बेचैनी इसलिए है कि समय ज्यादा हो गया है।

श्री दौलतराम सारण : जनता के साथ खिलवाड़ क्यों होता है ? इस परचे में यह लिखा है "सत्ता से चिपके लोगों जनता के साथ खिलवाड़ क्यों मिट्टी का तैल, कोयला और रेजगारी की समस्या हल करो" यह इसमें लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आगे और पढ़ दें और भी तो है। अब स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : अगर जन समस्याओं की उपेक्षा करते हैं... ....

श्री नत्थीसिंह : नीचे का तो संकेतक के लिए है।

श्री दौलतराम सारण : जनता की समस्याओं की उपेक्षा करते हैं तो फिर यहां जो सारी चर्चा होगी वह बेकार जायगी इसलिए केवल गप्प होगी। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। उसका परिणाम नहीं आता है।

इसलिए अध्यक्षजी, कुछ नीचे भी लिख दिया है तो मैं उसको इस संदर्भ में लेता हूं। इसका साइंटिफिक विश्लेषण करके, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके इन समस्याओं को लेना चाहिए और समाधान के लिए मैं यह प्रश्न उपस्थित करता हूं कि मैं इनको सजा देना उपयुक्त नहीं

(श्री दौलतराम सारण)

मानता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज के लिए बने नियम और प्रक्रियाएं समाज के नीचे हैं.....

श्री अध्यक्ष : आपने पूरा भाषण इसी प्रकार का दिया है ।

श्री दौलतराम सारण : समाज की समस्याओं का समाधान करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बाफना । संक्षेप में कृपया ।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। एक कानूनकी लड़ाई होती है और एक न्याय प्राप्ति की लड़ाई होती है। मेरा यह मानना है कि कानून यह गलत किया है। लेकिन न्याय प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है । न्याय की दृष्टि से कोई अपराध नहीं किया है कानूनी दृष्टि से अपराध किया है । आपका सुझाव माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है । जितना हुआ वह काफी है । यह उन्होंने समाज के लिए किया है । उन्होंने न्याय प्राप्ति के लिए किया है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता माडलगढ़ : (कुछ लोगों के हंसने पर) आप हंसते क्यों हैं ? वह ठीक कहते ह ।

श्री विजयसिंह : यह अपने विचार प्रकट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : इसलिए कानून की दृष्टि से देखा जाय तो जो कुछ हुआ है वह पर्याप्त माना जाये।

श्री मदनसिंह : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्ज देखी जाये । सारे सदन ने यह कहा था, माफी मांगें तो माफ कर दिया जाय । सदन का जो लक्ष्य है बाद में क्या बहस हो रही है, सदन की कार्यवाही देखिये । उनको माफी दे दी जाय अगर वह माफी मांग लें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

आपने इस प्रश्न पर डिबेट आरम्भ कर दी है । प्रश्न बहस का नहीं है बहुत थोड़े समय में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं । इसके महत्व को, सदन की गरिमा को देखते हुए, उन्होंने इस प्रश्न को हल करने के लिए मुझ से कहा है । मैंने इस सारे प्रश्न को देखते हुए सजा के प्रश्न पर ही यह रेफरेंस सदन को किया है जिसका मतलब यह नहीं है कि माननीय सदस्य, सजा के प्रश्न के साथ सारी स्थिति पर बहस में अधिक से अधिक समय ले लें । मैंने जो सुझाव दिया है, वह गलत सुझाव नहीं दिया है और जो सदन उपयुक्त समझे । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सदन उस पर निर्णय ले । इस समय वह जुडिशियल लॉकअप में है । एक घंटा बहस में ले लेंगे तो एक घण्टा और बढ़ जायेगा । यह जो भावना माननीय सदस्य व्यक्त कर रहे हैं, यह अन्य समय पर व्यक्त की जा सकती है । जो भावना व्यक्त की गई है, वह पर्याप्त है । मैं डिबेट अलाऊ नहीं रखना नहीं चाहता हूं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, मंहगाई, एवं अन्य पदार्थों के अभाव वाले जो हैं, अन्य

(श्री अध्यक्ष)

समय पर भी व्यक्त कर सकते हैं। कृपया सहयोग देकर इसे समाप्त करें।

श्री नरसीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने शुरू में एक आपत्ति उठाई थी। अब आपने फरमाया है कि सजा दी जाये या न दी जाये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहला मौका है कि किसी को जुडिशियल लॉकअप में रहने की सजा दे रहे हैं। वह पूरी हो गई है। मेरा कहना है कि एक दिन की सजा मानलें तब उनको मुक्त किया जाये। उनको सजा दी जाये और मुलजिम को सुना नहीं जाये। यह सदन कैसे समझेगा ? यह सदन पहले ही कह रहा है कि जो आप उपयुक्त समझें, वह सजा दें। लेकिन आप जज के रूप में काम करें तो यह गलत परम्परा होगी और सजा देने का विकल्प रखते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उनको सदन में बुलाया जाये। अगर सजा नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ देना चाहिए। वह स्थिति विपरीत होगी।

श्री अध्यक्ष : जो मैंने निवेदन किया है कि उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया है। सदन ने यह कहा था कि खेद प्रकट कर दें तो माफ कर दिया जाये। मैंने कहा है कि उन्होंने सदन का अपमान करना तो स्वीकार किया है। मेरी फाइन्डिंग्स यह है कि वह दोषी हैं। उस अपराध में दोषी होते हुये भी सजा नहीं दी जा सकती है। जैसा कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट के यहां से केस यदि दूसरे मजिस्ट्रेट के यहां ट्रान्सफर हो तो *Denovo* कार्यवाही आरम्भ होती है अब कानून में अमेण्डमेन्ट हो गया है। अतः फिर से कार्यवाही नहीं होती है। मैंने यह उस सन्दर्भ में व्यक्त किया है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सजा का है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी सदन डिसीजन करे वह यूनैनीमस ही करे अगर सदन चाहे तो उसे छोड़ ही दिया जाये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि सदन की ओर से आप को अधिकृत किया गया था कि आप उन्हें सुनलें और जो भी आप उपयुक्त समझें, अगर वह क्षमा मांगता है तो ठीक है। सदन की ओर से आपने सुन लिया। अब सदन के समक्ष आपने रख दिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने जो बात रखी है सदन के समक्ष, उसको स्वीकार कर इसको यहीं समाप्त कर दिया जाये। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी है। आपकी फाइन्डिंग्स यह है कि वह दोषी है। चाहे महीने की सजा दें, 15 दिन की दें। दोषी है, यह फाइन्डिंग्स है। यह फाईन्डिंग्स सदन की है। इसलिए यह कहा गया था कि वह क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दिया जाये। अगर वह क्षमा नहीं मांगे तो सजा आप दें। यह भावना व्यक्त की गई थी। आपने यह व्यक्त किया है कि वह दोषी है। आपकी राय में दोषी है। तो जब तक वह जूडिशियल लॉकअप में है तब तक के लिए सजा मानलें। इसके बारे में आपकी जो राय है, वह मानली जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय......

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है, मैं उस पर सहमति व्यक्त करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न यह खड़ा करना चाहता हूं और उस व्यवस्था के प्रश्न को खड़ा करने से पूर्व आपसे नम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार है, व्यवस्था के प्रश्न की काटौती करने या उत्तर देने का काम आपका नहीं है, वह सरकारी पक्ष की ओर से या तो मिनिस्टर फोर पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स का है, या उनकी अदम मौजूदगी में मुख्य सचेतक का है। इसलिए मैंने जो संकेत दिया है उसको थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कल लगभग इसी समय इन तीन माननीय नागरिकों को इसी दर्शक दीर्घा में पर्चे फेंकने के अपराध में सार्जेन्ट-एट-आर्म्स ने गिरफ्तार किया था। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 22 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं—

"Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest Magistrate within a period of twenty four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a Magistrate."

संविधान की धारा 22 में यह लिखा है, यह किसी कानून में नहीं लिखा, बल्कि संविधान में लिखा है, जो संविधान सभी कानूनों की जननी है। उसमें यह लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद चौबीस घण्टे के अन्दर 2 मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन तीन व्यक्तियों को कोई सजा अभी तक नहीं दी गई है, इन तीन व्यक्तियों को सार्जेन्ट-एट-आर्म्स ने अपनी हिरासत में लिया और सायंकाल सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् उनको जुडिशियल लोकअप् में भिजवा दिया गया। मैं यहां पर यह प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि चौबीस घण्टे समाप्त हो गये अथवा पन्द्रह मिनिट में समाप्त हो जायेंगे। मेरी यह मान्यता है कि अब पन्द्रह मिनिट के पश्चात्, जिस समय चौबीस घण्टे समाप्त हो जायेंगे, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किये हो गये, उनको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया तो क्या यह तीनों व्यक्तियों को संविधान की धारा 22 के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त नहीं, क्या उनका डिटेन्शन इल्लिगल नहीं, जुडिशियल लोकअप् में उनका डिटेन्शन विदाउट प्रॉडक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट इज नाट अनकान्स्टीट्यूशनल और इल्लिगल। अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक अथवा मिनिस्टर फोर पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स, जो साधारणतया बीमार रहते हैं, इस संदर्भ में यह चाहेंगे कि इस सम्बन्ध म कोई ऑथोरिटी चाहें तो मैं आपके सामने एक ऑथोरिटी पेश करना चाहता हूं, वह ऑथोरिटी किसी हाई कोर्ट की नहीं है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह ऑथोरिटी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ऐसे ही एक व्यक्ति को बम्बई में गिरफ्तार किया गया था और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने वहां से वारण्ट निकाला था, उस सिलसिले में मामला था। उस सम्बन्ध में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हैबिअस कोरपस पिटीशन दाखिल की गई, उस पर जो जजमेंट, जो फैसला दिया गया उसमें पातंजलि शास्त्री, चीफ जस्टिस, अन्य जस्टिस थे, महाजन, बी० के० मुखर्जी, एस० आर० दास, चन्द्र शेखर एय्यर :

"This is an application under Article 32 of the Constitution of India complaining that one Shri Homi Dinshaw Mistry is under illegal detention and praying that he be released forthwith. The petition alleges that Shri Mistry was arrested in Bombay on the 11th March, 1952 and taken in custody to Lucknow to be produced before the speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly to answer a charge of breach of privilege. It is further alleged that Shri Mistry was not produced before a Magistrate within 24 hours of his arrest but is still kept in detention in the Speaker's custody at Lucknow. The Attorney General admits before us that this allegation is well founded, that is to say, that since his arrest on the 11th March, Shri Mistry has not been produced before a Magistrate. This is a clear breach of the provisions of Article 22 (2) of the Constitution of India which is quite preemptory in the terms."

"No such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a Magistrate."

"(2) In view of the admitted facts, it is perfectly clear that this provision of the Constitution has been contravened and the said Mr. Mistry is entitled to his release."

अध्यक्ष महोदय, यह प्रॉविजन इस संविधान का है और यह रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। सरकारी पक्ष से उत्तर इस सम्बन्ध में मैं पहले चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय (कई माननीय सदस्यों द्वारा बैठने के लिए कहने पर) लीगल पॉइन्ट है। ठहरने की क्या बात है। आप अपने अपने सदस्यों पर काबू रखें।

अध्यक्ष महोदय, कोई मतलब नहीं है, यह लीगल चीज है (कुछ माननीय सदस्यों द्वारा टोकने पर) आपने ठेका नहीं ले रखा है किसी चीज का।

अध्यक्ष महोदय, अगर कान्स्टीटयूशन ऑफ इण्डिया में यह भी लिखा है, तो कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में असेम्बली को क्या पावर दी है, अगर ऐसी हरकत हो जाती है ? मेरा यही एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !

श्री मदनसिंह : कोर्ट को अलग पावर है और स्पीकर की अलग पावर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (अध्यक्ष महोदय के खड़े होने पर) : मैंने पहले निवेदन किया था !

श्री अध्यक्ष : अधिक समय नहीं लगें...

श्री मदनसिंह : आप मिनिट मत करो। हमें इसका जवाब लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : कान्स्टीटयूशनल पाइन्ट है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर! आर्डर!

श्री मदनसिंह : विधान सभा में या तो केवल वकील बैठने दीजिये और वकील जो आते हैं उनको बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅडर । मैं इजाजत दूंगा आपको बोलने की। आप स्थान ग्रहण करें।

जो यह प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया, उस पर वाद-विवाद में समय खर्च करने के बाद व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दूं, यह ठीक नहीं है। अपराधी क्योंकि 1 बज कर 10 मिनिट पर कल गिरफ्तार हुए थे आधा पौन घण्टे के बाद 1.10 का का समय हो जाता है और यह प्रश्न दूसरा पेचीदा होता जा रहा है। इसलिए मैं डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा। मैं पहले अपने आपमें संतुष्ट कि 1 बज कर दस मिनिट पूर्व मुझे.........

श्री मदनसिंह : यह सही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं अपना.........

श्री मदनसिंह : आपको पावर हैं, वह पावर जरूर है कि सजा देकर छोड़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

किसी, हर प्रश्न के दो पहलू हुआ करते हैं। वह पहलू, जो मुफीद अपराधी हो, उसी को लिया जाना चाहिए। यदि उसके विरुद्ध जाता है उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न है, इसकी कानूनी स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, मैं उसकी पेचीदगी में अभी नहीं जाना चाहता हूं। यह सेफ साइड है उसको ले लेना चाहता हूं। इसलिए........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेफ साइड दो ही है, मजिस्टेट के सामने प्रोड्यूस करें या छोड़ छाड़ कर छुट्टी करें।

श्री अध्यक्ष : मेरे आदेश । आॅर्डर प्लीज ! क्योंकि मेरे आदेश से वे कस्टडी में लिये गये थे, इसलिए मेरे आदेश से वे मुक्त किये जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यही कहा।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद जो प्रश्न आपका रहता है, और वह भी माननीय (अपराधी) नागरिकों और बड़े सम्माननीय आपके शब्दों में, जिन्होंने किसी आधार, किसी मान्यताओं के आधार पर कुछ किया है, उनके भाग जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसलिये मैं यह आदेश देता हूं, वह अभी मुक्त कर दिये जायं। फिर आपका प्रश्न चलता रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न क्या बाकी रहता है ।

श्री मदनसिंह : आपने मुक्त कर दिया। मैं फिर कहता हूं कि पर्चे फेंके जायं इसमें इजाजत होगी ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । आपसे दायित्वपूर्ण बात की अपेक्षा करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दे दिया है कि उनको मुक्त कर दिया जाय। इसलिए मेरा जो व्यवस्था का प्रश्न है, मैं सरकार को सुनना चाहता हूं कि सरकार को क्या कहना है । आप निर्णय बाद में दें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि निर्णय इस........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let the Government say something.

श्री अध्यक्ष : I will not allow any debate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Why they are sitting here like deaf and dumb and why we are spending ten thousand over Chief Whip and the State Minister for Parliamentary affairs.
संसदीय मामलात के मंत्री को पांच हजार देते हैं, मुख्य सचेतक को पांच हजार देते हैं, उन पर इतना खर्च करते हैं, तो वह जवाब दें इस प्रश्न पर । उनको उत्तर देना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : देने को तैयार हूं, अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें तो ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह तो मैंने इन्टरीम रिलीफ दिया है। इस प्रश्न पर निर्णय देना अवशेष है । अब गवर्नमेन्ट जवाब देना चाहे तो दे सकती है ।

श्री नत्थी सिंह : आपने मुक्त कर दिया, अब सवाल नहीं रहता। आपने मुक्त कर दिया, जमानत दी नहीं, मुचलके दिये नहीं और मुक्त कर दिया।

श्री मदनसिंह : मुक्त कर दिय लेकिन........

श्री नत्थी सिंह : आपने आदेश दे दिया है कि मुक्त कर दिया गया । अब सवाल नहीं रहता है ।

श्री मदनसिंह : सवाल रह गया है ।

श्री अध्यक्ष : दोष से मुक्त नहीं हैं ।

श्री मदनसिंह : कैसे ?

श्री अध्यक्ष : कस्टडी से मुक्त हैं।

श्री मदनसिंह : कस्टडी से मुक्त करने वाले नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह कर लीजिये, जो भी इन्टरप्रिटेशन करना चाहें ।

श्री मदनसिंह : We can review..

श्री देवीदत्त गाड़िया : कस्टडी से मुक्त कर दिया तो कहां वह रहेंगे.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं और व्यवस्था। इसलिए मैं उस प्रश्न पर निवेदन कर रहा था। माननीय सदस्य और कुछ उस पर प्रकाश डालना चाहें तो डालें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डालना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। उसके बाद ट्रेजरी बैंचेज कहना चाहें तो कहें। उस पर व्यवस्था अलग रूप से देऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार का उत्तर सुन कर—आपने आदेश दे दिया, जुडिशियल कस्टडी से मुक्त कर किया जाय और मैंने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया था उसको अपहोल्ड कर लिया है एक प्रकार से अब सरकार का उत्तर सुनना चाहते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सतीशचन्द्रजी ने सेक्शन 22 ऑफ दी कान्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया के तहत जो उन्होंने बात कही कि 24 घन्टे बीतने के बाद में उन्हें किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जो आज्ञा दी थी 24 घन्टे के अन्दर उन्होंने उनको दोष से मुक्त नहीं किया बल्कि हिरासत से मुक्त किया। इसलिए वह प्रश्न पैदा नहीं होता है। दूसरा प्रश्न यह है विधान सभा या लोक सभा में जो आदमी कसूर करता है वह विधान सभा या लोक सभा की मानहानि करता है, उस संबंध में एक्शन लेने का अधिकार किसी मजिस्ट्रेट को नहीं है, बल्कि विधान सभा या लोक सभा को हैं, जिसका वह अपमान करता है। इसलिए जिन आदमियों ने इस विधान सभा का अपमान उस संबंध में निर्णय लेना, उनको दोषी समझकर दण्ड देने का अधिकार विधान सभा को है न कि और किसी मजिस्ट्रेट को। इसलिए जो आपत्ति माननीय सतीशचंद्रजी ने उठाई है वह यहां पर लागू नहीं होती क्योंकि वह इस विधान सभा का अपराधी है। वह अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं और उन्होंने उनको दोषी मान लिया। उसके बाद में सवाल सिर्फ आता है कि उनको कितनी सजा दी जाए, किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, इसलिए 24 घन्टे के अन्दर कस्टडी से मुक्त कर दिया है। अब सजा कितनी दी जाए और किस तरह से इसका फैसला किया जाए। पहले भी आपने सुझाव रखा था कि जिस तरीके से आपने फरमाया कि उनको जितने समय के लिए कस्टडी के अन्दर रखा गया है उसी को ही सजा मानकर मुक्त कर दिया जाए। इसी बात को लेकर मेरा प्रस्ताव है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा था उसी को मानकर हम उतनी सजा कायम कर दें जितना वे कस्टडी के अंदर रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया था वह संविधान की धारा 22 के अन्तर्गत जिन 3 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया गया और जिनको जुडिशियल लॉकअप में रखा गया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न था कि संविधान की धारा 22 के अन्तर्गत उनको किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घन्टे के अन्दर पेश किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनका इल्लीगल डिटेन्शन है और उस आधार पर मैंने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया। उस समय मैंने निवेदन किया था......

श्री गिरधारीलाल व्यास : अपनी बात आप रिपीट कर रहे हैं। व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय होना चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने क्या जवाब दिया? उन्होंने यह कहा कि चूंकि अध्यक्ष महोदय ने मुक्त करने का आदेश दे दिया....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने कहा आर्टीकल 22 लागू नहीं होगा। प्रश्न पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, उन्होंने बयान ले लिए हैं दोषी समझकर आपके सामने प्रस्तुत किया है......

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मदनसिंह : विदिन दी टाइम।

श्री अध्यक्ष (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से): कुछ अधिक कहना चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विरोधी दल का काम सरकार को एक्सपोज करने का है। मैंने इस सरकार को टू दी टिल्ट जो एक्सपोज किया, यह सरकार वुडिन हैडेड सरकार है। जो ऑथोरिटी मैंने साइट की जो प्रोपोजीशन ऑफ लॉ 54 सुप्रीम कोर्ट साइट किया दिस हैज बिन ओवररूल्ड इन 1960 सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये कितने भारत के प्रति अज्ञात हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप ऐसी रूलिंग न दें कि जब वह रूलिंग हिन्दुस्तान में जाए तो हिन्दुस्तान के लोग हंसे कि राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष ऐसे हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि आपके नोटिस में लाऊं। इसलिए फर्ज समझकर आपके नोटिस में लाया हूं। 1960 सुप्रीम कोर्ट में ओवररूल कर दिया गया है 1954 सुप्रीम कोर्ट में जो व्यू पाइंट होल्ड किया गया है। This is erroneous and this will not apply. इसलिए आपकी रूलिंग हो, इस संबंध में हिन्दुस्तान में जाय, वे लोग यह न समझें कि सरकार तो मूर्ख थी लेकिन सदन की प्रेस्टिज आप में निहित है। इसलिए मेरा फर्ज है कि....

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): आप पर एप्लाई होता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह स्वयं भी इसी तरीके के हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं आपने जो रूलिंग साइट की थी और उस रूलिंग के माध्यम से उसको नोट लेने का आपने आग्रह किया था। उसी रूलिंग के लिए आप कहते हैं कि ओवररूल हो गया, यह प्रश्न है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बैठें तो मैं कहूं। मैंने जो पढ़कर सुनाया वह कमेंटरी थी और वह थी ऑथोरिटी। इसलिए शुरू में ही मैंने निवेदन किया था कि आप इस संबंध में निर्णय कभी न दें। मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर सरकार की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तरफ से उत्तर आए। उत्तर आने के बाद फिर मैं कहूंगा। उसके बाद आप अपनी व्यवस्था दें। यह मैंने नम्र निवेदन आपसे व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय कर किया था। वह रूलिंग अपनी जगह पर है, दूसरी रूलिंग मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह जानना चाहता था कि जो रूलिंग आपने साइट की थी। अब उस संबंध में आप यह फर्मा रहे हैं कि वह ओवररूल हो गई....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं नहीं। यह मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने अभी क्या कहा था ? स्पीकर को अपमानित करने की भावना से माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने...

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : गलत, झूठ बोलते हो।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए।

श्री मदनसिंह : अपमानित करने का कोई सवाल नहीं है....

श्री हरिदेव जोशी : आपने भी कहा रूल एप्लाई नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप समझते हैं नहीं।

(शोरगुल)

अपनी बातों को छिपाने के लिए अध्यक्ष महोदय, को अपमानित करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जब व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया उसी समय मैंने निवेदन किया था कि इस संबंध में आप कोई निर्णय दें उससे पहले सरकार की तरफ से उत्तर आए। इसलिए मैंने जानबूझ कर कहा कि मैं कभी नहीं चाहता इस बात को कि आसन की तरफ से गलत निर्णय हो जाए जिसके संबंध में मुझे तथ्य की जानकारी हो तो चेयर को मिस्गाइड करने वाली बात हो इसलिए आपने कहा इस व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दे देता हूं then I thought it my duty to rise.

श्री हरिदेव जोशी : इसको कोट कर दिया। बाद में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने कहा अध्यक्ष ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे इसलिये मैंने यह कहा। आप अध्यक्ष को इग्नोरेंट साबित करके और इस सदन के सामने लेटाउट करना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ने कोई गल्ती नहीं की। मुक्त करने के आदेश दिए हैं चाहें तो वह स्टे कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपका इन्टेन्शन क्या था ?

(दोनों साथ साथ बोलने लगे)

Page No. 51

(श्री हरिदेव जोशी)

सदन के एक एक पार्टी से एक एक सदस्य को लेकर एक कमेटी बनाकर और माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसको एग्जामिन कर लिया जाए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने इस संबंध में इसलिए पूर्व में निवेदन कर दिया था ।

श्री हरिदेव जोशी : कमेटी की बात को वापस लेते हो । केवल आप एग्जामिन करा लें इस बात को, उससे क्या साबित होता है ?

श्री हरिदेव जोशी : लीडर ऑफ ओपोजिशन और जनसंघ पार्टी के लीडर जो कुछ कहें उसी को आप एग्जामिन करलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतने बेताब क्यों हो रहे हैं । आप पहले कानून की स्टडी करके आवें ।

श्री हरिदेव जोशी : उस सारे कथन को लीडर ऑफ ओपोजिशन और जनसंघ पार्टी के लीडर स्वयम् ही एग्जामिन कर लें कि उससे क्या भावना निकलती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ हुआ वह हुआ इस समस्या को यहीं पर खत्म कर दिया जाय । जो कुछ निर्णय दिया उसको हम सर्वमान्य मानते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : सारे सदन ने किया है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर । न तो यहां सदन में शब्दों का तोड़ने-मरोड़ने आते हैं और न ही किसी को कमजोर समझ कर अपनी विद्वता ही छांटने आते हैं । कोई रूलिंग ओवररूल कर दी गयी है उसको यहां कोट करना यह कन्टेम्प ऑफ कोर्ट है । जजेज के सामने ओवररूल की हुई रूलिंग को साइट करना - जजेज अपने को अपमानित अनुभव करते हैं। मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न करना चाहता हूं । वे एडवोकेट भी हैं । उन्होंने सदन के 15 मिनट ले लिये और सदन का इस दृष्टि से उन्होंने कन्टेम्पट किया हैं इसलिये या तो वे माफी मांगें । आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? मुझे समझ में नहीं आता है । मैं माफी चाहता हूं आपने जो कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस किया है उसके लिये माफी मांगें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सतीशजी हों या और कोई हों । सुप्रीम कोर्ट में भी एक रूल को कोर्ट करते हैं और दस दिन बाद उसी किताब को देखते देखते दूसरी रूलिंग को देख लेते हैं और दूसरी चीज आ जाती हैं और चेयर को यह कह कर कि पहले वाली केन्सल करके दूसरी को स्वीकार किया जाय, चेयर इस किताब को देखें, एक चीज पहले कोट की जाती है और फिर अमेन्ड हो जाती है, इसलिये यह कहना कि माफी मांग लें that is not proper, not appropriate.

यह कहना कि माफी मांगे यह उचित नहीं है। अध्यक्षजी ने निर्णय दे दिया इसलिये अध्यक्षजी पर कोई ऐसी चीज आने की नौबत नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्षजी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं स्पष्टीकरण कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद कर लीजिये।

अपराधियों को आपके सम्मुख रखा और उसके बाद कस्टडी से मुक्त करने के आदेश दिये। आदेश जो दिये गये वह जस्टिस, इक्वीटी एण्ड गुड कॉन्शियस के आधार पर दिये गये। यह सदन रिजिडिटी ऑफ जस्टिस और रिजिडिटी ऑफ लॉ से गाइड नहीं होता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इन्टु लॉ एण्ड रूल्स को देखता है। सिद्धान्त यह है कि 24 घंटे के बाद उसको रिमान्ड के लिये प्रस्तुत किया जाय। उस सन्दर्भ में चूंकि 24 घंटे निकल रहे थे यह प्रश्न मेरे भी दिमाग में था। जब मैंने यह प्रश्न माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा तो मैं यह समझ रहा था कि यह प्रश्न दस मिनिट में ही तय हो जायगा इसलिये 24 घंटे का प्रश्न मेरे सामने उपस्थित नहीं होगा लेकिन जब मैंने यह देखा कि केवल यह प्रश्न ही 24 घंटे ले सकता है तो मैंने यही उपयुक्त समझा।

यहां सन् 57 का रूलिंग ओवर रूल हुई या नहीं यह तो माननीय सदस्य जो वकालात करते हैं और जो साइटेशन यहां प्रस्तुत कर देते हैं, उनको देखना है यह मेरा काम नहीं। These are the citations of Court and Supreme Court. यह सदन सोवरिन है। यह सदन नियम बना सकता है अपने स्तर पर। माननीय नागरिकों की यहां पर ट्रायल हुई वह अदालती ट्रायल जो कानूनी पुस्तकों में लिखी हुई है उसका स्कोप और हमारा प्रोसीजर अलग है। यह प्रश्न तो कल ही तय कर लेना चाहिये था। यही इसका कॉग्नीजेन्स लेकर हमारा प्रोसीजर अलग है जस्टिस करने का। उस पृष्ठभूमि में मैंने जो यहां रूलिंग दिया वह महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न था। और यहां साइटेशन दिये गये रूलिंग और आर्टिकल्स 22 को देख कर कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने क्या निर्णय लिये और उनकी छानबीन करके मुझको निर्णय देना चाहिये था या अभी निर्णय देता। यह प्रश्न नहीं है क्योंकि प्रश्न बड़ा है। बाद में देना इसलिये रखा है। यह सदन का प्रश्न है मेरा नहीं। क्या रूलिंग साइट किये गये, वे ओवररूल्ड थे या नहीं उसके सम्बन्ध में क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया उस स्तर पर मैं डिसीव नहीं हुआ हूं।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

सदन का प्रश्न सदन के सम्मुख है। "रूल्ड आउट" यह उल्लेख नहीं किया जाता तब भी अपने ऑब्जेक्शन देता।

श्री हरिदेव जोशी : क्षमा कीजिये।

श्री नाथोसिंह : आसन खड़ा है। आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष: इसलिये मूल प्रश्न जो है वह सदन का प्रश्न है। मेरे सम्बन्ध में यह कहा गया कि इसमें मैं डिसिव हो जाता और ओब्जेक्शन कोई दूसरा ले लेता, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मैं व्यवस्था को रिजर्व करके चलना चाहता हूं। जिस मूल प्रश्न से सदन का सम्बन्ध है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, सतीशचन्द्रजी ने सुप्रीम कोर्ट की 60 की रूलिंग......

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : साइटेशन का मेटर है.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । वे बोल न लें तब तक आपकी बात नहीं सुनना चाहूंगा, कृपया स्थान ग्रहण करें । आप व्यवधान न डालें । मैं जान लेना चाहूंगा कि वे क्या बोल रहे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने 54 सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन किया और 60 का किया । तो यह जानते हुए कि 1954 का साइटेशन ओवररूल है, उन्होंने यहां पेश किया। इससे उनका इन्टेन्शन सदन को डिसीव करने का था और अध्यक्ष को भी डिसीव करने का था । यद्यपि अध्यक्ष नहीं हुए । इस तरह से इन्होंने हाउस का कन्टेम्प्ट किया है और इसके लिये उनके खिलाफ या तो ब्रीच ऑफ दी प्रिविलेजेज की कार्यवाही की जानी चाहिए या फिर वे माफी मांग लें । यह आवश्यक होना चाहिये ।

श्री मदनसिंह दांता : और अध्यक्ष महोदय, ये सदन को ही भुलावे में ले जा रहे हैं । छः बजे उनको जुडिशियल लॉकअप में ले गये हैं । अब खुद अध्यक्ष ने फरमाया कि एक बज कर दस मिनिट पर हुआ और इस तरह अब दस मिनिट बाकी हैं । तो इस तरह से सदन को ही गलत इत्तला हुई है कि एक बजे अरेस्ट हुए जबकि जुडिशियल लॉकअप छः बजे हुआ ।

श्री हरिदेव जोशी : इश्यू यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किस प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : आप किस पर डिबेट अलाऊ कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज हो गया है । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें और मैंने उस प्रश्न को समझ लिया । अब मैंने यह निवेदन किया कि मैं उस पर अपना निर्णय रिजर्व रखता हूं । इसके बाद डिबेट का प्रश्न नहीं पैदा होता । माननीय सदस्य ने पोइन्ट आफ आर्डर रेज किया जिसके सन्दर्भ में इन्टेरिम एक्शन लिया ।

अब सारे प्रश्न पर मुझे जो रूलिंग देना है, उसे मैंने रिजर्व रख लिया है ।

अब दूसरा प्रश्न जो आप उठाते हैं उस दूसरे प्रश्न पर आज डिबेट अलाऊ की जावे या नहीं की जावे । यह दूसरा प्रश्न बनता है । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि दूसरे प्रश्न को सदन की भावना जानते हुए न उठावें ।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो निवेदन किया जा चुका है ।

अब सजा देने का जहां तक प्रश्न है सदन में तो जुडिशियल कस्टडी में जितने समय तक वह रहे उसी को सजा मान लिया गया है ।

श्री नाथूसिंह : यह नहीं हुआ है ।

श्री हरिदेव जोशी : अब सदन की राय लेना चाहें वह ली जा सकती है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि यह कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस

(श्री हरिदेव जोशी)
है और बीच आफ प्रिविलेज है। इस पर आप अपनी रूलिंग देना चाहते हैं तो दूसरी बात है।

श्री नरपतसिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। और वह यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है और कुछ सदस्यों ने दूसरी बात कही है। सतीशचन्द्रजी ने साइटेशन किया उस पर जो कहा गया उसमें जब तक मूल जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है उस पर व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक कोई दूसरा प्रश्न आता नहीं। इसलिए अगले प्रश्न को तब तक उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

माननीय सदस्य ने कहा है ओवररूल नहीं कहा है। ऐसा मेरा खयाल पड़ता है। मैं पूछना चाहता हुं वृद्धिचन्द्रजी से कि क्या यह ओवररूल है।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने जो कहा है उसके लिये आप प्रोसीडिंग्स देख लें। केटेगरिकली कहा है उन्होंने।

श्री नरपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बीच में मन्त्रीजी को बोलने का हक नहीं है जब तक कि मैं आपकी इजाजत से अपनी बात कह रहा हूं। किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा है कि यह रूलिंग साइट की थी। फलां रूलिंग के हिसाब से, साइटेशन के हिसाब से इसे ओवररूल कर दिया गया है। इसके ये नतीजे हैं। अगर ऐसी कोई बात है भी तो यह प्रश्न भी तब उठेगा जब मूल व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था हो जाय इससे पहले नहीं। इस दृष्टि से यह प्रीमेच्योर है। इसको उठाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। इन अपराधियों के बारे में फैसला होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं पहला प्रश्न अब ले लेता हूं।

जहां तक अपराधियों का प्रश्न है इस पर माननीय सदस्य अगर चाहें तो एक प्रस्ताव के रूप में बनाकर रख दें और यदि आप एक मत से करते हों तो वह प्रश्न......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो प्रस्ताव आपका था।

श्री अध्यक्ष : उस पर सदन सहमत है ?

श्री नरपतसिंह : इसम एक दिक्कत है। अपराधी मानकर अगर उनको दंड दिया जाता है तो वह दंड उन अपराधियों को सदन के समक्ष उपस्थित किये बगैर नहीं दिया जा सकता। वे तो कानूनी तौर पर मुक्त कर दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अब किसी भी अपराध के बिना बताये दंड देना व्यर्थ होगा।

श्री अध्यक्ष : जितने समय तक वे जुडिशियल लॉकअप में रहे हैं उसी समय को सजा मानकर उनको मुक्त किया जावे। प्रश्न यह है कि इसके पक्ष में जो हों वे हां कहें और विपक्ष में जो हों ना कहें।

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न समाप्त हुआ। दण्ड भी समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

अब दूसरा प्रश्न जो है निवेदन कर देना चाहता हूं। डिबेट अलाउ उस पर इसलिये नहीं करना चाहता ....

(श्री मुकुट बिहारीलाल के खड़े होने पर)

आर्डर प्लोज आर्डर। स्थान ग्रहण करें। यह जो प्रश्न उठा है, मूल प्रश्न में सन्निहित है। मूल प्रश्न जो पोइन्ट ऑफ आर्डर के द्वारा उठाया गया वह मूल प्रश्न है और यह दें इसके इम्पली-केशन्स अलग अलग तरह के हैं इसलिये मैं मूल प्रश्न पर चूंकि व्यवस्था देने वाला हूं और उस मूल प्रश्न पर उन सारी स्थिति का वर्णन मैं करूंगा। करना आवश्यक है। अनिवार्य दिखता है। इसलिये जब तक मूल प्रश्न पर मेरी व्यवस्था न हो तब तक के लिये मैं इस प्रश्न को यहां उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

अब दूसरे संघर्ष का दौर आरम्भ होता है। वह यह है की जब कभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाते हैं तो अस्वीकार किये जाने पर ही माननीय सदस्य कुछ न कुछ बोलते हैं और माननीय सदस्य अपनी भावनाएं नियमों के अनुपालना के प्रतिकूल भी व्यक्त करते हैं और पोइन्ट ऑफ आर्डर भी उठाते हैं। इसलिए स्थगन प्रस्ताव पर दी जाने वाली व्यवस्था के पहले व्यवस्था देता हूं कि जो अस्वीकार किये गये हैं उन पर भी मेरी व्यवस्था है कि उन पर कोई चर्चा नहीं होगी।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाए प्राप्त हुई है :

(1) श्री रूपसिंह, सदस्य विधान सभा ने कस्बा तारानगर में जनता को पीने के पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य विधान सभा ने निवाई कस्बे की मण्डी से खाद्य निगम द्वारा बाजरे खरीदना बन्द कर देने तथा इसके कारण बाजरे का भाव गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने बारां उप-जिला क्षेत्र की तहसील बारां किशनगंज, शाहबाद, मांगरोल एवं सब-तहसील अन्ता के किसानों को सीलिंग कानून के अन्तर्गत बार बार नोटिस जारी करने और निर्णय न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो अन्य स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार है :

(1) श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने रामगढ़ बन्धे पर जल प्रदाय

(श्री अध्यक्ष)

विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा उक्त विभाग के मन्त्री व कुछ अन्य मंत्रियों को भोज देने के सिलसिले में सरकारी वाहनों का उपयोग आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केसरीसिंह हाडा, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें देवली केम्प के शरणार्थियों को एक वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी स्थायी तौर पर किसी स्थान पर उन्हें न बसाने का उल्लेख किया गया है।

इनके अलावा एक पेण्डिंग स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है जिसका सम्बन्ध श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा कस्बा नताहर में पेयजल समस्या से सम्बन्धित दिए गए स्थगन प्रस्ताव से है।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्ताव जिनकी सूचनाएं श्री दुर्गालाल बाढदार, श्री केसरीसिंह हाडा व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है। स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं उनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

याचिकाओं का उपस्थानपन...

श्री रामचन्द्र आर्य: एक व्यवस्था का प्रश्न है एक स्थगन प्रस्ताव दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय अध्यक्षजी मेरा एक विनम्र निवेदन है कि और यह आप भी मानेंगे कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और सदन में पूछे जाने वाले अल्प कालीन और दूसरे प्रश्नों से महत्वपूर्ण रहते हैं और कई ऐसे स्थगन प्रस्ताव जिनको आप लोक महत्व का न मानते हुए अपनी रूलिंग देते हैं और उनकी अनुमति नहीं मिलती है लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है—प्रश्नों के सम्बन्ध में सरकार सूचना देती है और अनुमति देती है तो मेरा यह निवेदन है चाहे आप स्थगन प्रस्ताव को इस सदन के अन्दर रखने की अनुमति न दे यह आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मेरा निवेदन है राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त करते हैं और देते हैं वह जानकारी सम्बन्धित माननीय सदस्य को दे दें तो बहुत कुछ समस्याओं का हल हो जायगा और हमें भी... ...

श्री अध्यक्ष: यह आपका सुझाव ठीक है। मैं विचार कर लूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मैंने, अध्यक्ष महोदय कस्बा नोहर की जनता के लिए जो संकट है उस पर स्थगन प्रस्ताव दिया था और पहले ही जानकारी दे दी थी उस पर जानकारी चाही थी। आपने उसको निरस्त कर दिया तो क्या आप जनता के लिये पीने की पानी की समस्या को मामूली समझते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। अस्वीकार स्थगन प्रस्ताव पर कोई वाद-विवाद नहीं होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य: यह मझे मालूम है यह भी आप जानते हैं हमारी कितनी वेदना है और सरकार द्वारा यह आश्वासन

(श्री रामचन्द्र आर्य)

न दिलाया जाय कि पीने के पानी की इतने दिन के अन्दर व्यवस्था कर देंगे और जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको निरस्त कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से मिला दूंगा आपको।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह स्थगन प्रस्ताव तो उसी वक्त स्वीकार कर लेना चाहिए था लेकिन आपने यह व्यवस्था देकर टाल दिया। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी चाहूंगा जबकि एक स्टेट मिनिस्टर अपनी सांठ गांठ........

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए भेजा है माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह भेजने का ही प्रश्न नहीं है। राज्य के मंत्री द्वारा हत्या कर देना और उसको गिरफ्तार न करना, इस बात का जवाब देना है......

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर व्यवस्था दूंगा माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह से जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है..........

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। नियमों की अवहेलना कर रहे हैं स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राम किशन : यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : मैं कल व्यवस्था दूंगा।

श्री रामकिशन : यह अस्वीकार तो नहीं किया है?

श्री अध्यक्ष : नहीं, किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बहुत दूर का मसला नहीं है। गंगानगर का ही तो मामला है पांच मिनिट में इसका फैसला किया जा सकता है। उस राज्य मंत्री को दण्ड दिया जाय, उसको गिरफ्तार किया जाय। इस प्रकार की कार्यवाही जान बूझ कर की गई है। उसको दबाने की चेष्टा की जा रही है क्योंकि वह मंत्री है........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। मुझे उस पर व्यवस्था देना अवशेष है। व्यवस्था देने से पहले कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती है......

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं कल की प्रतीक्षा नहीं कर सकता......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। मैंने आपसे बार बार निवेदन किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : (बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपकी कार्यवाही को रोका जायेगा........

Page No. 58

(माननीय आर्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री राम चन्द्र आर्य विराजिये.........

(अश्रव्य)

मैं नाम से आपको सम्बोधित करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो मुझे मालूम है। और रोजाना मेरे नाम से पुकार लेते हैं.......

श्री अध्यक्ष : आप (श्री आर्य) सदन का परित्याग करें।

(माननीय आर्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

माननीय सदस्य सदन से चले जांय। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। (बराबर बोलते रहने पर)।

अब देख लीजिये क्या किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य :......मैं यह कह रहा हूं उनको गिरफ्तार किया जाय और आज ही सरकार की तरफ से स्टेटमेन्ट होना चाहिये ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिसका बच्चा मारा गया हो उसके दिल से पूछें उसके दिल में क्या बीत रही है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आर्य स्थान ग्रहण करें। मेरे धैर्य की भी इति हो गई है।

एक माननीय सदस्य : क्या बीमारी है?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह कहना चाहूंगा क्या इस प्रकार की व्यवस्था......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आर्य मजबूर होकर मुझको मार्शल की सहायता लेनी पड़ेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बर्दास्त नहीं कर सकता। यदि एक साधारण आदमी होता तो मान जाते लेकिन राज्य का एक मंत्री है और इस मामले को इस तरह से दबाया जा रहा है......

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें......

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं एक मंत्री यहां बैठकर सरकार......

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य, मैं मार्शल को आदेश देता हूं......

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, कल इसको जरूर ले लिया जायगा ? कल ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरे पास उत्तर आने पर...... जब तक जिद्दोजिद् में मामला चल रहा है और आप पूछ रहे हैं कल ही दे देंगे। थोड़ा वातावरण शान्त हो जाने दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : जिस वेदना से आप बोल रहे हैं ऐसा लगता है राज्य सरकार आपको सहयोग नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार तो सहयोग कर रही है, माननीय रामचन्द्र जो आर्य सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने काफी इन्तजार किया है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आर्य।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, कल रामचन्द्रजी आर्य ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आपने कहा था कल जानकारी करूंगा तो उस समय तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा किन्तु आपके इस आश्वासन पर कि जानकारी कर रहा हूं परन्तु राज्य सरकार ने 24 घंटे बीत जाने पर भी कोई जानकारी नहीं दी......

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : आसन को उद्वेलित नहीं होना चाहिए। कोई माननीय सदस्य बात कहे तो सुनना चाहिये। मेरा निवेदन है आपको हमारी बात सुननी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हूं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : आपको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिये। इस तरह की कार्यवाही बर्दाश्त नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण : आप चाहें जिस तरह नाम पुकार देते हैं......

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : ......यह क्या तरीका हुआ ?

श्री अध्यक्ष : तरीका तो आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): यह बहुत ही गलत तरीका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जाय......

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : शुरू से लेकर अब तक आपने व्यवधान डाला है। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम रतनपुरा, तहसील नोहर में पेयजल दिलाये जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम ढाणी लालखां को रतनपुरा माइनर से पेयजल दिलाये जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम मलवानी को नहर से पेयजल दिलाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं नोहर-रावतसर सड़क (वाया गवेली) का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

Page No. 60

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अध्यक्ष महोदय, मैं नोहर-पल्लू सड़क का निर्माण कार्य पुरा कराये जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर के शांतिदूत साप्ताहिक में विधायक, श्री रामकिशन के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार विषयक विशेषाधिकार प्रश्न के सम्बन्ध में सदन द्वारा पुन: निर्दिष्ट समिति के छठे प्रतिवेदन संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर के पाक्षिक समाचारपत्र नवयुग द्वारा प्रकाशित लेख से सम्बन्धित विशेषाधिकार प्रश्न विषयक पुन: निर्दिष्ट समिति के 14वें प्रतिवेदन सम्बन्धी समिति के 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार समिति के सभापति, श्री यशवन्तसिंहजी नाहर ने दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया है एक तो 16वें और दूसरे 17वें प्रतिवेदन का। यह 16वां और 17वां प्रतिवेदन है यह चौदहवें प्रतिवेदन और छठे प्रतिवेदन में कुछ संशोधन करने से सम्बन्ध रखता है। मुझे जहां तक स्मरण है यह मामला बहुत पुराना हो गया है इसलिए यह रिवाइज्ड ओपीनियन प्रिविलेजेज कमेटी की इस सिलसिले में आई है। जहां तक मुझे याद है एक प्रतिवेदन में काफी गम्भीर मसला है और इस सदन से सम्बन्धित है। दोनों में ही इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लेना हो हाउस को वह ले। मैं समझता हूं कि पहले इसके कि हम एडजर्न हों उसके संबंध में हमें निर्णय कर लेना चाहिये। सभापति को निर्णय दें कि जो प्रस्ताव हाउस के सामने लाना है यह हाउस फिर एडजर्न हो जायेगा और फिर पता नहीं कब मीट करेगा और मिडटर्म इलेक्शन हो गए तो फिर वह लेप्स हो जायेगा इसलिए यह इन्टेन्शन किसी का नहीं है कि उनको सजा नहीं मिले। मेरा कहना है तो यही है कि जो कुछ करना है वह हो जाना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्रजी ने जो इस संबंध में राय प्रकट की है मैं भी उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं असहमति प्रकट करता हूं।

विधायी कार्य

विचारारार्थ लिये जाने वाले विधेयक-राजस्थान होम्योपेथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971

श्री रामकिशन संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(संशोधन) विधेयक के संबंध में मेरा भी है और श्री रामकिशनजी का भी है और और भी कई संकल्प प्रस्तुत किये हैं परन्तु होम्योपैथी का जो विषय है इसमें डॉक्टर गंगासहायजी काफी एक्सपर्ट हैं और फिर होम्योपैथी के डाक्टर भी हैं— मैं समझता हूं कि उनको आप अनुमति प्रदान कर दें तो वह संकल्प प्रस्तुत कर दें तो इससे समय भी बच जायेगा और संकल्प भी प्रस्तुत हो जायेगा। आपकी अनुमति चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हां, हां।

श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा 4 फरवरी, 71 को प्रख्यापित राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं० 3, सन् 1971) को अस्वीकार करता है।

अध्यक्ष महोदय, आज इस होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड को बने हुए 11 माह लगभग हो गये हैं लेकिन आज तक उसने क्या कार्यवाही की है क्या नहीं की इसका कुछ पता नहीं। मुझे जानकारी मिली है कि इसके रूल्स भी अभी तक नहीं बन पाये हैं। इतना ही नहीं 11 माह की अवधि में लगभग 50 हजार रुपया जनता का सरकार द्वारा खर्च किया जा चुका है, सरकार के पास उसका क्या जस्टीफिकेशन है क्या सरकार इसको बतायेगी? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बोर्ड में 11 माह की अवधि में जो सदस्य नॉमीनेट करने चाहिए थे वह भी आज तक सरकार नहीं कर पाई है। मुझे लगता है कि या तो सरकार अपेक्षा बरत रही है या फिर उसके पास ऐसे चिकित्सक नहीं हैं कि जिनको वह नॉमीनेट करके बोर्ड को पूर्णतया गठित कर सके। इतना ही नहीं मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि यह बोर्ड को नॉमीनेट करने में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स का कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिया गया है और यही नहीं मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि महिलाओं को भी बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है......

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गोयल साहब सदन में गले में हाथ डालकर बैठे हैं यह सदन की परम्पराओं के खिलाफ है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शायद माननीय दांता साहब की साइट में थोड़ा फर्क है यह सोफे पर हाथ है गले में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गले के तो नहीं छू रहा है?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, गला छूने के लायक भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वैसे दोनों एक से ही नरम हैं।

श्री मदनसिंह : वह पर्चे फेंके गये थे इसीलिए फेंके गये थे कि सदन में गपास्टिक नहीं हो। दूसरी जगह भी है जहां कानून की बातें हो सकती हैं। अपने अपने स्थान पर बैठें।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बोर्ड गठित हुआ था उस समय महीने की अवधि निश्चित की गई थी

(श्री गंगासहाय)

कि इस अवधि के अन्दर होम्योपैथिक चिकित्सकों से एप्लीकेशन्स ले ली जायें और उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जायेगा लेकिन मुझे दुःख है कि सरकार ने 11 माह की अवधि में भी अभी तक होम्योपैथिक चिकित्सकों को रजिस्टर नहीं किया है। मझे मालूम हुआ है कि अभी तक रूल्स भी नहीं बन पाये हैं और फॉर्म्स भी नहीं छपे हैं। ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि अध्यादेश द्वारा 6 महीने के बजाय 1।। वर्ष की अवधि मांग रहे हैं। उसमें भी मैं कह सकता हूं कि 11 माह तो बीत चुके हैं और अगर 6-7 महीने में क्या सरकार इस अवधि में जो शेष बचती है 6-7 महीने में उसमें इस अपूर्ण कार्य को पूरा कर लेगी मुझे सन्देह है। जब 11 माह में नहीं कर सकी तो 6 महीने में क्या कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी इस बोर्ड का सैक्रेटरी नियुक्त किया गया है जो आयुर्वेद बोर्ड है उसका जो सैक्रेटरी है वह आयुर्वेद चिकित्सक है।

(1.40 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या होम्योपैथिक चिकित्सकों में ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो कि सैक्रेटरी के पद पर कार्य कर सके? मैं कहता हूं निश्चित रूप से है। एक आयुर्वेद चिकित्सक इस काम को कर सकता है तो वह भी कर सकता है। उसके लिए एक सीनियर आर० ए० एस० ऑफिसर जिसको 1,200 रुपया वेतन दिया जाता है उसको यहां रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए होम्योपैथ का जानकार ही सैक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया जाये तो मैं समझता हूं कि अधिक उपयुक्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी बताया कि इस बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी व्यक्ति नॉमीनेट नहीं किया गया है और न महिला में से ही किसी को किया है। क्या कारण है कि अभी तक बोर्ड में पूरे मेम्बरों की नियुक्ति नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और भी कहना चाहूंगा कि एक्ट में यह प्रावधान है कि चेयरमैन को वेतन दिया जाय, लेकिन आज तक चेयरमैन को कोई वेतन देने की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस आने वाले वर्ष में वह होम्योपैथिक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको क्या नियमानुसार वेतन देंगे?

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्य वे जल्दी से जल्दी नहीं कर सकेंगे तो मैं समझता हूं कि जो गरीब जनता है जिसको एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति महंगी पड़ती है वे इलाज से महरूम रह जायेंगे। आज वैद्यों के लिए कहना पड़ता है जैसा कि कल मनोहरसिंहजी ने बताया था कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जायं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए कहना चाहूंगा और ये मंत्रीजी आयुर्वेद के भी मंत्री हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां तीन व्यक्ति नियुक्त किये गये और तीनों ही आपस में लड़ते हैं। इस प्रकार की शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों को भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि अव्यवस्था को दूर करने के लिए वे उचित कदम उठायें।

(श्री गंगासहाय)

दूसरे जो बोर्ड हैं एलोपैथिक के या आयुर्वेदिक के उन पर कितना खर्चा किया जाता है उसी अनुपात में इस बोर्ड पर किया जाय। पिछली बार बहुत कम राशि होमियोपैथिक बोर्ड पर खर्च करने के लिए रखी गई थी। जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करें कि स्थान स्थान पर प्रत्येक जिले में होमियोपैथिक डिस्पेन्सरीज खोली जाय और योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय। मैं साथ में यह भी कहूंगा कि जहां पर बहुत से एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक गांवों में जाने को तैयार नहीं हैं लेकिन होमियोपैथिक चिकित्सक गांवों में जाने को तैयार हैं और वे सस्ती दवाइयों से आसानी से चिकित्सा कर सकेंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि होमियोपैथिक विधेयक का जो संशोधन अध्यादेश जारी किया गया है और इस बारे में कार्यवाही रही है वह सन्तोषजनक नहीं रही है और कोई भी कार्य नहीं किया जा सका है इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस अध्यादेश को सदन एक मत से अस्वीकार कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपना समय अपनी पार्टी के श्री गंगा सहायजी को दे दिया....

श्री उपाध्यक्ष : तो समाप्त करिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसमें दो-तीन शंकाएं मेरी भी हैं। बात ऐसी है कि आप 68 में यह बिल सदन में लाये और 69 में पास हुआ और 69 से 71 तक कुछ नहीं किया और 71 में अध्यादेश जारी करके जो कार्यान्विति करने की कोशिश की है तो जनवरी और फरवरी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मगर आप माननीय राज्यपाल महोदय से बार बार ऐसे कार्य करवाते हैं जिनसे कि उनकी प्रतिष्ठा को काफी हानि पहुंचती है। कल ही आपने देखा होगा कि एक अध्यादेश को लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया है। तो कम से कम मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अगर कालावधि बढ़ाने की जरूरत थी तो 10 वर्ष की कालावधि कर देते, क्योंकि मेरे पास जो होमियोपैथिक चिकित्सक हैं अजमेर और जयपुर के वे पहुंचते हैं और पूछते हैं कि होमियोपैथिक बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म छपवाये हैं वे कहां से लायें और 50 रुपया फीस के कहां जमा करवायें। उनमें इस बात के लिए बड़ा असन्तोष है और वे पूछते हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के फार्म कब मिलेंगे। आपकी तरफ से कमी है कि फॉर्म चिकित्सकों को नहीं मिल पाये हैं और आपका यह बोर्ड कहां पर है? जमीन पर है, आसमान पर है या पाताल में है। यह भी उनको बताया नहीं। बोर्ड का पता नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का पता नहीं। रजिस्ट्रेशन में आपने बताया है कि तीन साल का अनुभव होगा उसको रजिस्टर्ड किया जायगा, लेकिन आपने नहीं

(श्री भगवानदास शास्त्री)

बताया है कि किस होमियोपैथिक चिकित्सक का वह सर्टिफिकेट लेकर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लगाये ? किसको आप मानेंगे ? एक तो यह शंका।

दूसरा यह है कि फार्म्स कहां पर पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं जिससे कि सही डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन हो जाय। आजकल जो घर से निकलता है वह अपने को डॉक्टर कहता है। उनसे बचने के लिए क्या चीज है। आपने इसमें बायोकैमिक को भी चान्स दिया है कि उसमें भी तीन साल का सर्टिफिकेट ले आयें कि इनको बायोकैमिक का तीन साल का अनुभव है तो वह सर्टिफिकेट किससे लायें यह मैं आप से पूछना चाहता हूं।

इसके बारे में आपने ट्रेनिंग सेन्टर्स कहां कहां खोले हैं या कहां कहां खोलने का विचार है ? आपने जब यह होमियोपैथिक बिल पिछले सेशन में रखा था तो बोर्ड के लिए बार बार कहा था कि कहां से पैसा आयेगा तो आपने कहा था कि जनता का पैसा जनता के काम में आयेगा और इसीलिए 50 रु० रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। आज अध्यादेश के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से आप यह लाये हैं कि इतनी कालावधि समाप्त होने के बाद और समय बढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूं कि आपकी सरकार की अकर्मण्यता के कारण क्या भरोसा है कि आप बढ़ी हुई कालावधि में भी राजस्थान में होमियोपैथिक चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और उस चिकित्सा पद्धति की सुविधा जनता को प्रदान कर सकेंगे ? या तो इसमें कमियां हैं जो कि एक्ट आपने बनाया है उसमें, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि जो राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और जो शासक दल से सम्बन्धित हैं और जो कि होमियोपैथिक की एक दवा भी नहीं जानते हैं, जो बायोकैमिक भी नहीं हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को आपने बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। यह कहां तक सही है वह आपके उत्तर से पता लगेगा।

और पांचवीं बात यह भी है कि जब आपके पास होमियोपैथिक चिकित्सक जैसे कि हमारे अजमेर में आपके ही कांग्रेस के महामंत्री हैं और होमियोपैथी जानते हैं उनको आपने नहीं लिया है बोर्ड में, आपको कांग्रेस के होते हुए भी तो इसका मतलब यह रहा कि आपका होमियोपैथिक बोर्ड जयपुर तक सीमित है और जयपुर की सीमा के बाहर कोई जा नहीं सकता। इसलिए विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि इससे जनता को लाभ नहीं मिल सकता है।

यह जो अध्यादेश आया है विधेयक के रूप में बदलने के लिए उससे मालूम पड़ता है कि आप अपने अधिकारियों के आदेश के अनुसार कार्यवाही करते हैं और उनके कहने से ही इसे विधेयक के रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया है। अगर आप उस बोर्ड के बनाने में या उस बोर्ड के गठन के बारे में किसी का चयन नहीं कर सकते थे तो आप हैण्डबिल छपवाकर या अखबारों में विज्ञापन दे देते कि जो होमियोपैथिक चिकित्सक हैं और जो इस क्वालिफिकेशन्स के हों वह हमें अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। होमियोपैथिक पद्धति अभी तक राजस्थान में प्रचलित नहीं थी।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कलकत्ता में विशेषकर इसका हैडक्वार्टर रहा है। वहां पर इसकी कद्र है, तो मेरा मतलब यह है कि प्रचार सामग्री कम होने के कारण, और राजस्थान सरकार की, मैंने साफ कह देना चाहता हूं, रुचि नहीं होने के कारण इसमें देरी हुई है। वह ऐलोपेथिक पद्धति पर विशेषरूप से ध्यान देना चाहती है। आयुर्वेदिक विभाग और होमियोपैथिक विभाग दोनों ही आपके हाथों में हैं लेकिन आपके हाथों में दोनों को ही मैं सुरक्षित नहीं देखता हूं और भविष्य में जनता को उससे राहत मिलना मेरे विचार में देखने को नहीं मिलता है।

विशेषतौर पर आपको इसके बारे में कहना है कि जो बोर्ड बना है उसमें चेयरमेन भी होगा और मेम्बर्स भी होंगे और उसमें आप जनता के लोग भी लेंगे लेकिन जनता के लोग लेने के पहले तो कालावधि बढ़ाने की बात है तो आपने राजस्थान के किस किस जिले में अपने सेन्टर्स खोले हैं जो सरकार की ओर से दवाओं वगैरह का प्रदर्शन देंगे या आपने जनता में इसका प्रचार करने के लिए कुछ कार्य किया है? बस इतने से ही मेरे विचार हैं। इसका आप उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद।

श्री लाभचन्द्र वैद (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जिस विषय का ज्ञाता नहीं होता है वह उस विषय को उतना ही कम महत्व देता है। मैं जहां तक समझता हूं हमारे मंत्री महोदय इस विषय का ज्ञान नहीं रखते और यही कारण है कि आज इतना समय बीत जाने के बाद भी उसके नियम वगैरह बनाकर रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को सुविधा नहीं प्रदान की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चिकित्सा पद्धति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चिकित्सा पद्धति लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है–जीभ को देखकर लक्षण तय किये जाते हैं, मोशन को देखकर लक्षण तय किये जाते हैं और कहां पर किस हरकत से रोग की वृद्धि होती है, उस हिसाब से हरेक दवा इसकी मंत्रों की तरह से काम करती है। इस पद्धति का ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता प्रदान की जाये और जगह-जगह अस्पताल खोलकर लोगों को सस्ती चिकित्सा प्रदान की जाये। इस महत्व को अगर मंत्री महोदय समझते तो आज इतनी भूल करने का कोई कारण पैदा नहीं होता। 6 महीने की अवधि हम लोगों को उस समय बताकर तय की थी और आज 6 महीनों के अन्दर एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और उसके नियम नहीं बन पाये इसका क्या कारण है यह तो मंत्री महोदय ही बतायेंगे तब पता चलेगा।

उन्होंने बोर्ड का गठन किया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बोर्ड की मीटिंग कितनी दफा बुलाई और उन्होंने नियम उप-नियम क्यों नहीं बनाये? इसका कोई उत्तर उनके पास है तो बतलायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चिकित्सा इतनी सस्ती और जनता के लिए उपयोगी है कि इस मंहगाई के जमाने में जहां तक इसका सम्बन्ध है इसके बराबर सस्ती चिकित्सा कोई नहीं है। किसी भी पद्धति से इलाज कराने के लिए 4-5 रुपये से कम खर्च नहीं आयेगा वहां पर इस चिकित्सा पद्धति में उसी दवा पर 30 पैसा खर्च आयेगा और

(श्री लाभचन्द वैद)

30 पैसे में भी कितने रोगी आराम पायेंगे। एक रोगी नहीं कम से कम 50 रोगी 30 पैसे में आराम पाते हैं। इस बात का महत्व जब तक मंत्रीजी नहीं समझेंगे तब तक इस तरह के विधेयक ला-लाकर समय लेते जायेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। आप इस महत्वपूर्ण चिकित्सा-पद्धति पर ध्यान दें और इसको जल्दी से जल्दी अच्छी तरह गठित करें और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जल्दी से जल्दी हो, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए जगह जगह सरकारी औषधालय खोलें और इसका प्रबन्ध करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश किन कारणों से लाया गया है इसकी ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया। 28, 30 और 32 की जो धाराएं हैं उनके अनुसार 6 मास की अवधि में रजिस्ट्रेशन होमियोपैथ्स का होना चाहिए और वह जरूरी है। यह मई में बोर्ड का गठन हुआ और बोर्ड का गठन होने के बाद आप जानते है सभी माननीय सदस्य कि कोई भी नई बात होती है तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही हैं। वहां पर मकान लेने में दिक्कत आती है। मकान तलाश किया गया और बहुतसी दफ्तर वगैरह की व्यवस्था करने की बात है उसमें कुछ अरसा निकल गया और कुछ रूल्स जो कि बड़े आवश्यक हैं किसी भी होमियोपैथ को रजिस्टर करने के लिए उन रूल्स का निर्माण वगैरह करना आवश्यक था और है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय निकल गया और उस समय को आगे नहीं बढ़ाया जाय या उस समय को आगे नहीं किया जाय तो बोर्ड का गठन किया गया है और उसके द्वारा जितने काम किये गये हैं उनको दुबारा किया जायगा तो उसमें फिर देरी लगेगी। इसलिये होमियोपैथ्स के हित में है कि यह सब कुछ किया गया है और जब थोड़ासा रह गया तो उसके बाद में यह उचित समझा गया कि 10-11 महीने के बाद हो सकता है और 10-11 महीने निकल गये हैं तो डेढ़ साल यानि 7 महीने जो आने वाले हैं उसके अन्दर अन्दर होमियोपैथ्स का रजिस्ट्रेशन कर दें। रूल्स तैयार हो गये हैं। बोर्ड का गठन हो गया है। उसके अन्दर 10 मेम्बरों को नोमीनेट कर दिया गया है। जो 10 मेम्बर नोमीनेट किये गये हैं उनके अन्दर जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के भी है। एक जगह खाली रखी गई है। जब बोर्ड का काम चलेगा तो किसी और जगह के प्रतिनिधि को चाहे वह महिला प्रतिनिधि हो या पुरुष प्रतिनिधि हो, किस को प्रतिनिधित्व दिया जाये। यह नये बोर्ड का गठन होने पर किसको प्रतिनिधित्व दिये जाने की आवश्यकता है, किसको दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक स्थान को खाली रखा गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : इन प्रतिनिधियों में डाक्टर कितने है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक को छोड़ कर सब के सभी डॉक्टर है। यह आप जानते है जो नोमिनेट हुये है, वह डॉक्टर है। आपको नामों की सूची की जरूरत हो तो मैं पढ़ दूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : नामों की कोई बात नहीं है लेकिन ऐसी चर्चा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक एम० एल० ए० भी हैं।

श्री दौलतराम सारण : एम० एल० ए० कौन ऐसा एक्सपर्ट है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक एम० एल० ए० है श्री अमीलाल यादव ।

श्री दौलतराम सारण : क्या वह होमियोपेथी के डाक्टर हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : डॉक्टर नहीं हैं लेकिन प्रतिनिधि तो है जनता के ।

श्री दौलतराम सारण : जब इस सदन में डाक्टर है, जो एम० एल० ए० भी है, सदन में मौजूद है तो उनको बोर्ड का प्रतिनिधि बनाया जाये ?

श्री लाभचन्द वैद : होमियोपेथी के बारे में क्या जानते हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप वैद्य हो सकते है। आप वैद्य लगाते है। पर दूसरों के बारे में यह धारणा नहीं कर सकते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है । मैंने आप का ज्ञान सिलेक्ट कमेटी म देख लिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको कोई जानकारी नहीं है। आप से ज्यादा माननीय सदस्य को जानकारी है ।

श्री लाभचन्द वैद : (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्य को आप से ज्यादा जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लाभचन्द वैद : मैंने इनके सम्मान में कौनसा अपशब्द व्यवहार किया है जिसके लिये यह ऐसा कह रहे हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है ।

श्री लाभचन्द वैद : आप क्या समझेंगे ।

श्री भगवानदास शास्त्री : वह कहते हैं कि उनको होम्योपैथी का ज्ञान नहीं है। जिन्हें आपने प्रतिनिधि चुना है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जनता के प्रतिनिधि का मतलब है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि । जो चुनकर विधान सभा में आया है । वह ज्ञान आप में है । हम में भी है । जनता ने चुनकर भेजा है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, उनको (मंत्री की ओर संकेत) यह भ्रम है कि वही ज्ञानी है और हम अज्ञानी हैं । यह उनको भ्रम है ।

श्री लाभचन्द वैद । आप से ज्यादा हमें ज्ञान है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं यह मानता हूं कि आप की उम्र ज्यादा है । इसलिए आपको दुनियादारी का ज्यादा ज्ञान होगा ।

श्री लाभचन्द वैद : यह भूल हैं आप की कि आप को ज्यादा ज्ञान है ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : संसार में वही आदमी ज्यादा बुद्धिमान है जो यह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं ।

एक माननीय सदस्य : यह बात है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं अध्यादेश के बारे में जिक्र कर रहा था। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य के कहने पर मैंने कहा कि अभी रूल्स तैयार नहीं है। मैंने यह प्रस्ताव रखा है। रूल्स तैयार हो जायेंगे तो किस प्रकार से होम्योपैथी की प्रगति होगी, वह बोर्ड ही तय करेगा। उसके बारे में रूल्स में अभाव है और अभी बोर्ड का कार्य सुचारु रूप से चालू न होने की वजह से यह काम आगे नहीं चल सका, इसलिए समय बढ़ाने के लिए मैंने कहा। और साथ में यह भी कहा कि यह जो होमियोपैथी बोर्ड से रजिस्टर होंगे, यह आपने कानून होम्योपैथी का पढ़ा होगा, इसमें साफ तौर से लिख रखा है, तीन साल, और भी क्वालिफिकेशन हैं। वह भी लिख रखी हैं। उसी तरह के लोग रजिस्टर होंगे। इसके अन्दर छूट नहीं रखी है। इस बोर्ड के गठन में भी एक बात की छूट नहीं है कि बोर्ड का गठन किन्हीं और लोगों के द्वारा कर दिया जाय। एक व्यक्ति संस्था का होगा, छः व्यक्ति संस्थाओं के होंगे, इसी प्रकार ग्यारह व्यक्ति हैं, उनके गठन का तरीका भी इस एक्ट में लिखा हुआ है। इसलिए यह होम्योपैथी एक्ट अपने आप में परिपूर्ण है। अब एक दिक्कत आई थी, धारा 30 में, धारा 12 में जो अवधि रखी थी वह अवधि कम महसूस होती है, इसलिए डेढ़ साल के लिए यह आर्डिनेन्स किया, अध्यादेश किया कि डेढ़ साल के अन्दर उन व्यक्तियों को रजिस्टर कर दिया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि अब रूल्स तयार हो गये हैं और इस असेम्बली के सेशन के अन्दर, एक महीने या पन्द्रह दिन में रूल्स गजट में आया हो जायेंगे और उसका कार्य आरम्भ हो जायगा। इसलिए डेढ़ साल की अवधि चाही है।

कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पचास हजार रुपये खर्च हो गये हैं, पचास हजार रुपए बेकार खर्च हो गये है। पचास हजार रुपये बोर्ड को नहीं दिए हैं। थोड़े से दिये हैं। साथ में यह भी कहूं कि उन्हें जानकारी इस बात की नहीं है, आयुर्वेद बोर्ड को सतर हजार है और होम्योपैथी बोर्ड को थोड़ासा रुपया दिया है, चेअरमन की तनख्वाह वगैरह के लिए....

श्री लाभचन्द वैद : कितना दिया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : बीस एक हजार।

श्री लाभचन्द वैद : बीस या कमोबेश।

श्री जयकृष्ण शर्मा : 20।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा प्रश्न साफ था, रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है कि होम्योपैथी डाक्टर से वह व्यक्ति सार्टिफिकेट ले, तो आप. . .

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक्ट में प्रावधान है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उसके आधार पर।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उसी के आधार पर।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह पर्टीक्यूलर प्रश्न निहित है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सब निहित है। मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट भी निहित है। कौन मजिस्ट्रेट सर्टीफिकेट दे—यह सब लिखा हुआ है एक्ट में। कोई चीज नहीं छोड़ी गई है। जो सलेक्ट कमेटी बनी थी, वह सब बातों को डिटेल्स में गई थी और जो होम्योपैथी का एक्ट बना है उसमें खुलासा कानून का कर दिया गया है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। केवल राजस्थान में यह नया बोर्ड गठित हुआ इसलिये छः महीने का टार्जेट रखा था, वह पूरा नहीं कर पाये, अब उसको डेढ़ साल मान कर किया है, जिसके लिए अभी मैंने बताया कि हमारे सामने कुछ बाधायें थीं, जो आपके सामने रखी हैं। राजस्थान के होम्योपैथी के डॉक्टरों को सुख सुविधा के साथ रजिस्ट्रेशन हो इसलिए यह रखा है।

कठूमर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आयुर्वेद के व्यक्ति को, आयुर्वेद जानने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया। शायद वह भ्रम में है। शुरू शुरू में जब बोर्ड का गठन किया था, उस समय विभाग के इन्सपेक्टर को पार्ट टाइम रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया था ताकि राज्य सरकार से जो भी सुख-सुविधायें मिल सकती है, चाहे पैसे की हो, चाहे भवन की हो। इसलिए इन्सपेक्टर को नियुक्त किया था। बाद में एक सिनियर आर० ए० एस० ऑफिसर को नियुक्त कर दिया है। कोई आयुर्वेद का व्यक्ति रजिस्ट्रार नहीं है—यह मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं। इसलिये पूरा भ्रम आपको है, उस पर आधारित होकर अपनी बात रखी है। मैं आपसे यह कहूंगा, यह प्रस्ताव आपने रखे हैं—इनको वापस लें। होम्योपथी के हित में यह होगा। जो डेढ़ साल की अवधि बढ़ाई है, इसके बारे में आगे चल कर मैं प्रस्ताव रखूंगा।

श्री लाभ चन्द वैद : अवधि के लिए कहा कि छः महीने का समय रखा था, वह ग्यारह महीने का समय लगा है—वह पर्याप्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री भगवानदास शास्त्री के खड़े होने पर) लाभ चन्द वैद का नाम पुकारा है, माननीय सदस्य !

श्री लाभ चन्द वैद : आपने कहा कि भ्रमित हूं। तो पहले जो छः महीने के लिए रखा, अब ग्यारह महीने हो गये हैं, अब डेढ़ साल करना चाहते हैं तो वह क्या पर्याप्त नहीं था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने जैसा कहा, थोड़ा समय था, काफी टाइम लग गया इसलिये आर्डिनेन्स में डेढ़ साल रखा है। आखिर सभी तैयारी की जाती है वह सब तैयारी की गई और इस अर्से में हो जायगी जो समय की बात कही। यह सब प्रेक्टिकल अनुभव के आधार पर किया गया है। हम बोर्ड के गठन के बाद में उदासीन नहीं रहे हैं। हमने बहुत कुछ काम किया है। बोर्ड किस प्रकार आगे चले, इसके लिए कार्यक्रम बनाने में समय लगा, रूल्स बनाने में समय लगा। आपको मालूम है कि राजस्थान में होम्योपैथी बोर्ड का पहली दफा गठन हुआ है, इसलिए जहां पर है वहां से रूल्स मंगाने पड़े और उनको देखना पड़ा कि हमें जरूरत किस चीज की है, आखिरकार कोई नई चीज लागू करते हैं तो सभी दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। इसलिए रूल्स को सब तरह देखकर अब फाइनल स्टेज पर ला दिये गये हैं और

(**श्री जयकृष्ण शर्मा**)

जल्दी ही फाइनल करने के बाद जल्दी ही लागू कर दिये जायेंगे।

श्री भगवान दास शास्त्री: राज्य सरकार शिथिलता बरत रही है। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि समय बढ़ायें नहीं। हम चाहते हैं कि समय बढ़े, लेकिन आर्डिनेन्स से नहीं। राज्यपाल महोदय से आपने जो अध्यादेश जारी करवाया है, उसके हम बिल्कुल विरोध में है।

श्री उपाध्यक्ष: नया प्रश्न। श्री गंगा सहाय!

श्री गंगा सहाय: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था, जो सेक्रेटरी नियुक्त किया है सीनियर आर० ए० एस०, उसके बजाय कोई ऐसा सरकारी कर्मचारियों में नहीं था जिसको होम्योपैथी का ज्ञान होता, होम्योपैथी का डॉक्टर होता, उसको आप नियुक्त करते तो ज्यादा उपयुक्त होता। मैंने यह नहीं कहा कि आयुर्वेद का कर दिया है। मैंने कहा था कि होम्योपैथ चिकित्सक को क्यों नहीं नियुक्त किया गया।

श्री जयकृष्ण शर्मा. क्वालिफिकेशन रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड है। मैंने कहा कि मुद्दे की बात यह है कि रूल्स अब तैयार हुए हैं और उसके अन्दर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की हैं, रजिस्ट्रार के लिए, सेक्रेटरी के लिए। जो रूल्स मे किया है उसके आधार पर एप्लीकेशन मांगेंगे और होम्योपैथी की क्वालिफिकेशन उसमें साथ में रखेंगे। तब हो सकेगा। अभी तो टेन्टेटिव, अस्थाई तौर पर अधिकारी ले लिया है, जिससे सुचारु रूप से बोर्ड काम करे।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। संकल्प पर मतदान!

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1971 को प्रख्यापित राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं० 3 सन् 1971) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकर किया गया।

श्री जयनारायण खालंदिया: एक मौका तो ना पक्ष को दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: आज मौका था, आप बोले नहीं जोर से।

श्री जयकृष्ण शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होम्योपथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 में संशोधन करने के लिए राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन प्रस्तुत किये जांय।

राजस्थान, होम्योपथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार

श्री हरिवल्लभ शर्मा: मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:

"राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को एक माह/छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि अभी हमारे राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम को बने हुए मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ है, लागू हुए कि इसमें एक साल के अन्तर्गत ही आर्डिनेन्स या अध्यादेश के द्वारा यह अमेंडमेंट आज लाया गया है, जो विचारार्थ सदन के सामने है। वैसे इस पांच वर्ष का अनुभव इस बात को बतलाता है कि राजस्थान में कुछ एक ऐसी प्रक्रिया चल गई है कि जब हम कोई अधिनियम, कोई नया अधिनियम बनाते हैं, या एक्जिस्टिंग स्टेट्यूट है, उसमें कोई अमेंडमेंट लाते हैं तो उस समय हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाते और हमारी यह दिखलाने की दृष्टि है कि हम बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे, बहुत जल्दी इसको कार्यान्वित भी कर देंगे। इस सब दौरान में इस प्रकार की धारायें रखते हैं जो बाद में जाकर पूरी नहीं हो पातीं और यह यों कहना चाहिए कि दरअसल हमें दिखाते यह हैं कि हम सच्चे हृदय से इसको कार्यान्वित करना चाहते हैं लेकिन हम वास्तव में ऐसा नहीं करते और केवल ढोंग दिखाते हैं। इसी तरह का कारण है कि हमारे सामने सन् 1967 और 1971–इन चार वर्षों के कलान्तर में चाहे पंचायत राज का मामला हो, चाहे यह अपनी चिकित्सा का मामला हो, चाहे दूसरे अधिनियम हों–जितने भी हमारे राजस्थान में हैं, उनके सम्बन्ध में आर्डिनेन्स समय समय पर जारी किये जाते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर भी संशोधन के लिए अब तक लगभग पांच अमेंडमेंट बाई आर्डिनेन्स किये जाते रहे हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रियायें हैं उसकी तो मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं अभी जो आर्डिनेन्स बिल रखा है सदन के सामने इसमें मैं यह मानता हूं कि साल भर का तो समय निकल चुका है और डेढ़ साल की अवधि बढ़ाने के संशोधन की बात है उसमें केवल 6 माह और मिलेंगे। इस समय बोर्ड का गठन तो कर दिया गया है। लेकिन नियम बन जावे, रजिस्ट्रेशन पूरा हो जावे और जो रजिस्ट्रेशन कम्पलीट हो कर प्रकाशित हो जाय इसमें मुझे अब भी सन्देह है, दरअसल 6 माह के भीतर भीतर करना है क्योंकि साल भर का अरसा तो निकल चुका है और डेढ़ वर्ष का संशोधन आप करने जा रहे हैं केवल 6 माह का समय इस बोर्ड को मिलेगा। संशोधन करने से 6 माह का समय बढ़ेगा और उससे इस बात का समय मिलेगा कि पूरे रजिस्ट्रेशन जितने वैद्य करा पाते हैं वह रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करवालें। इसलिये मुझे तो इस बात की पूरी पूरी आशंका है कि ये 6 माह के अन्तर्गत इस काम को पूरा कर पायेंगे या नहीं उस समय विधान सभा सत्र में नहीं होगी तो सरकार फिर आर्डिनेन्स लायेगी और अध्यादेश एक फरदर अमेन्डमेन्ट के लिये आयेगा। डेढ़ वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दिया जाय। या पूरे 2 वर्ष कर दिया जाय इस प्रकार यदि कर देंगे तो आगामी सत्र में फिर अमेन्डमेन्ट हमारे सामने होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी चाहिये कि आज मान लीजिये नया अध्यादेश बनता है या सदन के सामने अमेन्डमेन्ट लाते है तो अपनी क्षमता के अन्तर्गत उस अवधि के अन्तर्गत इस कार्य का जो प्रावधान हमने किया है उसमें हम पूरा कर सकें। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक साल में 11 महीने निकल गये हैं और इस अमेन्ड-

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

मेन्ट के माध्यम से आपको केवल सात माह और मिलेंगे तो सात महीने के अन्तर्गत जो काम बोर्ड के गठन के पश्चात् अब रजिस्ट्रेशन का और दूसरी पूरी तरह से संचालन करने का अधूरा रह गया है क्या आप सात माह के अन्तर्गत यह मान कर चलते हैं कि इस काम को पूरा सम्पादित कर देंगे? और भविष्य में कम से कम इस अवधि में एक्सटेन्शन के वास्ते, इसको आगे बढाने के लिये कोई अमेन्डमेन्ट नहीं लायेंगे। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह होम्योपेथिक चिकित्सा आजकल के युग में जब कि महंगाई के जमाने में जो एलोपेथिक के माध्यम से इलाज लोग करवाते हैं वह बहुत महंगी पड़ती है जटिल भी है और उसके कारण कई रिएक्शन्स भी होते हैं और उसकी तुलना में होम्योपेथिक इलाज बहुत सस्ता होता है और काफी ग्रामीण क्षेत्रों और खास तौर से छोटे कस्बों में इस प्रणाली से लोगों को बड़ा लाभ और फायदा पहुंचा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अवधि के अन्तर्गत जो सात महीने का इस अमेन्डमेन्ट को पास करने के बाद का समय जो मिलेगा उसके अन्दर ये कार्य सम्पादित हो जावेगा। इस प्रणाली की चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वह सबको जल्दी से जल्दी मिल सके। ऐसा न हो जाय कि डेढ़ वर्ष के बाद भी यह काम पूरा न करवा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपने जो अमेन्डमेन्ट रखा है इससे वास्तव में काम पूरा हो सकेगा या नहीं। इसकी शंका और चर्चा स्थान स्थान पर है इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे एक माह के लिए जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी

अनुपस्थित

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का जो यह विधेयक संशोधन इस सदन के सामने पेश है इसमें मेरा यही निवेदन करना है कि राज्य सरकार ने जब यह विधेयक बनाया और उसके 6 माह की अन्दर की अवधि में जो भी राजस्थान के अन्दर चिकित्सक का कार्य इस पद्धति से तीन साल से कर रहे हैं, उनको 3 माह के अन्दर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिये। तो मैं समझ नहीं पाया हूं कि न ही सरकार ने अपने उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट किया कि उनकी अवधि बढ़ाई जा रही है, किन कारणों से इनका नाम दर्ज नहीं हुआ है, क्या फार्म नहीं थे या उनके फार्म रजिस्टर नहीं बने हुए थे। यह जरूर कहा गया है कि नियम नहीं बने हुए थे। सदकार कोई कानून बनाये इससे पूर्व कम से कम यह तो सोचना चाहिये कि नियम बनाने में, रजिस्ट्रेशन होने में और जितना भी काम हो सकता है उसमें कितना समय लग सकता है उससे भी 5–6 महीने अधिक का समय रखते तो आज यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसको लाने का मौका नहीं मिलता। आज राजस्थान विधान सभा का समय और धन व्यय हो रहा है वह शायद नहीं होता। मगर हमारी सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है यह भी चिन्ता नहीं कि पैसा खर्च होता है तो हो, टैक्स लगे तो लगे लेकिन उनको तो केवल कानून बनाना है और उसकी अवधि के अन्दर जल्दी से जल्दी

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

उसको सदन से पास कराना है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार सालों के कार्यकाल में यह देखा कि सरकार कानून बनाती है और जल्दी से पास कराने में उत्सुक रहती है। और जल्दी पास कराने का नतीजा होता है वह सदन के सामने है। आज 23 साल की अवधि के अन्दर राजस्थान विधान सभा में अनेकों कानून बने और सैकड़ों संशोधन इस सदन के सामने आये। कारण एक मात्र यह है कि इन्हें तो पैसे की कीमत का पता क्या? साधनों की कीमत का पता क्या। पैसा इनके पास से तो नहीं जाता बल्कि जनता से टैक्स लेकर पैसा प्राप्त किया जाता है उसे खर्च किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिसका पैसा खर्च होता है उसे दर्द होता है जिसका पैसा खर्च नहीं होता है उसे दर्द नहीं होता है। सरकार जनता की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखती सिर्फ स्वयं की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखती है। लोगों की तनख्वाह बढ़े, भत्ते बढ़ें, बिजली रोशनी इनको मिले, बड़े बड़े बंगलों में रहते है, बड़ी बड़ी मोटरों में घूमते है, लोगों को तेल नहीं मिले, कोयला नहीं मिले, इसकी कौन चिन्ता करे इसका सारा निष्कर्ष यही निकलता है कि इस सरकार के जब चुनाव आते हैं जनता से वोट की याचना करते हैं मगर वोट मिलने के बाद उनकी कुछ परवाह नहीं करते और ये मद मस्त होकर अपना समय निकालते हैं और जनता का इन लोगों को ख्याल नहीं रहता है। इसलिये मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं कि उपाध्यक्ष महोदय जो कानून 1969 में बना वह 14 मई को लागू हुआ है जिसमें 6 माह की अवधि दी थी मगर 6 माह की अवधि के अन्दर जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिये था वह नहीं हो सका। वैसे देखा जाय तो आज उस अवधि को बीते 6 माह हो गये है और ऊपर दस माह हो जाते हैं और 10 माह के बाद भी अगर सरकार आज भी इस स्थिति में नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाय। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उन लोगों को तकलीफ हो सकती है जो कि इस चिकित्सा प्रणाली में है। सरकार को इस अवधि बढाने की क्या जरूरत थी? पहले ही इस विधेयक में समयावधि रखली है। वह ही पर्याप्त थी। इस प्रकार इसके अन्दर फिर टाइम 6 माह की जगह आप 12 माह कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया इसलिये मेरा सदन से यही निवेदन करना है कि जनता को इस बात का आभास हो जाय कि इसके कार्यकाल को सरकार डेढ़ वर्ष के लिये और बढा रही है। जो लोग इस प्रणाली में चिकित्सक हैं, होम्योपैथ्स हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन समय में करा लें। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे। इतना कह कर मेरा यह संशोधन में पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्रजैन।

श्री महेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ, मेरा भी एक प्रस्ताव था। एक महिने के लिये परिचालित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : समय पर नहीं दिया होगा।

श्री महेन्द्रसिंह : कल दिया था।

श्री रामकिशन : इनको भी बोलने दिया जाय।

Page No. 74

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी मौका दे दिया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान होम्योपेथीक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को प्रवर समिति के समक्ष रखने के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा है। हमने यह एक्ट 1970 के अन्दर पास किया है। उस समय हमको देखना चाहिए था कि रजिस्ट्रेशन के अन्दर क्या समय लगेगा। उस समय हमने 6 महिने निर्धारित किये एक्ट के अन्तर्गत और वह अगर काफी नहीं थे तो विभाग की तरफ से या मंत्री महोदय की तरफ से एक साल का समय या डेढ साल का समय लिख देना चाहिए था। प्रश्न उठता है कि सरकार जो भी कार्य करती है उसको सरकारी मशीनरी जो है, वह सुझाव रख देती है और मंत्री मण्डल और मंत्री महोदय उन बिलों पर, कानून पर, अधिक गौर नहीं करते हैं। तब यह स्थिति पैदा होती है......

श्री रामकिशन : दस्तखत कर देते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसके अन्दर एक संशोधन रखा है और भी संशोधन हो सकते हैं। तो जितने भी संशोधन हों फुल्ली एग्जामिन करके सभी संशोधन रख देने चाहिए। जनरली पोलिसी है सरकार की, एक एक संशोधन रखा जाता है। इस सदन में होमियोपैथिक अमेंडमेंट बिल आया है फिर दूसरा रखा फिर तीसरा रखा और फिर सदन का बहुत समय जाता है और सरकार के एक्सपेंसेज लगते हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि जो संशोधन रखें, उनको पूरी तरह से जितने भी रखने चाहिए सभी पहले ही संशोधन रख देने चाहिए और यह जो समय अब डेढ़ साल का दिया है उसके लिए मैं पूछता हूं कि 6 महिने के अन्दर क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठायें? जनरली सरकारी मशीनरी रेडटेपील में विश्वास करती है। वास्तव में काम करती नहीं है। इसलिए इस सरकारी मशीनरी को अधिक से अधिक कार्य कराने के लिए मंत्री मण्डल को जोर देना चाहिए और अगर मंत्रीमण्डल सावधान होता है। और मंत्रीमण्डल सावधानी से कार्य करता है, अपनी नीतियों को अच्छी तरह से इम्पलीमेन्ट करवाना चाहता है तो 6 महिने में रजिस्ट्रेशन हो सकता था। परन्तु अब हमसे डेढ़ साल का समय एक्सटन्शन चाहा है। ऐसा न हो कि डेढ साल के बाद फिर रजिस्ट्रेशन का प्रश्न उठाए और फिर डेढ़ साल से दो साल करना चाहें।

मैं कहता हूं कि दो, ढाई या तीन साल जो भी समय लेना चाहते हैं लें, इसके बाद में फिर समय न मांगें और उसके अन्तर्गत काम कीजिए और जो भी संशोधन है और भी होम्योपैथिक कानून के संशोधन हों तो इसी बजट सेशन के अन्दर रखे जायं.....

श्री उपाध्यक्ष : आज ही रख दिये जायं......

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज तो कठिन है परन्तु यह अवश्य है कि इस अधिवेशन के अन्दर एग्जामिन करें क्योंकि नया कानून है, मैं होम्योपैथी में विश्वास करता हूं और बाड़मेर शहर में होमियोपैथी अस्पताल भारत सेवक समाज की तरफ खुला हुआ है। मैं चाहता हूं कि होम्योपैथी मेडिसन्स या होम्योपैथी अस्पताल का विस्तार हो क्योंकि बहुत सस्ती दवाइयां

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

होती है इससे ज्यादा सस्ता इलाज हो नहीं सकता । एलोपैथी की दवाइयां बहुत महंगी हैं और उसके इलाज से मुझे जनरली पता है कि कोई भी रोगी अगर रोग का शिकार हो गया तो कभी एक बीमारी कभी दूसरी बीमारी, किसी न किसी रूप में बीमारी उसको घेर लेती है और डॉक्टर के चुंगल से बच नहीं सकता । यह स्थिति एलोपैथी के इलाज करने वालों की है ।

रोगी की हिस्ट्री के बारे में अगर डॉक्टर या वैद्य जानकारी प्राप्त कर लेता है और अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है तो बहुत अच्छी तरह से उसका इलाज कर लेता है और सस्ते इलाज से काम हो सकता है । तो होम्योपैथिक मेडीसन व होम्योपैथिक अस्पताल का विस्तार करना आवश्यक है । इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी भी जो परिवर्तन कराना चाहते हैं, एग्जामिन कराएं, अपने विभाग के एक्सपर्टस् से इग्जामिन कराएं, सभी संशोधन प्रस्तुत करें और कानून को भी अच्छा बनाएं जिससे जो डाक्टर्स इलाज करें, ऐसे डाक्टर्स न हों जैसे कि जो क्वेक्स हों, जो इलाज न करते हों और सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें और गलत इलाज करें। होम्योपैथी का बहुत ही उज्जवल भविष्य है..........

श्री मदनसिंह : होमियोपैथी में कुछ पाबंदियां हैं, वह अगर न करें तो गोली काम नहीं करती ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिए ऐसे डॉक्टर्स और वैद्यों का रजिस्ट्रेशन करें जो वाकई कुशल हों जो कुछ न कुछ क्वालीफकेशन्स रखते हों, क्वेक्स न हों, उपचार कर सकें । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं सरकार इस बजट सेशन में, अभी एक महीने का समय है, उसमें प्रस्तुत करें और रजिस्ट्रेशन के लिए डेढ़ साल का समय जो चाहा है उसके अन्दर सभी का रजिस्ट्रेशन करें और उनका रजिस्ट्रेशन करें जो योग्य हों, कुशल हों, अनुभवी हों और जो अच्छा इलाज कर सकें जिससे कि रोगियों को सस्ता इलाज मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए क्योंकि वहीं पूरी तरह संशोधनों के बारे में अपने विचार दे सकते हैं । इसलिए मैं यह सुझाव रखता हूं ।

श्री रामचंद्र आर्य (तोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 के संबंध में मैंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो होम्योपैथी प्रणाली है । इस संबंध में सरकार ने पहले विधेयक बनाया और उसका सही माइने में उपयोग नहीं हुआ और ये बार बार इसकी मियाद बढान को विभाग को पूरी जानकारी न होने से, इस प्रकार का संशोधन विधेयक लाने की जरूरत पड़ती है । इसकी जांच होनी चाहिए और इस विधेयक को पारित करने से पहले जनमत जानने के लिए इसे भेजना चाहिए । विधान सभा में अनेक विधेयक पारित होते हैं, गांवों में अधिकतर लोक अनपढ़ हैं राजपत्र गांवों में नहीं जाते हैं, वे शहरों तक सीमीत रह जाते हैं । इसलिए आम कानूनों से आम जनता

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बिल्कुल ही जानकारी से दूर रहती है। इसलिए कोई भी कानून पास किया जाए उसका हर पंचायती क्षेत्र में प्रचार होना चाहिए, उसकी कापियां जानी चाहिए और राजपत्र पंचायतों में जाने चाहिए। जिससे उस पंचायत क्षेत्र के रहने वाले लोगों को मालूम हो। कानून बनाने के बाद असली रूप में परिणित करने के लिये लोगों को जानकारी नहीं होगी तो कानून बनाने से और बार बार सदन के समय का यहां दुरुपयोग करने से कोई लाभ नहीं। इसलिये इस बिल में 6 महीने की मियाद बढ़ाने का सुझाव रखा है उसका फिर संशोधन करना पड़ेगा। डिपार्टमेन्ट को पूरी जानकारी नहीं है और पूरी तरह से काम करता नहीं है और फिजूल जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। जनता के धन का दुरुपयोग किया जाय और विधान सभा का समय भी बरबाद किया जाय यह उपयुक्त नहीं है। विधान सभा में कोई कानून पास करने से पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए ताकि लोगों की भावनायें सदन के सामने आयें और पास होने के बाद उसका प्रभाव बुरा न हो किन्तु अच्छा हो। अच्छे सुझाव भी आ सकते हैं। इस साल छः महीने में न जाने कितने कानून पास किये उसकी हम सदस्यों को भी जानकारी नहीं है कि कौनसा विधेयक पारित किया और उसको लागू किया। लागू करने का तो प्रश्न ही नहीं रहता है। सिर्फ कागजों में रह जाता है। दुबारा फिर सोचता है कि इसमें यह रह गया है इसलिए फिर संशोधन किया जाये। बार बार इस तरह से संशोधन की आवश्यकता होती है। पहले ही सोच समझ कर विधेयक पारित करना चाहिये। बहुत से ऐसे कानून पास किये जाते हैं जो अदालतों में जाकर चेलेन्ज हो जाते हैं। भू-अलाटमेन्ट के नियम बनाये और अदालतों में जाकर चेलेंज हुए। भूमिहीनों को भूमि नहीं मिली और सरकार को बड़ा खर्चा हुआ। इस प्रकार के कानून और नियम पास करने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय वरना 'हां' और 'ना' में पास करा लेते हैं यह कह कर कि चुनाव के बाद तो हमारा बहुत बहुमत है, यह पास हो सकता है, हाथ खड़े किये जाते हैं और पास हो जाता है। लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है उस ओर भी सरकार को देखना चाहिये क्योंकि आज कोई भी सरकार अपने आपको यह कहे कि प्रजातंत्र के अन्दर ही कर रहे है, किन्तु उनका, यह भी कर्त्तव्य है कि आप लोगों की धारणा के माफिक कानून बनाये और लागू करने के लिये विभागों पर पूरा प्रबन्ध रखे। कानून मंत्रीजी तो उसको देखते नहीं हैं और बिना देखे ही सेलानी करने में लगे रहते हैं। मंत्री लोग महनत करते नहीं। कुर्सी का भूत सवार है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री लोग तो हत्या करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हत्या भी करते हैं और न जाने क्या क्या काम करते हैं यह मेरे कहने की बात नहीं है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वे मंत्री हैं या क्या हजरत हैं और क्या हैं यह तो समय ही बतायेगा। इन्होंने क्या क्या काम किये और आज क्या काम कर रहे हैं सुरा और सुन्दरी के चक्कर में ये लोग लगे रहते हैं। समाजवाद का नारा हाथ लग गया है। इनको इस बात का वहम खड़ा हो गया है कि हम लोकप्रिय हो गये हैं। लोगों को आपका स्वरूप अच्छी तरह से मालूम हो गया है। कानून पास करायें तो महरबानी करके उसमें कमियां न रखें जिससे कि आगे चल कर सदन का समय खराब न हो और सरकार का भी खर्चा न लगे। न जाने इस बिल को पास करने से कितना खर्चा लगा और डिपार्टमेन्ट पर कितना खर्चा हुआ होगा। वैद्यों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और आगे हम कैसे मान लेंगे कि लागू करने के लिये समाज में काम करेंगे। वह तो वही सरकार कर सकती है जिसको जनता का फिक्र हो। उन लोगों को तो यह फिक्र रहती है। थोड़ी देर पहले अध्यक्षजी मुझे डांट रहे थे। आप समझते हैं कि हम तो खुदा हैं और हमारे ऊपर कोई नहीं है। आपको जनता से तो जरूर डरना चाहिये। आज आपकी चलती है लेकिन हमेशा नहीं चल सकती। इन्दिरा गांधी के नारे पर मुग्ध हो गई जनता। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपके वोट आये तो किसी को भी एक लाख से कम नहीं मिले। नेहरूजी के जमाने में भी नहीं मिले तो इन्दिरा गांधी के जमाने में कैसे मिल गये। इसमें क्या राज है यह तो इस पर बहस होगी जब ही कहूंगा। एक एक बात खोल कर कहूंगा।

मेरा यह संशोधन है इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ताकि आगे सदन का समय बरबाद न हो और कोई कमी हो तो पूर्ति कर ली जाय। आगे समय बरबाद न हो और कोई काम हो, कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो समय में करवा सकें। यही बात कह कर मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान होमियोपैथिक कानून जो विधान सभा ने बनाया था वह एक भावना को लेकर बनाया। इस बात को लेकर कि होमियोपैथिक चिकित्सा बाकी और चिकित्सा पद्धतियों से सबसे सस्ती पड़ती है। इस चिकित्सा से राजस्थान में रहने वाले सारे लोग, राजस्थान की सम्पूर्ण जनता लाभान्वित हो इस भावना को मद्देनजर रखते हुए यह होमियोपैथिक कानून राजस्थान विधान सभा ने पास किया। यह बात कही कि 6 महीने का समय रखा गया वह बहुत कम रखा था। उस समय यह मंजूर किया गया था कि इस चिकित्सा को अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी प्रोत्साहन दिया जाय। जनता को लाभ मिले इसलिए चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन किया जाय इस प्रकार की बात कही गयी। इस प्रकार के डाइरेक्शन सरकार को दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार राजस्थान विधान सभा द्वारा दी गई डाईरेक्शन को पूरा नहीं कर पायी और तत्परता के साथ इस सम्बन्ध में उसने कोई कदम नहीं उठाया जिसके कारण आज हमें यह देखने को मिल रहा है कि

(श्री महेन्द्रसिंह)

राजस्थान सरकार ने एक भी होमियोपैथिक चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। न तो यह ही प्रकाशित कर पाये कि होमियोपैथिक चिकित्सक इस केटेगरी के होंगे। और नियम प्रकाशित न होने के कारण आज तक एक भी चिकित्सक रजिस्टर नहीं हो सका। यह खेद की बात है। इसके परिणामस्वरूप राजस्थान की जनता इस सस्ती और लाभदायक चिकित्सा पद्धति से वंचित है।

सरकार आज 1½ साल की अवधि और मांगने की बात लेकर सदन में आई है उस डेढ़ साल में भी उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इसको कर लेगी, इसकी उम्मीद नहीं है। अगर दो साल का भी समय दे द तब भी यह सरकार व्यवस्था नहीं कर पावेगी। इसका कारण यह है कि जैसे लाभचन्दजी वैद ने कहा इस विभाग में कोई योग्य मन्त्री नहीं है। अब अगर यह बात कहते हैं तो ये मन्त्री ऐसे है कि गुस्सा होते हैं और गुस्से से लाल पीले भी हो जाते हैं। अब आप कैसे योग्य हैं यह तो इसीसे पता चल जावेगा कि इस कानून के पास होने से लेकर अब तक क्या किया अगर ये योग्य होत तो इस अवधि म सारा काम सम्पन्न कर सकते थे, मियाद बढ़ाने के लिय सदन में आने की आवश्यकता कतई नहीं थी। यह एक उनकी अयोग्यता का उदाहरण हैं। और अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता ही क्या है।

इतना ही नहीं, राज्य की जनता पर आर्थिक भार भी इससे पड़ा है। जितना भी इन्वेस्टमेन्ट इसमें बीस हजार या दस हजार किया गया वह सारी दुर्व्यवस्था में व्यर्थ चला गया। अपव्यय हुआ। अब बहुमत के जोर से ही ये समय और ले लें, पर इससे लाभ होने वाला नहीं है।

आपने जो भी कुछ किया है सिस्टेमेटिक ढंग से कुछ नहीं किया है। इसलिये निवेदन करूंगा कि आगे के लिए मन्त्री महोदय अपना रवैया बदलें तो उचित होगा। ये महसूस नहीं करेंगे तब तक ये कुछ कर पावेंगे इसमें बहुत सन्देह है। जनता का और इस चिकित्सा पद्धति में लगे डाक्टरों का इनके हाथों लाभ हो सकेगा इसमें मुझे कतई विश्वास नहीं है। फिर जिम्मेदारी से ये इस समय में भी सारा काम कर सकेंगे इसकी भी गारन्टी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के चेयरमैन से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक वे इसे अपनी पूरी जिम्मेदारी समझकर इस स्कीम को लागू करने में तत्परता नहीं दिखावेंगे और रजिस्ट्री करन के फार्म आदि छपवाकर जब तक यह सारी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से नहीं करेंगे तबतक यह काम चाहे आप 1½ साल क्यों दो साल भी ले लेंगे तो भी नहीं कर पावेंगे। बल्कि एक को अड्डा जमाकर बिठा दिया एक आप के आदमी को लाभ होता इसलिये उसे चेयरमन बनाया।

श्री जयकिशन शर्मा : आपको पता तो है नहीं। मैं अगर आपको फिर कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि गुस्सा होते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह : क्यों चन्द्रप्रकाश जी झुंझुनूं वाले कौन हैं?

श्री जयकिशन : एक महीने के लिये एक्स्ट्रा ड्यूटी उनको दी गई थी। इसके बाद अब तो एक आई० ए० एस० अफसर है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सबसे कम खर्चे वाली और सस्ती और सर्व सुलभ चिकित्सा पद्धति का प्रचार और प्रसार किस तरह से किया जाय। यह राजस्थान के गरीब जनता के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

इसलिये योग्य डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन तुरन्त करना अत्यावश्यक है। राजस्थान सरकार आज इस मामले में जनता के साथ खिलबाड़ करती रही है और आज भी उसका दिमाग साफ नहीं है।

इसलिय इसे राजस्थान की जनता का जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे। वास्तव में इससे पता लगेगा कि जनता इस चिकित्सा पद्धति को कितना चाहती है और इसके विपरीत राजस्थान सरकार कितनी ढिलाई इसमें कर रही है, इसका पता लग जावेगा।

इसके बाद इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जावे। अगर जल्दी लागू करने में कोई तरह की कानूनी अड़चन आती हो तो कानून के द्वारा उन तमाम अड़चनों को दूर किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अम्बालाल।

श्री मदनसिंह : आप सब के बोलने के बाद दो मिनिट का समय मुझे भी देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : अवश्य।

श्री अम्बालाल (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चिकित्सा पद्धति की तरफ अग्रसर होने में जो प्रगति राजस्थान सरकार के द्वारा होनी चाहिये थी वह बहुत धीमी हो रही है। यह शिकायत सही है।

वास्तव में बात यह है कि यह बहुत सस्ती और सर्व सुलभ चिकित्सा पद्धति है। गरीब लोगों के लिये बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ही तरह यह भी गरीब जनता का काफी लाभ कर सकती है। यह वैज्ञानिक भी उसी तरह से है, जिस तरह दूसरी चिकित्सा पद्धितियां हैं।

कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि जहां दूसरी पद्धतियों से रोगी महीनों तक ठीक नहीं होता वहां इस दवा की केवल एक दो मात्राओं से ही ठीक हो जाता है।

डॉक्टर, वैद्य आजकल व्यापार माइन्डेड जब हो गये हैं, तो यही एक चिकित्सा पद्धति बाकी बची है जो गरीबों के काफी काम आ सकती है।

इसके प्रचार प्रसार के लिये मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं :

(1) सारे डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी किया जाय। रजिस्ट्रेशन बोगस डॉक्टरों का न होने पावे इसका ध्यान अवश्य रखा जावे। नियम वगैरह में तैयार कराकर छपवा दिये जावें। इसके लिये 1½ वर्ष का समय बहुत काफी है।

(2) योग्य डॉक्टरों को उपलब्ध कराने हेतु ट्रेनिंग सेन्टर खोला जाय। जिसमें छः महीने तक ट्रेनिंग दी जाय।

(श्री अम्बालाल)

क्योंकि इसके बिना कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठीक तरह से निदान के अभाव में अगर यह दवा दे दी जावे तो रोग फ्लेअर अप भी हो जाता है। ऐसे केस देखे हैं। एक केन्सर वाला केस था। उसके लिये हाई पोटेन्सी की दवा दे दी गई। परिणाम यह हुआ कि सिम्पटम फ्लेअर अप हो गये। तो इसलिये इसकी प्रोपर ट्रेनिंग की व्यवस्था अवश्य की जाय। यह सब जल्दी किया जाय क्योंकि प्रतीक्षा में काफी समय हमने निकाल दिया है।

(3) जो डॉक्टर वैद्य हैं उनको होमियोपैथी में नहीं लेना चाहिये। फिर कुछ ऐसा भी है कि कुछ गृह चिकित्सक भी हैं। अपने बाल बच्चों को ट्रेण्ड कर लिया है तो ऐसों को रजिस्टर नहीं किया जाय। आप उसको कम कीजिये और राइट अनस्ट से थोड़ी प्रगति कीजिये। बस मैं इतना कहकर ही अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था। आप अनुपस्थित थे इसलिये अब आप पांच मिनट में......

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, ये दो दो धंधे करते हैं वकालत भी करते हैं और होमियोपैथिक की प्रेक्टिस भी करते हैं तो जिस तरह से सम्भव होता है उसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, होमियोपैथिक चिकित्सा की आवश्यकता राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार अनुभव की है– जब यह बिल एक्ट के रूप में विचाराधीन था तो जिस प्रकार की उत्कन्ठा राजस्थान की जनता में थी यह इस बात का प्रमाण है कि जनता कितना चाहती है और राजस्थान सरकार ने बहुत बढ़िया तरकीब काम में ले रखी है। एक्ट में प्रावधान रखा है यह सरकार इतनी जागरूक है, इतनी सचेष्ट है यह बताया गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जवाब देते समय यह सारा किस्सा चरितार्थ होता है–6 महीने तो एक्ट में प्रोवीजन रख दिया गया लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है। राजस्थान की जनता को जो उम्मीद थी वह सब खतम हो गई। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि जो अभी आश्वासन दे रहे हैं ढाई महीने में नियम बन जायेंगे और नियम बन जाने के बाद निश्चयात्मक रूप से इस पद्धति में बाधा आने वाली नहीं है। हमें विश्वास नहीं है और विश्वास नहीं होने का कारण यह है कि सरकार की कोई घोषणायें पूरी नहीं होती हैं। मैं सुझावों के रूप में दो-तीन बातें रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर वर्तमान सरकार समाजवाद का नारा लगाती है लेकिन मैं मंत्री महोदय से और समाजवाद का नारा लगाने वाले इन व्यक्तियों से यह पूछना चाहता हूं कि आपके समाजवाद की परिभाषा क्या है? जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक जनता समझ सकी है

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

सिद्धान्त रूप से यह माना गया है जितनी जरूरत है उतना मिल जाय और इसका सही अर्थ राजस्थान के मंत्रियों ने समझ लिया जितनी आवश्यकता है उतना खाकर रहें, यह समाजवाद है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं समाजवाद का नारा तो आप लगाते हैं लेकिन यह चिकित्सा पद्धति इस प्रकार की थी कि जिससे गरीबों का भला हो सकता है लेकिन ऐसा लगता है आप सब को बराबर नहीं कर सकेंगे। यह आपके राज्य में नहीं हो सकता है। जो मजदूर है वे मजदूरी करते रहेंगे और जो मोटरों में ऐश आराम करते हैं वे मोटरों में ऐश आराम ही करते रहेंगे। उनके न नल बन्द हो सकते हैं, न बिजली बन्द हो सकती है। उनके लिये तो सारी व्यवस्था हो जायगी लेकिन गरीबों को तेल नहीं मिलेगा, कोयला नहीं मिलेगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह तो चिकित्सा का मसला है। इस ओर तो राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति जिसमें बहुत कम पैसों में–10, 12 पैसों में इलाज की व्यवस्था हो जाती है। गरीब से गरीब आदमी भी इस चिकित्सा पद्धति से लाभ उठा सकता है लेकिन इसको पंजीकृत और रजिस्ट्रेशन करते वक्त दो-तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि जहां फायदा होता है वहां नुकसान हो जाय, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि इस चिकित्सा पद्धति से नुकसान की सम्भावना नहीं होती है। जिस प्रकार आयुर्वेद में जहां रजिस्ट्रेशन का सवाल आता है और जहां नियमों में प्रावधान रख देते है कि किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण-पत्र ले आवो, किसी एम० एल० ए० से प्रमाण-पत्र ले आओ और वह गीदड़ का पट्टा हो जायगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जायगा ऐसा इसमें नहीं होना चाहिये। इसमें जो प्रावधान रखा गया है और जब ऐसी बात कही जाती है कि उससे अधिक क्या प्रमाण मिलने वाला है। हम तो जनतन्त्रात्मक शासन प्रणाली में पूर्ण विश्वास रखते हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रधान है, सरपंच है, पंच है अथवा जिला प्रमुख है इससे अधिक और किस पर रिलाई किया जाय लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां यह प्रश्न आता है और जो मनुष्य के इलाज से सम्बन्धित है उसके बारे में किसी एक्सपर्ट से ही राय ली जानी चाहिये। यह चिकित्सा पद्धति सस्ती है और सुलभ है लेकिन इसका कारण क्या होगी हर आदमी इस पद्धति में घुसने की कोशिश करेगा और नीम हकीम खतरे जान वाली बात चरितार्थ हो जावेगी। यदि कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में यह चिकित्सा पद्धति दे दी गई यह तो जरूरी है और आसान बात है कि होम्योपैथिक की दवा फायदा नहीं करती है तो नुकसान भी नहीं करती है लेकिन एक रोगी का रोग बढ़ा हुआ है और उसकी दवा की प्रक्रिया चलती है उसका इलाज नहीं होता है और वह मर जाता है तो यही कहा जायगा कि उसका इलाज नहीं हो सका, दवा ने कोई नुकसान नहीं किया। यह एक गलत बात हो जायगी। इसका क्या कारण होगा कि अमुक व्यक्ति जो एक निदान करने वाला है जिसका पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करते हैं एक प्रमाण-पत्र के आधार पर आपने उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन इलाज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है

(श्री दुर्गालाल बादवार)

कि होम्योपैथिक चिकित्सा बदनाम हो जायगी। और जो सही रोग का निदान कर सकता है और उचित ध्यान मरीज पर दे सकता है उनको भी बदनामी उठानी पड़ेगी और जो जनता में सस्ते इलाज के साधन हैं उसको बदनाम कर देंगे यह किसलिये, महज आपके रजिस्ट्रेशन के कारण। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं जैसे नियम बनाने का वायदा करते हैं तो यह प्रावधान रख जिस व्यक्ति का जो रजिस्ट्रेशन करता है वह व्यक्ति एक एक्सपर्ट हो और इसकी एक्सपर्टता साधारण प्रमाण-पत्रों के आधार पर नहीं होनी चाहिये बल्कि उन लोगों के द्वारा होनी चाहिये जो इस प्रकार के इतमिनान के व्यक्ति हों, इलाज की पद्धति को अच्छी तरह जानते हों। अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो निश्चियात्मक जानिये कि जिस भावना के साथ यह एक्ट लाया जा रहा है वह पूरा नहीं होगा और आप जनता को सस्ता इलाज नहीं दे सकेंगे। दूसरी बार सुझाव के रूप में मैं यह रखना चाहता हूं बहुतसी स्टेट्स में इस प्रकार के इन्स्टिट्यूशन खुले हुये है। उपाध्यक्ष महोदय, होम्योपैथिक के लिये बकायदा जो तीन साल, पांच साल की डिग्री वगैरह अवार्ड करते हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या राजस्थान सरकार भी शिक्षा की उन्नति की दृष्टि से, इसमें दो प्रोबलम सोल्व हो जायगी एक प्राबलम तो टक्निकल ऐज्यूकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये शिक्षा की नई ब्रांच खुल जायगी और दूसरे हजारों व्यक्तियों को एम्पलायमेंट देने का काम हो जायगा। मैं समझता हूं राज्य सरकार ऐसा प्रावधान निश्चियात्मक रूप से रखेगी। इस प्रकार कई राजकीय औषधालय खुल जायेंगे और शहरों, कस्बों और जिलों में मिल कर कई चिकित्सालय खुल गये तो हजारों डाक्टरों की आवश्यकता होगी और बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से भी फायदा होगा। इसलिए मैं समझता हूं राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि डिग्री, डिप्लोमा का कोर्स चालू करदे और वहां से यदि एक्सपर्ट बनकर जनता के सामने आते है तो कम से कम इतना अन्दाज तो लगाया जायगा कि एक आदमी इसका अनुभवी है।

तो इस प्रकार से दो सुझाव आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि राज्य सरकार 'जस्ट लाइक ए हाकी हैट' अपनी जिद के ऊपर कायम नहीं रह कर जो रिजनेबल बात कही जाती है उस पर विचार करके रीजनेबल दृष्टिकोण अपनाने की चेष्टा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दातारामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रस्ताव के लिए मेरा नाम नहीं था फिर भी यह विषय ऐसा आया है और मैं तो यहां तक निवेदन करूंगा सदन के सभी माननीय सदस्यों को कि जब तक आयुर्वेद की तरह होम्योपेथिक में लोग तैयार नहीं हो जाये तब तक ऐसी संस्था सरकार की तरफ से खोला जाना उचित नहीं है। मुझे अनुभव है डा० राजेन्द्रप्रसाद एक मेरे यहां 6 महीने तक रहे और जिस समय वह दवाई देते थे तो एक एक आदमी को पांच-पांच और छः छः घन्टे पूछताछ करते थे और फिर दवाई देते थे और उसके लिए

(श्री मदनसिंह)

रेस्ट्रिक्शन्स ऐसी थी कि सिगरेट का घूंआ या और कोई भी तरह की घुआं गोली लेने के एक घन्टा पहले प्रयोग हो गया तो फिर दवा काम नहीं करेगी । आप समझते हैं कि गावों में वैसे ही घुंआ, तम्बाकू और वैसे ही कई तरह की खुशबू, गन्दगी और वहां के लोग खुद अपने आपमें गन्दे और यदि इस प्रकार से पैसा खर्च करते है तो आज क्या है । समाजवाद के नाम पर नेता कहते है कि गरीबों के लिए सस्ती दवाऐं होनी चाहियें । मैं समझता हूं कि आज अच्छा से अच्छा डाक्टर एलोपेथी का गरीबों के पास जाना चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष : सच्चा समाजवाद है।

श्री मदनसिंह : अगर इन्टेलिजेन्सी इसको सोचे और समझती है तो आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर है वह शहरों में रहने चाहियें, शहरों के जो एलोपैथिक के अच्छे डॉक्टर है मैं समझता हूं उनको जयपुर में और राजस्थान के दूसरे शहरों से हटाकर गावों में जाकर इलाज करना चाहिए । आज आयुर्वेद के अन्दर इन्जेक्शन देते हैं और वह भी एलोपैथी का इलाज करते है । आज तक आयुर्वेदिक औषधालय निश्चित रूप से कायम नहीं हुए और वैद्यों ने कोई निश्चित योजना तैयार नहीं की तो इसमें भी गवर्नमेन्ट का पैसा खराब होगा और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जितनी भी नियुक्तियां होगी, 200-400 आदमियों को नौकरी पर लगा सकते है लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है इसलिए मैं समझता हूं कि जो बड़े शहर हैं वहां इसके लिये खर्च करना तो ठीक है । इस समय ऐसे डिपार्टमेन्ट के खुलने से गरीबों को कोई राहत नहीं मिलेगी । आप कहते हैं कि यह सस्ता इलाज है । तो मेरा तो गवर्नमेन्ट से निवेदन है कि इसको अभी ड्राप ही कर दिया जायें तो अच्छा है और एलोपेथी जो कि विश्व के अन्दर कामयाब हो रही है ज्यादा से ज्यादा लोग देशी आयुर्वेद पद्धति में विश्वास रखते हैं इसके लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वह आयुर्वेद और एलोपेथी के लिए हो तो अच्छा हो । अन्यथा मैं समझता हूं कि यह वेस्ट ऑफ मनी है । यह आप फालतू डिपार्टमेन्ट खोलेंगे और हालत यही की यही होगी । अब एलोपेथी ही अच्छा काम कर रही है और एक आदत पड़ गयी है कि जो भी विदेश की चीजें हैं वह राजस्थान और हिन्दुस्तान में चाहे उसके एक्सपर्ट्स नहीं हों, चाहे उसका ज्ञान नहीं हो फिर भी अपनाते हैं ।

(3.04 म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, अच्छा यह हो कि सदन के सब सदस्य यहां देख ले क्योंकि जनमत के लिए सालभर के लिए भी जा सकता है । आखिर आप भी डिले ही कर रहे हैं और इसमें आप कौनसी तेजी लायगे इसलिए मैं समझता हूं कि इसको ड्राप कर दिया जाये और इसमें जो पैसा गवर्नमेन्ट की नीति है कि इतना पैसा खर्च किया जाये वह एलोपेथी डॉक्टर आज भी प्राइवेट हैं उनको अच्छे अधिकार देकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स को गावों में भेजें । गावों में हालत बीमारी की ऐसी है कि वैद्यलोग हमेशा करते ही हैं और यह और चले

(श्री मदनसिंह)

जायेंगे और इन छोटी छोटी गोलियों का कोई असर नहीं होगा। फालतू गवर्नमेन्ट का पैसा खराब होगा और अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आपको मालूम है कि होमियोपैथी के भी रीएक्शन होते हैं जिसको दाद है उसका पैर इतना सूजेगा कि वह बरदास्त नहीं करेगा तो उसका निदान ही नहीं होगा। होमियोपैथी की गोलियों में सर में बहुत बड़ा दर्द होता है तो उसका दर्द होकर ही निकलेगा और कभी कभी ऐसी हालत हो जाती कि मरने वाला है। वह हालत गरीबों की होगी। गांव के लोग इन दवाईयों को लेंगे नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि जिनका अच्छा दायरा है जो रईस हैं वही इसको काम में लें। दुनियां बहुत आग बढ़ रही है और जहां आज इन्दिरा जी का नारा लगा है वहां फिर आप उनको पीछे ले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे एलोपेथी के डॉक्टर जयपुर में और अच्छे अच्छे शहरों में रहें और गरीबों के लिए यह गोलियां बाटेंगे जो कि असर नहीं करेंगी? इसलिये मैं चाहता हूं कि जब पूरी दुनियां बदल रही है तो कृपा करके मैं तो गांव से आया हूं और गांव वालों की भावनायें लेकर आया हूं और हाथ जोड़कर अर्ज है कि ऐसे डिपार्टमेन्ट को समाप्त करके कम से कम एलोपेथी इलाज के लिए यह पैसा खर्च हो तो यह माफिक होगा, यही मेरा निवेदन था।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : सभापति महोदय, जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं समझता हूं कि वह अपने आप में ही जो भी माननीय सदस्यों ने कहा है उसके विरुद्ध है। क्यों कि माननीय सदस्य इस बात के लिए बड़े उत्सुक है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाये और साथ में इसको एक माह या तीन माह के लिए जनमत जानने को प्रसारित करवाना चाहते हैं यह दोनों बातें ठीक प्रतीत नहीं होती। जैसा मैंने पहले कहा कि ठीक है कि इस कानून के बनने के बाद 6 माह में उन होमियोपेथ डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। उसके कुछ कारण भी मैंने माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत किये और माननीय सदस्य इस बात में भी सन्देह प्रकट करते हैं कि अगर हम 1½ साल की अवधि दे दें तो भी इस अवधि में यह रजिस्ट्रेशन हो सकेगा या नहीं। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी भी कार्यवाहियां अपने को पूरी करनी थी वह सब कार्यवाहियां पूरी करली गयी और जो यह अर्सा बाकी 1½ साल का मिला उसके अन्दर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो यह प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी ही लागू करने की जो उनकी मन्शा है उसमें देरी होगी और भी बहुत सी बातें जनमत जानने के संबंध में जो इससे संबंधित नहीं थी क्योंकि आप जानते हैं कानून में कोई संशोधन की बात लेकर यह बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल रजिस्ट्रेशन और 28, 30 और 62 धारायें हैं इनम 6 माह के स्थान पर 1½ साल की बात कहीं है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जितने भी आपको संशोधन करने हैं वह बजट सेशन के अन्दर ही कर दीजिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो जो प्रगतिशील राज्य होगा,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जिसकी प्रगतिशील पॉलिसीज होंगी उनके सामने जो भी दिक्कतें कानून में आयेंगी उनके लिए अमेन्डमेन्ट्स आते रहेंगे और अमेन्डमेन्ट्स आते रहें यही प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी देन है क्योंकि प्रजातन्त्र में जो प्रजा के नुमाइन्दे होते हैं उनके सामने जो भी दिक्कतें आती हैं वह कानून के अन्दर अमेन्डमेन्ट्स के द्वारा वह प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अमेन्डमेन्ट्स "फौर एवर" के लिए हो जायें किसी भी कानून में यह सम्भव नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों को यह भ्रम है कि होमियोपैथ के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो होमियोपैथ की जो दवायें हैं या जो होम्योपैथ की चिकित्सा है वह राजस्थान में कहीं बन्द कर दी गयी हो तो राजस्थान में कोई चिकित्सा बन्द नहीं की गयी। आज भी राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा करते हैं और दवाइयां देते हैं। केवल यह तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मान्यता देने का प्रश्न है। इसलिए उस सवाल के ऊपर......

श्री मदनसिंह : यह इफेक्टिव है क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं तो इसके बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हिन्दुस्तान में लोग यह मानते हैं कि होमियोपैथिक की जो चिकित्सा है वह अपने आप में एक चिकित्सा की व्यवस्था है। इसको मानकर ही इसका जो कानून है वह राजस्थान की विधान सभा में रखा गया था। हिन्दुस्तान के अन्दर सभी स्टेटों के अन्दर होमियोपैथी का कानून है और राजस्थान में भी वह कानून पेश हुआ और जिस समय राजस्थान की विधान सभा में आया था मैं समझता हूं राजस्थान विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर से इस पर सहमति प्रकट करते हुए इस कानून को पास किया था। दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस समय यह विभाग नहीं खोला जाय। आज यह उस स्टेज पर नहीं है। कानून राजस्थान में पास हो चुका है......

श्री मदनसिंह : आपने फरमाया कि पास हो चुका है लेकिन प्रजा विरोध करे तो बन्द कर देना चाहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : प्रजा के नुमाइन्दे राजस्थान विधान सभा में हैं।

श्री मदनसिंह : ऐसा है कि......

श्री जयकृष्ण शर्मा : एमेंन्डमेंट लाने का अधिकार है आपको। उसके लिए कहां रोका है।

श्री मदनसिंह : खराबी है उसको मिटाने का......

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको अमेन्डमेंट लाने के लिए नहीं रोक रहे हैं।

मेरी राय यह है कि जो सुविधा राजस्थान के लोगों को उपलब्ध है वह राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए मैं इस पद्धति को राजस्थान के हित में मानता हूं ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो यह बात कही है कि यह पद्धति किस प्रकार की है तो सबसे ज्यादा आवश्यकता तो इस बात की है कि यह जो कहा गया है कि इतने अरसे में भी नहीं किया गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि डेढ़ साल के अंदर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अन्दर रजिस्ट्रेशन हो जायेंगे और रजिस्ट्रेशन होकर यह काम पूरा हो सकेगा। इसलिए माननीय सदस्य इसमें पूरा पूरा सहयोग दें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु श्री हरिवल्लभ शर्मा, श्री रामनारायण चौधरी, श्री केसरीसिंह हाडा ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के बारे में जो प्रस्ताव श्री वृद्धिचन्द जैन और श्री रामचन्द्र आर्य ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2-श्री केशरीसिंह हाडा।

खण्ड 2

"चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "डेढ़ वर्ष" शब्द "दो वर्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।"

खण्ड 3

"द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "डेढ़ वर्ष" शब्द, "दो वर्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।"

खण्ड 4

"द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "डेढ़ वर्ष", शब्द "दो वर्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।"

श्री केसरीसिंह हाडा : सभापति महोदय, राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा पर यह ऐसा संशोधन आया है कि हमने जो विधेयक पारित किया था वह गत वर्ष ही किया था और लागू हुआ है।

श्री सभापति : आपको संशोधन डेढ़ वर्ष की जगह दो वर्ष करने का है।

श्री केसरीसिंह हाडा : जी हां, उसी पर मैं आ रहा हूं।

श्री रामकिशन : यही एक ऐसा बिल है जिसके समर्थन में और विरोध में एक ही आवाज आ रही है।

श्री केसरीसिंह हाडा : वह विधेयक कार्य भी नहीं करने लगा कि राजस्थान सरकार ने एक संशोधन उसमें सदन के सामने पेश कर दिया। आप इस बात को मानेंगे कि सरकार जो कानून बनाती है वह या तो मैं यह समझता हूं कि इस विधान सभा को चलाने के लिए या कुछ न कुछ कार्य विधान सभा में रखने के लिए ही विधेयक रखती है और इस प्रकार से उसमें संशोधन लाना चाहती है।

श्री सभापति : खण्ड 2, 3 और 4 इन तीनों पर ही आपने संशोधन रखा है कि डेढ़ वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिये जांय। तो इन तीनों खण्डों को साथ साथ ले लेते हैं। खण्ड 2, 3, 4 आर अन्डर दी कन्सीडिरेशन ऑफ दी हाउस, यू हेव मूव्ड दी एमेंडमेंट्स एण्ड टेक आल दी थ्री क्लासेज।

दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक आ रहा है इसलिए जरा जल्दी बोलें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं सदन में यह कह रहा था कि सरकार ने 6 महीने के अन्दर जो काम पूरा नहीं किया वह प्रगतिशील सरकार, समाजवादी सरकार कहां तक डेढ़ कैसे डढ़ वर्ष में पूरा कर सकेगी ?

श्री सभापति : दो वर्ष में हो तो आपत्ति क्या है ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इसीलिए मैं इस लचर सरकार को 6 महीने का और ज्यादा अवसर देना चाहता हूं ताकि यह अपना निकम्मापन साबित न करे और फिर से संशोधन न लाये। मैं चाहूंगा कि यह 6 महीने और लेले और डेढ़ वर्ष की जगह दो वर्ष लेले तो उचित ही होगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : डेढ़ वर्ष ही बहुत है।

श्री रामकिशन : कोई जिद्द है क्या ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप जिद्द मत करिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जिद्द का सवाल क्या है। बहुत से माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर कर रहा हूं। कई माननीय सदस्यों ने स्वयं ने अपने आप ही कहा है कि यह जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। इसलिए डेढ़ की जगह दो वर्ष मानने की मैं असमर्थता प्रकट करता हूं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : डेढ़ वर्ष एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, दो हों तो और भी अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन प्रस्ताव श्री केसरीसिंह हाड़ा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री केशरीसिंह हाड़ा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री केसरीसिंह हाड़ा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नियम स्वीकार किये गये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971

श्री सभापति : राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक पर संकल्प प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1972 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं० 1, सन् 1971) को अस्वीकार करता है।

सभापति महोदय, राजस्थान में पंचायत राज्य व्यवस्था और उससे सम्बन्धित सभी पहलुओं पर किसी कमेटी का गठन किया गया है एसा इस अध्यादेश के कारणों में बतलाया गया है, और सरकार का यह कहना है कि उस कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है उस रिपोर्ट को स्वीकार करके कानून में संशोधन करेंगे इसलिए पंचायतों का जो समय समाप्त हो रहा था—पंचायत समितियों, जिला परिषदों और पंचायतों का उस वक्त उसके लिये एक वर्ष के बजाय 3 वर्ष की वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान भर म और राजस्थान में जो पंचायतों की स्थिति है मैं समझता हूं कि मंत्रीजी का यह कहना कि हमने किसी कमेटी का गठन किया है इसका तो मैं स्वागत करता हूं। यहां आपने इस कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया है। आज पंचायत समितियों और जिला परिषदों की जो दशा है वह तो कानून म संशोधन करने पर ही पता चल गया। सभापति महोदय, लोकतन्त्र में अच्छे बुरे प्रयोग होते रहे हैं। राजस्थान में पंचायत समितियों, जिला परिषदों का हमने एक प्रयोग किया था। उसमें राजस्थान के मन्त्री, चाहे छोटा मन्त्री हो चाहे बड़ा मन्त्री हो सभी यह कहते हैं.....

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो पंचायत राज की अन्त्येष्ठी हो रही है। इसलिए कोरम नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: क्या मेहताजी ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह पंचायत राज की अन्त्येष्ठी हो रही है इसलिए कोरम नहीं है।

श्री रामकिशन : चीफ व्हिप की ड्यूटी है कि वह कोरम रखें। वह नहीं रखते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह खुद नहीं रहते हैं।

श्री रामकिशन : तो मैं कह रहा था, पंचायत राज का यह उद्देश्य था कि वह जनता के विकास की गति को तीव्र करने वाला है। वहां नया जन्म होगा। नया नेतृत्व बढ़ेगा। मैं पूछता हूं कि नया गठन किया गया है। इतने दिनों में हम असफल हुए हैं। आज जहां तक मेरा अनुभव है। मेरा भी पंचायत राज से निकट का अनुभव है। मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों का जिला परिषद् में कोई उपयोग नहीं है। जो 3 करोड़ 4 लाख रुपया उन पर सरकार खर्चा कर रही है, यह सारा रुपया बरबाद कर रही है। अगर इस पैसे को बचा कर हम राजस्थान के पानी और बिजली पर लगाय तो राजस्थान का कल्याण होता। आज सरकार अवधि बढ़ाना चाहती है। सरकार यह कहती है कि हम नयी स्थिति लायेंगे। पिछली विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था, सदन में यह बार बार पूछा गया कि चुनाव पंचायतों के कराये जा रहे हैं या नहीं। तो सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। हम लोग घर चले गये तो उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार पूर्वाग्रह से हट जाये। जहां तक पंचायत समितियों का सम्बन्ध है, उनको समाप्त किया जाना चाहिए। पंचायतों को रखना है। उनको हमें तीव्र बनाना है। जिनका आकार बड़ा हो और अपने क्षेत्र में सक्रिय सहयोग कर सकें। इसके अलावा मेरा सुझाव यह है कि पंचायत समितियों को सरकार समाप्त कर दे। एक महीने में मीटिंग होती है। पंचायत समिति के क्षेत्र की सिंचाई और सड़कों की चर्चा नहीं होगी। केवल कृषि विभाग की चिट्ठी चली जाती है कि आप लोगों को इस साल 16 एकड़ संकर बाजरा बोना है। दूसरी चिट्ठी चली जाती है कलेक्टर की कि जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा हुआ है या नहीं ? राजस्थान सरकार का 3 करोड़ खर्च हो रहा है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रयोग है। प्रयोग सफल नहीं हुआ। जिनको पद्म श्री लेनी थी वह चले गये। राजस्थान सरकार ने सब से बड़ा प्रयोग किया था वह आपके सामने है। यह हमारे सभापति महोदय, प्रजातन्त्र की मान्यता क्या है ? हम लोगों की मान्यता है कि राज्यसत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए कि जिस तरह से साधारण पुरुष है या साधारण महिला है, उसका भी उपयोग हो। उसकी भी कुछ मान्यताएं हैं, सुझाव हैं। ऐसा हमको बनाना है। लेकिन हमने पंचायत समितियों को बना कर पंचायतों को कमजोर बना दिया है। और, जो अधिकार दिये थे, वह भी राज्य सरकार ने वापिस ले लिये हैं। एक प्रधान ही नजर आता है। 5 आदमी भी दिन में पूरे जाते नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर कर्जा है। उनके यहां रिकार्ड

(श्री रामकिशन)

नहीं है । या मैं ने लिया है तो रोशनलाल जी के नाम वसूली की चिट्ठी जाती है।

श्री रोशनलाल शर्मा : ऐसा नहीं होता है ।

श्री रामकिशन : हां, वह तो हमें मालूम है। सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि सरकार को निश्चित तौर से एक सुझाव देना चाहिए कि अब हमें पंचायत समितियों को बरदाश्त ही नहीं करना चाहिए । पंचायत समिति और जिला परिषदों में कौन किसकी मानता है। आप का सवाल कौन मानता है । अगर कानूनी ताकत नहीं है तो कौन किसकी मानता है। तो इस सम्बन्ध में जब सरकार ने कमेटी गठित की है, मेरा सुझाव है कि पंचायतों के जितने क्षेत्र हैं तो सभी को ज्यादा बड़ा बनायें। इसको सोचना चाहिए। जहां तक जिला परिषद् का गठन है और वहां का जो खर्चा है, अगर यह सफल नहीं रहता है तो चौखम्मा शासन बनाना चाहिए । पंचायत, जिला परिषद्, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार। अगर ऐसा हम करते हैं तो जिसके लिए कमेटी गठित की गई है, उसके साथ साथ विकास की गति भी मिल जाती है । जिला परिषद् के पास क्या अधिकार हैं ? मास्टरों को ट्रेनिंग के लिए चुनाव कर लें। वह ट्रेनिंग किये बैठे हैं । मेरा सुझाव है कि पंचायतों को बड़ा बनायें । पंचायत समितियों को तोड़े । जिला परिषद्ों को सम्पूर्ण प्रशासन दे देना चाहिए । जो टैक्स हैं उनका भी वह पैसा लें । वह अपने बजट में प्रावधान करना चाहिए । वह एक बटे चार जिला परिषद्ों के लिए छोड़ देना चाहिए । उनके सदस्य विधान सभा के भी सदस्य हो सकते हैं । इस तरह से हम जिला परिषद्ों का गठन करें । सम्पूर्ण राजस्व का एक बटे चार जिला परिषदों को दे दें । जिसके लिए हम योजना बनाते हैं, उसके कुछ काम हम जिला परिषदों को दे दें । जैसे सड़क है, सिंचाई है, दूसरे और जो भी काम हैं उनको जिला परिषदों को दे दें । वह जिला परिषद् करें । उनको किसी मन्त्री के पास जाने की आखिरी जरूरत नहीं पड़े । विकास की गति को तीव्र करने की यह कल्पना है । तब तो ठीक है । अन्यथा जिला परिषद् और पंचायत समिति राज्य सरकार की ओर देखती रहती है । जब उन को स्कूल के लिए पैसा मिल जाता है तो कर्मचारियों को तन्ख्वाह बांट देते हैं । जो वैकल्पिक आपने एक आधि व्यवस्था की है, वह शिक्षा कर लगायें, पेशे कर लगायें–उनकी गुन्जाइश इसलिए नहीं छोड़ी है कि विभिन्न तरह के कर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा लगाये जाते हैं । अब राज्य सरकार टैक्स लगाये, जिला परिषद् टैक्स लगाये, पंचायत समिति टैक्स लगाये और नगरपालिका टैक्स लगाये तो जनता को इस मामले में कई तरह की कठिनाई अनुभव होती है और प्रशासन को भी कठिनाई होती है । मेरा सुझाव है कि हमारी जो टैक्स लगाने की क्षमता है उसका विभाजन किया जाना चाहिए, या फिर सम्पूर्ण कर राज्य सरकार लगाये और उसका विभाजन अलग अलग इकाई के अन्दर हो उस हिसाब से, जो भी आपस में तय हो जाय, और उसके अनुसार आगे उसका विभाजन किया जाय । ऐसा नहीं होता है तो जिला परिषद् का जो क्षेत्र है, जो

(श्री रामकिशन)

क्षेत्र जिला परिषद् को देना चाहते हैं, या पंचायत समिति का जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार का दखल नहीं हो, लेकिन आप यह दोहरी व्यवस्था कर रहे हैं। इस कारण से यह पंचायती राज मर चुका है, यह निर्जीव हो चुका है। मेरा सुझाव है कि यह अध्यादेश आप इसलिए लाये हैं क्योंकि आपको दो वर्ष का समय बढाना है। मेरी दृष्टि से यह काफी नहीं है। आप इस पर सोचें, सादिकअली कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, और उसकी रिकमन्डेशन्स को जो स्वीकार नहीं किया, इसके अलावा पिछले सालों में हमारा जो अनुभव हो चुका था, उसके आधार पर हमने भी कई उपयोगी सुझाव दिये, वह सुझाव भी स्वीकार नहीं किये गये। इसके अलावा पंचायती राज के पास में शिक्षा संस्थायें हैं, उन शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में भी कमेटी बैठायी—नायक कमेटी बैठायी और सादिकअली कमेटी बैठायी। उन्होंने जो कुछ सुझाव दिये, उनमें से कुछ को माना और कुछ को अमान्य कर दिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें भले ही समय लगे लेकिन आप इस तरह देखें कि जिससे पंचायती राज केवल सफल नजर ही नहीं आवे बल्कि जिस उद्देश्य को लेकर इसे चालू किया है, उनमें भी सफलता मिले।

सभापति महोदय, यह तो है सिद्धान्त पक्ष की बात, इसका व्यवहारिक पक्ष बड़ा काला है। आज हालत यह है कि पहले विकास अधिकारी आर० ए० एस० थे, उस समय कुछ काम भी पंचायत समितियों के पास, और पंचायत समितियों का कुछ उपयोग था, लेकिन आज विकास अधिकारी हैं नहीं। जिसकी मर्जी में जो आता है उसको विकास अधिकारी बना ले जाता है। सुबह एक विकास अधिकारी होता है और शाम को दूसरा। कोई कृषि वाले को ले जाता है तो कोई एनीमल हस्बेन्ड्री वाले को ले जाता है और उसका जो काम है उसके कारण जनता यह महसूस करती है कि यह क्या मजाक है, सुबह से शाम तक एक दिन में तीन बार विकास अधिकारी बदल दिये जाते हैं, न उसमें सीनियोरिटी का ख्याल है, न अनुभव का ख्याल है। जिसकी जो मर्जी होती है, उसको बना कर ले जाता है। अब काम क्या रह गया है। पहले आर० ए० एस० अधिकारी का नियंत्रण था तब कुछ काम होता था। लेकिन आज कुछ काम नहीं, केवल जिला प्रमुख के साथ में घूमता रहे। चुनाव प्रचार में जीप चाहिए तो वह भरतपुर से जीप ले जाकर आगरा जा सकता है, मथुरा जा सकता है। नियंत्रण किसी का है नहीं, कहते हैं कि स्वायत्त शासन संस्थायें हैं इसलिए आगरा में चुनाव प्रचार करने के लिए जीप चाहिए तो हमारे भरतपुर से जीप आगरा में चली जाती है। मंत्री महोदय हैं, उनको शिकायत करें, तो कहते है मैं कुछ कर नहीं सकता। स्वायत्त शासन संस्थायें हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस स्वायत्त शासन संस्था का सरकार अर्थ लगाती है कि यह विनाश के लिए स्वायत्त हैं, किसी निर्माण के काम के लिए नहीं है। मुझे जो अनुभव है, भरतपुर की पंचायत समितियों का, खास तौर पर इनके क्या हाल चाल हैं, क्या ऑडिट रिपोर्ट आती है। यह ऑडिट रिपोर्ट ऊपर के अधिकारियों के पास भी पहुंचती

(श्री रामकिशन)

है । मैं समझता हूं, वह पढ़ते जरूर होंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता है । अगर किसी मामले में कोई कार्यवाही होगी तो ऊपर से राजनैतिक हस्तक्षेप हो जाता है । आपने यह नियम बना रखा है कहां जीप नहीं जायेगी, फलां काम इस तरह हो सकता है, इतनी इतनी ड्यूटी होगी, लेकिन क्योंकि उन पर सरकार का अधिकार नहीं है इसलिए किसी भी नियम के अनुसार आचरण नहीं होता है । सेवर में मैं गया, वहां मैंने पूछा कि शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं, तो कहा कि वह दौरे पर गये हुए हैं । मैंने सोचा, शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं, वह दूसरी जगह गये होंगे । वहां गया, पूछा तो कहा कि यहां नहीं है । यह कहा कि रात को लौट कर आयेंगे, तो कहा कि आज क्या आयेंगे, यहां दो ढाई महीने से नहीं आये हैं । वह वहां नहीं मिले । इस प्रकार एक दिन में मैं सोलह जगह गया, और वहां पर शिक्षा प्रसार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी को देखा लेकिन एक भी नहीं मिला । इसकी शिकायत करें तो कौन सुनता है । मेरी जगह अगर रोशनलालजी होते तो वह सजा भी दे देते क्योंकि वह सत्ता दल के हैं, लेकिन विरोधी दल के प्रमुख की कोई शिकायत आ गई, या चिट्ठी आ गई तो उसको रद्दी की टोकरी में पटक देते हैं । मुझे ताज्जुब होता है, अध्यापक यह प्रचार करते हैं कि उन्हें पंचायत समिति से निकाल दें । लेकिन अध्यापकों को जितना आनन्द वहां, है, वह और कहीं हो नहीं सकता है । बस उनका एक काम है कि अपने यहां के सरपंच को, प्रधान को खुश रखें फिर स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है । यह आम बात है। मेरे खुद के देखा हुआ है, स्कूल का समय ग्यारह बजे का है, लेकिन मास्टर बारह बजे तक वहां नहीं पहुंचते हैं । स्कूल के बन्द होने का समय तीन बजे है, लेकिन वह स्कूल में पांच बजे आयेंगे । उनका स्कूल में अपनी ड्यूटी के प्रति रुख ठीक नहीं है, उनका नजरिया ठीक नहीं है । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर स्वायत्तता का अर्थ क्या है ? विकास के लिए स्वायत्तता चाहते हैं, मजबूती के लिए स्वायत्तता चाहते हैं तब तो बात समझ में आती है । यह दोनों चीजें करनी चाहिए, इस दृष्टि से उनको मजबूत करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से उनको प्रौढ़ करना चाहते हैं ? लेकिन आज यह दोनों बातें नहीं है, आज उल्टी स्थिति चल रही है तो इनका उपयोग क्या समझते हैं । नियम है कि तीन महीने में पंचायत समिति की मीटिंग एक बार होगी। तीन महीने में मीटिंग होगी, लेकिन उसमें कार्यवाही क्या होगी, वह मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है । इसके साथ ही पंचायत समितियों को आपने कई काम सुपुर्द कर रखे हैं, लेकिन उन कामों को करने के लिए धनराशि नहीं है । आपने छोटी सिंचाई की योजनाओं को पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर दिया, उनको छोटे छोटे तालाब ट्रान्सफर कर दिये, लेकिन उनकी मरम्मत करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है । यह दूसरी बात है कि उदयपुर और जोधपुर में इस चीज का आभास नहीं होता हो क्योंकि वहां तो चौबीस साल से अकाल रहता है, इसलिए वहां पर अकाल राहत कार्य के नाम से तालाबों की मरम्मत हो जाती है । लेकिन उन इलाकों के बारे म सोचिये, जो कि

(श्री रामकिशन)

झूठ नहीं बोलते हैं, वहां अकाल होगा तो अकाल कहेंगे, नहीं तो नहीं (श्री रोशन लाल शर्मा के बोलने पर) सभापति महोदय, इनको क्या कष्ट हो रहा है। इनको कुछ वेदना है, कुछ पीड़ा है.........

श्री सभापति : आप दोनों जिला प्रमुख हैं।

श्री रामकिशन : मैंने तो बता दिया कि मेरी वह हैसियत नहीं है जो इनकी है।

श्री रोशनलाल शर्मा : जैसी आपकी है, वैसी ही मेरी है।

श्री रामकिशन : मेरा निवेदन करना यह है कि आज आपने पंचायत समितियों को छोटी सिंचाई योजनायें ट्रान्सफर कर रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दस वर्ष में जितने बांध ट्रान्सफर किये हैं, क्या आपने जानकारी की है कि उनकी मरम्मत भी हुई है या नहीं ? यह दूसरी बात है कि मंत्री महोदय कह देंगे, जैसे मैंने एक बार कहा था तो उन्होंने कहा कि रकम ट्रान्सफर कर दी है। उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा, लेकिन असल सवाल यह नहीं है। असल सवाल यह है कि इस प्रकार की संस्थाओं को, इन पंचायत समितियों को जो काम सुपुर्द किये हैं, छोटी सिंचाई की योजना, छोटे रास्ते ठीक करने का काम, चाहे लघु उद्योग के–उनके लिये प्रावधान क्या है ? अगर पंचायत समितियों के पास धनराशि नहीं है, तो इस तरफ क्यों नहीं सोचें कि जो इन संस्थानों को काम सुपुर्द किये गये हैं उनको पूरा करने के सम्बन्ध में क्या स्थिति बन रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस दृष्टि से इन पंचायत राज संस्थाओं को देखें। मेरे ख्याल से आज पंचायती राज सम्पूर्णरूप से असफल हो चुका है। अगर राजनैतिक तौर पर आपको 232 प्रधानों को रखना है, 26 प्रमुखों को रखना है ऐसा समझ कर कि इन्हें विधान सभा और लोक सभा के अन्दर जाने से रोकना है तो आपकी कल्पना ठीक है, अन्यथा जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया है, वह उद्देश्य अपूर्ण है और इसके साथ साथ जितना हमारा प्रयोग था वह असफल हो चुका है।

इसके साथ, सभापति महोदय, पंचायती राज को संगठित करने के लिए मैं जोर देना चाहता हूं। आज दुनियां में उथल-पुथल हो रही है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि लोकतंत्र की कई कई परिभाषायें आज की जा रही हैं। पड़ोसी देश में जो पंचायती राज था, पाकिस्तान में जो अब तक पंचायती राज चलता था वहां जन प्रतिनिधियों को असेम्बली में जाने से रोकने के लिए पंचायतों का सहारा लिया गया। इसी तरह से दूसरे पड़ौसी देश है, वर्मा वगैरह, वहां पंचायत रेस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी के नाम से चल रही है। उन्होंने इसे दूसरा रूप दिया है। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ मजबूत हो चुकी है, ज्यादा गहरी हो चुकी है इसलिए बाहरी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार को विकास की गति को तेजी से चलाने के लिए ज्यादा काम नीति के तौर पर उन्हें सुपुर्द कर देने चाहिए। इसके लिए पहले तो मेरा यह सुझाव है कि लोकतंत्रात्मक देश में लोकतंत्री संस्थाओं के ऊपर जो जिलाधीश का पद रखते हैं वह

(श्री रामकिशन)
इस सिद्धान्त के प्रतिकूल मालूम पड़ता है। जिला परिषद् के ऊपर जिलाधीश का नाम निरर्थक है, गलत है। आज जब हमारे यहां नरेशों का, भूपतियों का सफाया हो रहा है, वैसे यह होना चाहिए मेरा दल तो मानता है कि जल्दी होना चाहिए था, लेकिन यह 23 साल के अन्दर नहीं हो पाया, लेकिन अब भी जिला का ईश्वर बना कर जिलाधीश को रखा जाय, इसके बजाय आप ऐसी इकाई बनायें जो पंचायत का काम भी करे और रेवेन्यू एजेंसी का पद भी। वह जिलाधीश नहीं होना चाहिए और उसको जिला परिषद् के सचिव के रूप में काम करना चाहिए। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए, जैसी कि नार्वे-स्वीडन और डेनमार्क में बना दी गई है और उसको आप विकास के लिए जिम्मेदार ठहरायें। इस सम्बन्ध में जब इस बिल पर ज्यादा विस्तार से विचार होगा उस समय मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे हमें ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, अगर नहीं कर पाते हैं और लोगों का मन जीतने के लिए, उनका मन बदलने के लिए पंचायती राज का नारा दे देते हैं, कभी आप जमीन के बटवारे का नारा देते हैं, कभी आप समाजवाद का नारा देते हैं और अब बेरोजगारी को मिटाने का नारा दिया है, तो इन नारों से तो आप 23 सालों से राज्य करते आये हैं और इसके लिए मैं बधाई देता हूं, राज्य सरकार को और केन्द्र सरकार को कि आप इतने वाचाल हैं, बात करने वाले इतने तेज लोग हैं कि जनता आप लोगों पर विश्वास करती है और आपकी बात को सही मानती है...... वैसे मैं आपकी इस कला को मानता हूं। आपकी ऊंचे दर्जा की कला है। लोकतंत्र में आप विश्वास नहीं करते, समाजवाद से आपका लेनादेना नहीं लेकिन समाजवाद की हमें दुहाई देते हो। आप काफी तेज हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो आस्थावान् हैं जिनकी आस्था लोकतंत्र और समाजवाद लाने में और गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने में प्रयोगात्मक रूप में होनी चाहिए। इस पंचायती राज में कहां इसका आभास मिलता है? डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेन्ट बना हुआ है। कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट आफिसर है, बी० डी० ओ० है। ग्राम सेवक है। ग्राम से लेकर राज्य के विकास के लिए पद तो सुरक्षित करें लेकिन उनके पास काम है? मेरा अनुभव है कि जिला परिषद् का दफ्तर मेरे पास है। तीन या चार चिट्ठियां आती हैं। तीन चिट्ठियां इधर से उधर होती रहती हैं पंचायत समितियों के कर्मचारी मुश्किल से दिन भर में दो चिट्ठियां नहीं निकालते, कुछ काम ही नहीं और निकालते भी हैं तो इसलिए कि संस्था बनी रहे और मुफ्त में अन्नोत्पादक कार्य में पैसा आपने लगाया। अगर इन संस्थाओं को तोड़ेंगे तो कर्मचारी बेरोजगार होंगे। विकसित व्यवस्था में रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा जितना कार्य होना चाहिए उत्पादन को बढ़ाने वाला हो। हिन्दुस्तान का एक पैसा भी अनोत्पादन कार्य में न लगायें। हमारा पैसा उत्पादन कार्य में लगना चाहिए। आपके कृषि प्रसार अधिकारी को कुछ काम दे सकते हैं अन्यथा पंचायत समितियों में कोई काम नहीं है। आज हिन्दुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान नए बीज व खाद के प्रयोग को समझ गया है। केवल खाद चाहता है। केवल

(श्री रामकिशन)

राज्य सरकार पानी व बिजली से खेती का इंतजाम कर दे । पंचायत समितियों को रखते हैं तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस तरह की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में जम चुकी है । फिर तो प्रसार अधिकारी की भी जरूरत नहीं है । अगर कृषि में नए नए प्रयोग होते हैं तो आपका कृषि विभाग किसानों को जानकारी देता रहे । तो इस पैसे को बचाया जाए । और बजाय इस बिल पर कुछ बहस हो इसको वापस ले लें और बजट सेशन में आप एलान कर दें कि पंचायत समितियों को तोड़ रहे हैं ।

जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है हालांकि उनका स्वरूप सामने नहीं आया है, जिला परिषदों को सस्पेंड कर दिया है, ऐसा कोई कदम उठायें तो आप अपने राज्य के लिए नई दिशा दे सकेंगे ।

जहां तक आपने कमेटी बनाई, मैं समझता हूं कि वह इसलिए बनाई है कि चुनाव आपको कराने नहीं थे तो कोई न कोई बहाना तो चाहिए । इसके लिए मैं आपकी मन्शा पर शक नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको बहाने चाहिए कि हमने कमेटी का संगठन किया था । आज इन संस्थाओं की हालत ऐसी निर्जीव हो गई है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों का कोरम कभी पूरा नहीं होता । जिला परिषद की मीटिंग बुलाते हैं तो यदि चाय पानी नहीं पिलाते हैं तो प्रमुख और प्रधान आते नहीं हैं । कोरम के अभाव में मीटिंग्स नहीं होती हैं । अगर होती भी हैं तो उसमें तीन चिट्ठियां पढ़ी जायेंगी एक कमिश्नर साहब की एक अपील होगी कि लाटरी टिकट बेचो और एक कृषि विभाग की । तीन चिट्ठियां पढ़ी जायेंगी । क्या जरूरत है ? खाना बंद कर दिया या समोसे बंद कर दिए तो कांग्रेस के सदस्य दिलचस्पी नहीं लेते आने में । इसलिए कोरम रहता ही नहीं । आा एसी संस्थाओं को कब तक खींचते रहेंगे ? मैंने अपनी जिला परिषद् और पंचायत समितियों की बात बताई । राज्य के अन्य पंचायत समितियों और जिला परिषदों में भी ऐसी ही स्थिति होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके साथ एक पंचायत समिति की मीटिंग में गया । खैर, उस समय कोरम पूरा था । उस समय अकाल की सहायता के लिए पंचायत समिति की मीटिंग हो रही थी । हर समय अकाल की याद रहती है आपको । आपको हर समय अकाल दिखाई देता है । वृद्धिचन्दजी जैन बोलेंगे तो कहेंगे कि 5 साल से अकाल है । कभी नहीं कहा कि अब बरसात हो गई है, अगर अच्छी बरसात हुई तो बेचारे ठीक हो गए हैं तो भी कहेंगे कि काश्तकार चले गए हैं बाड़मेर से । इनके लिए पैसा दे दो । तो पंचायत समिति की मीटिंग में गया तो जो सरपंच था, वह डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन क्षेत्र था, उसने अकाल का जिक्र किया, मैंने कहा कि नहीं है । तो कहा आपको क्या मालूम ? मैंने सवाई माधोपुर और अलवर में पंचायत समितियों की मीटिंग्स देखी हैं कोई रस नहीं । इसलिए इस पैसे को बचाने के लिए यह विद्युत मंडल को दे दें । इस काम के लिए आप 8-9 करोड़ रुपया हर साल बरबाद कर रहे हैं—3 करोड़ डाइरेक्ट और 5 करोड़ इन्डाइरेक्ट यह भारी अन्याय है । अगर

(श्री रामकिशन)

आपकी राजस्थान के विकास में आस्था है, तो पंचायत समितियों के मौजूदा स्वरूप को बदलना होगा। मैं पंचायती राज के खिलाफ नहीं हूं या तो उनको अधिकार दे दें अन्यथा मौजूदा स्वरूप को समाप्त करें। जिला परिषदों को कम से कम ताला लगायें। उनका कोई उपयोग नहीं। उनके पास काम नहीं है। उनकी सलाह मानने को तैयार नहीं। अगर सलाह दें तो वे चिट्ठी राज्य सरकार को लिखें तथा आप विचार करन को तैयार नहीं है। तो आज आप अध्यादेश जिस कारण से लाए हैं, उस बारे में मैंने बता दिया। चुनाव नहीं कराने थे तो कमेटी का 10-15 दिन पहले गठन किया था। आप अनुपयोगी खर्च बंद करें और पंचायत समितियों के मौजूदा स्वरूप को बंद करें और जिला परिषदों को तत्काल तोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं मैं समझता हूं अकाल क्षेत्र के लोग भी सहयोग करेंगे ताकि वह पैसा भी बच जायेगा।

श्री सभापति : वह विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें। श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : सभापति महोदय, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि पंचायती राज बहुत अच्छे उद्देश्य से शुरू किया गया था, क्या उसी पंचायती राज की अन्त्येष्टि यहां होने वाली है। आप लोकसभा के चुनाव 4-4 साल में करवा लेते हैं विधान सभा के चुनाव जल्दी कराने की सोचते हैं लेकिन पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनावों को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। 3 साल से 5 साल और अब आगे बढ़ा रहे हैं। यह पंचायती राज की अन्त्येष्टि हो रही है। इससे तो बेहतर है कि आप प्रबल बहुमत में हैं आदेश निकाल दें कि हमेशा के लिए सरपंच और प्रधान जब तक जीयें तब तक कायम रहें। 232 सफेद हाथी बांध रखे हैं। करोड़ों रुपये का नुकसान है सारी की सारी स्थिति अव्यवस्थित हो रही है, अराजकता बढ़ रही है और ये लोग मनमाने ढंग से कुकर्म कर रहे हैं जिनको देखकर बड़ी पीड़ा होती है। केवल आप भीलवाड़ा जिला परिषद् को ले लें। जितनी पंचायत समितियां है उनमें 11 में से 9 में फार्म चल रहे हैं। सुआना में 65 बीघा का फार्म, 17 हजार रुपये का नुकसान। शाहपुरा में लाखों का नुकसान। यह जमीन किसानों को दी होती तो लाखों मन अनाज का उत्पादन बढ़ाते लेकिन आपनें इन संस्थाओं को दे दी। उनकी जीपों का खर्चा देखिये। केवल भीलवाड़ा में 11 जीपें है। राज्य में हजारों का खर्चा हो रहा है, खूब घूमते हैं और गुलछर्रे उड़ाते हैं। 232 जीपों में व्यर्थ घूमते रहते हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और कोई काम नहीं है। व्यर्थ का पैसा बरबाद कर रहे हैं। आप ही अन्दाज लगाइयें कि क्या हाल हो रहा है।

मास्टरों की और स्कूलों की ऐसी दुर्दशा की कि कुछ कहा नहीं बन पड़ता। जो प्राईमरी स्कूल अच्छे लोगों के, अच्छे शिक्षकों के हाथ में होने चाहिये थे क्योंकि वहीं पर बच्चों के निर्माण की सीढ़ी है। उनकी नींव ही ये प्राइमरी स्कूल हैं जहां बच्चों का निर्माण होता है। आपने इनको पंचायतों को सौंप दिया। कई स्कूल मास्टरों

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

को जानता हूं कि जिनको दूध बांटने को दिया उन्होंने उसको बेच दिया । जब पकड़े गये तो जिस प्रकार यह कहा जाता है कि जती लोग आगे छतरियां उड़ा कर लाते थे उसी प्रकार दूध पाउडर को मेदे में परिवर्तित कर दिया गया । माननीय रामकिशनजी ने ठीक ही कहा है । आप कहेंगे कि कैसे कर लिया । प्रमुख को खुश करना उतना जरूरी नहीं जितना कि प्रधान और सरपंच को । प्रधान और सरपंच को खुश कर लिया तो जरूरी नहीं है कि मास्टर लोग हाजिर रहें स्कूलों में । मास्टर पूरी तरह उन पर निर्भर हो गये । कई जगह पर मैं जानता हूं कि स्कूल का समय 8 बजे का है । मास्टर घर से ही 8 बजे निकलेंगे और दस दस मील दूर जाना है । बीच में बीड़ी पी और वहां दस बजे पहुंचे । थोड़ा सा समय वहां ठहरे और बीड़ी और पी और हाजरी ली बच्चों की और छुट्टी । फिर सबको पास कर देते हैं इम्तिहान में । जब ये ही बच्चे 10वीं में बैठते हैं तो रिजल्ट निकलता है 30 परसेन्ट, 25 परसेन्ट । इसका मूल कारण ही पंचायत समितियां हैं जिनको स्कूल सौंप रखे हैं । सबसे अधिक नुकसान बच्चों का आपने यह किया है । इसके साथ साथ आपने पंचायत समितियों को फार्म देकर सबसे बड़ा नुकसान उत्पादन का और भूमिहीन किसानों का किया है । यदि ग्राम सभायें होतीं एक एक गांव की, मंत्रिमण्डल है उस तरह की पंचायतें होती और उनकी पूरी तरह से निगरानी होती तो ये इकाइयां स्वालम्बी होतीं । इस प्रकार सोचा जाता तो आज चित्र ही दूसरा होता । आपने ग्रामसेवक वहां छोड़ रखे हैं । जबसे उसकी नियुक्ति हुई है वहां का वहीं है वह । तनख्वाह उठाता है और सब तरह से साधन सम्पन्न बना लिया है । काम करते नहीं । दूसरी तरफ विकास अधिकारी हैं वे सेवक नहीं । लाट साहब की तरह जाते हैं और वे क्या जनता के बीच बैठ कर काम कर सकते हैं । शराब भी बन्द नहीं हुआ । कई विकास अधिकारी शराब पीते हैं और मौज उड़ाते हैं । ग्रामसेवक काम नहीं करते । आपने इन का करोड़ों का फिर क्यों खर्चा कर रखा है । कोई विकास का काम नहीं । आप सामान्य व्यवहार की बात क्यों नहीं सोचते हैं कि तवे पर रोटी यदि फेरेंगे नहीं तो जल जावेगी, बाटी को नहीं आग पर फेरेंगे तो जल जावेगी ? खेत में परिवर्तन नहीं करेंगे तो खेत खराब हो जावेगा और जनतन्त्र में परिवर्तन नहीं होगा तो जनतन्त्र ही डूब जावेगा । और आदमी मदहोश हो जावेंगे ।

पंचायत मंत्रीजी के प्रति मेरे मन में आदर है । काफी रात-दिन काम में लगे रहते हैं । जिस दिन उन्होंने मना किया कि फार्मों की जांच नहीं करायेंगे तब से मुझे बड़ी पीड़ा हुई है । आखिर हम विधान सभा में क्यों आते हैं ? आखिर हम यहां पर जनता के प्रहरी के रूप में आते हैं । आप जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि लाखों रुपयों का घाटा हो रहा है और लोग खा रहे हैं और पंचायत समितियों वाले हमें शिक्षा देने के लिये आते हैं कि ऐसा अच्छा अनाज पैदा करो और उनके फार्मों की बालियां जाकर देखिये कि एक एक इंच और भुट्टे लग रहे हैं वे एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के । क्या हम लोगों को यही खेती करना सिखायेंगे ? मान कर चलिये मंत्री महोदय कि आप जांच नहीं करायेंगे तो हम जनता के प्रहरी हैं और हम जांच करवा कर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

रहेंगे। करोड़ों रुपया का सरकार को और जनता को नुक्सान हुआ है और हो रहा है। लाखों रुपया लोग खा गये। घर बना लिये। हमें इन मंत्रीजी से बड़ी आशा थी। लेकिन कहते हैं जांच नहीं करायेंगे। आर० ए० एस० ओफिसर्स जब पंचायत में थे तो प्रधान डरते थे और जब से एक्स्टेन्शन ऑफिसर और बी० डी० ओ० फिरने लगे हैं उल्टा उनको डर रहता है कि ये सरपंच और प्रधान हमारा तबादला करा देंगे। इसलिये जैसा प्रधान कहते हैं उसी माफिक ये काम करते हैं। मैं ऐसे 2 प्रधानों को जानता हूं जिन्होंने जंगलों को बरबाद कर दिया और जिनके भट्टे चल रहे हैं। रहने के लिये जिन लोगों के पास झोंपड़ा नहीं था उनके पास आज अनाप-शनाप पैसा है, मकान और जागीरें बना ली हैं। आजादी के पहले जो चालीस चालीस थैगलियें लगाते थे आज उनके पास क्या नहीं है सब कुछ है। दीपावली के दिन इन्हीं लोगों ने अपने किवाड़ खोल लिये जिससे सारी लक्ष्मी ने उनके यहां ही प्रवेश कर लिया। जनतन्त्र की ये जड़ खोद रहे हैं। पंचायत मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। पंचायतें बड़ी बनाइये और जिला परिषद् और इन बीच में किसी को मत रखिये। जिला परिषद् सक्षम हो और पंचायतें मजबूत हों तब जाकर सचमुच पंचायत राज के दर्शन होंगे। आपने राजस्थान में पंचायत राज का नेहरूजी से उद्घाटन करवाया था और कहीं ऐसा न हो कि इसकी अन्त्येष्टि इन्दिराजी के हाथ से हो।

आप समाजवाद लाना चाहते हैं। पंचायत राज एक माला के समान है। माला डोरे के सहयोग से पिरोई जाती है। डोरे को आप केन्द्र मान लीजिये, राजस्थान मान लीजिये। पंचायतें एक फूल की तरह है। यदि फूल खिले हुए हैं तो डोरा नजर नहीं आवेगा और यदि फूल खिले हुए नहीं होंगे तो डोरा ही डोरा नजर आयेगा। पंचायती राज में केवल डोरा ही डोरा नजर आ रहा है और पंचायत रूपी फूल मुरझा गये हैं। पंचायत समितियों और पंचायतों का जनता के किसी काम से प्रयोजन नहीं रहा है सिवाय अपनी स्वार्थ पूर्ति के। कृपा कर इसको सम्हालिये वरना इसकी अन्त्येष्टि होने वाली है।

एक वक्त था जब आप यह महसूस करते थे कि इनको तोड़ देंगे तो चुनाव में पता नहीं क्या होगा। हम हार जायेंगे। आज तो वह स्थिति नहीं है। प्रधान और सरपंच आज वे आपकी दया पर आश्रित हैं, आप उनकी दया पर आश्रित नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

इसलिये कृपा कर इस पर गम्भीरता से सोचिये और इसको वापिस लीजिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंचायती राज को सबल बनाने के लिये आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और पंचायत समितियों को तो बिलकुल ही हटा देंगे। आप राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा करेंगे और लोग याद करेंगे कि पंचायती राज के मंत्री ऐसे आये कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। कृपा कर इसको वापिस ले लें और इसको न रखें।

श्री सभापति : श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित)

श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापतिजी, यह बिल जो पंचायत मंत्रीजी ने रखा है इस बारे में मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप बराबर जो इनकी अवधि बढ़ाते जा रहे हैं इसके पीछे आपकी क्या इच्छा है। कारण जरूर आपने बताये हैं। इस चुनाव प्रचार में राजस्थान की जनता का लाखों रुपया खर्च हुआ। आपने एक बार चुनाव कराना तय भी किया, पर हर बार बदलते रहे और आज यह तर्क देकर कि सरकार डिलिमिटेशन कमेटी की रिपोर्ट देखना चाहती है और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एक और कमीशन आप बिठा चुके हैं, मैं पूछता हूं इन दोनों की रिपोर्ट कब तक आ जावेगी और सरकार उन पर कब तक निर्णय लेकर चुनाव कराने का इरादा रखती है, यह स्पष्ट घोषणा करें। मुझे विश्वास है मन्त्रीजी अपना स्पष्टीकरण देते हुए इन बातों का अवश्य उत्तर देंगे।

आज पंचायतों का जो बजट होता है, उसमें से 80 परसेन्ट कर्मचारियों के वेतन और टी० ए० डी० ए० चला जाता है। बाकी में अब क्या काम होगा इसका अनुमान माननीय मंत्री महोदय भी लगा सकते हैं। हम तो खैर लगाये बैठे हैं। मेरे अपने क्षेत्र में करीब दस वर्षों से कई अधूरे काम पड़े हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाये ह।

सरकार ने नियम बनाये हैं कि पंचायतें अपनी तरफ से टैक्स लगा सकती है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार करोड़ों के टैक्स लगाती है और उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर किसानों पर जाकर पड़ता है। इस पर भी पंचायत समितियों ने शिक्षा पर टैक्स लगाया किसानों पर जो लगान का केवल अधिक से अधिक पांच प्रतिशत था। पर यह भी टैक्स आज तक पटवारी और तहसीलदारों ने उगाकर नहीं दिया और जब तक वह रकम नहीं आती तब तक पंचायत समिति कोई भी विकास का काम नहीं कर सकती। कलेक्टर, एस० डी० ओ० ने आज तक वह रकम उगाकर नहीं दी। लाखों की रकम बकाया है। पंचायत समितियों ने प्रस्ताव तक पास करके भेजे हैं इस प्रकार के टैक्सों के लिये। मैं पूछता हूं सरकार से, सरकार के विकास विभाग ने उनका क्या किया। आज तक कोई जिक्र नहीं है।

आज तो हालत यह है कि पंचायत समिति प्रस्ताव पारित करती है और सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है। उत्तर ही नहीं देती। इस प्रकार इन कारणों से पंचायत समितियों में बड़ी गिरावटें आई हैं। और इसी कारण से पंचायत समितियों की मीटिंगों में न सरपंच भाग लेते हैं, न कोआप्टेड मेम्बर भाग लेते हैं कोरम के अभाव तक की स्थिति पैदा हो जाती है और वह बैठक स्थगित हो जाती है। बाकी जो सदस्य आते हैं अपना टी० ए० डी० ए० पका कर चल देते हैं।

मेरा सुझाव है कि इस आर्थिक स्थिति में पंचायत समितियों को समाप्त कर देना चाहिये। साथ साथ ग्राम पंचायतों का

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नया निर्माण करना चाहिये, बड़ी ग्राम पंचायतें बनाई जानी चाहियें। जिला परिषदों को विशेष अधिकार देकर विशेष प्रशासनिक अधिकार देकर उनका गठन किया जाना चाहिये। बिजली, सिंचाई, पी० डब्ल्यू० डी० विभाग इनको सौंप देने चाहिये इनके कुछ अधिकार देकर।

विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्य विधान सभा में प्रश्न उठाते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के द्वारा प्रश्न उठाते हैं। पर न तो विधान सभा में उनका उत्तर मिलता है, न बाहर कोई उत्तर मिलता है। आज इन कारणों से कई समस्याएं पैदा हो गई हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि जिला परिषदों के इन विभागों के कुछ अधिकार दे दिये जावें तो काफी समस्याएं जिलास्तर पर ही हल की जा सकेंगी। जिलास्तर तक के अधिकारियों से जवाब तलब करने का अधिकार भी इनको होना चाहिये। पुलिस अत्याचार बढ़ रहा है। पी० डब्लू० डी० विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार भयंकर रूप से पनपता जा रहा है। जिला परिषदों को अगर इन नौकरशाही पर अंकुश लगाने का अधिकार दे दिया गया तो इस भ्रष्टाचार में भी कमी आवेगी। विभागों में भय पैदा होगा। आज तो ये निर्भय हो गये हैं। कोई कुछ काम करना ही नहीं चाहता। अपने घर भरना चाहते हैं। आपाधापी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है। आज चाहे शासक दल के हों या विरोधी पक्ष के सभी व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करते हैं कि आज नौकरशाही उच्छृंखल हो गई है, भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। असल प्रशासन इनकी मुट्ठी में चला गया है। तो यह नौकरशाही की उच्छृंखलता तभी समाप्त हो सकती है जब विशेष अधिकार जिला परिषद् को दे दिये जावें।

आज आपने पंचायत समितियों को खिलवाड़ बना दिया है। सरकारी रकम उनमें बकाया है। उत्तरोत्तर ब्याज लगता जा रहा है। कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें उसकी रकम बाकी न हो। फिर उनको उस पड़ी रकम का ब्याज क्यों नहीं देती सरकार। दस दस वर्षो से बकाया चल रही है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं अन्ता पंचायत समिति के अन्दर मांगरोल ग्राम है। दस साल से 61 हजार रुपया राज सरकार में पड़ा है। ए० जी० ऑफिस से लिखा पढ़ी करने से आखिर वह रकम तो मिली पर आठ दस साल पड़ी रही उसके ब्याज का क्या होगा? आठ साल तक 61 हजार पड़ा रहा उसका ब्याज मिलना चाहिये।

इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, आज से करीब दस साल पहले राज सरकार ने खाद बीज का वितरण किया था। उसका हिसाब नहीं। करोड़ों रुपयों की रकम आज भी राजस्थान सरकार की पंचायत समितियों में बकाया चल रही है। कोई आंकड़े नहीं। जिला कृषि विभाग के अन्दर कोई हिसाब नहीं कि कितनी रकम किस किस को दी। कितना खाद भेजा गया, कितना बीज दिया गया। कोई हिसाब नहीं। पंचायत समिति ने अपनी बला टालने के लिये गांवों के किसानों को नोटिस दे दिये। न उनके दस्तखत हैं, न बोंड या फार्म हैं। कहा जाता है कि तहसील

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के द्वारा पी०डी०आर० में वसूली की कार्यवाही हो रही है। पर वह वसूली हो सकेगी इसमें मुझे संदेह है। आपने क्या कदम उठाये है इस बारे में यह बताया जावे।

वस्तु स्थिति यह है कि राजनैतिक आधार पर ये पंचायत समितियां आज चल रही हैं। जिन सरपंचों के खिलाफ भंयकर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है। मैं उदाहरण देकर बताऊंगा। अटरू के शोहरल ग्राम पंचायत के सरपंच विश्वनाथ शर्मा ने हजारों का घोटाला किया है। अनुदान की रकम हजम कर गये। पंचायत समिति से खाद और बीज का पैसा लिया और खा गये। उसके ऊपर जिलाधीश की एन्क्वायरी हुई और जांच करने के बाद सरपंच को निलम्बित किया गया। राज्य सरकार ने उसको निलम्बित किया। राजनैतिक आधार पर वह जिला प्रमुख का पत्र लाया और राजनैतिक आधार पर जिस राज्य सरकार ने निलम्बित करने का नोटिस दिया था उसको बाद में क्यों कैन्सिल किया गया। आजतक क्यों नहीं उसको सस्पैन्ड किया गया। राजनैतिक आधारों पर चाहे वह जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच हो—कांग्रेस का सदस्य होना चाहिये वह कितना ही भ्रष्टाचारी हो उसका कुछ नहीं होता है। समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं श्री चैना राम क्या हैं उसके ऊपर गंभीर आरोप हैं रिश्वतखोरी के और गबनों के। मैं पूछना चाहता हूं इस राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की उक्त प्रधान के खिलाफ। आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं आज चाहे भीलवाड़ा का जिला प्रमुख हो—और चाहे शाहबाद पंचायत समिति का प्रधान हो—सबके सब फर्जी कार्यवाहियां करके लाखों रुपयों की अनुदान की रकम खा गये। कई केस उनके खिलाफ बनाये गये लेकिन सबको दबा दिया गया। आज शाहबाद पंचायत समिति में श्री जीवनलाल हैं क्योंकि वे कांग्रेसी हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं, उन्होंने शहरियों की जमीन पर फर्जी कार्यवाहियां की हैं, पंचायत समिति के खाद और बीज की रकम खा गये चाहे वह पंचायत समिति से ली है और चाहे बैंक से ली हो। सारी की सारी अनुदान की रकम को हजम कर गये। उसके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की ? कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वह कांग्रेस का प्रधान है।

बांसवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान उस समय जीवन बीमा निगम में फील्ड ऑफिसर थे। जीवन बीमा निगम से 500) रु० वेतन लेते थे और दूसरी तरफ सरकार से ढाई सौ रुपया वेतन लिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या प्रधान के पद पर रहने वाला व्यक्ति दो जगह से वेतन ले सकता है ? उनके खिलाफ जीवन बीमा निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी जांच करने आये तो उनको फर्जी कार्यवाही करके बता दिया गया। राज्य सरकार को शिकायत की गई थी कि वे जीवन बीमा निगम में फील्ड ऑफिसर हैं। उन्होंने लगातार दोनों जगह के वेतन लिया है लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उत पान्डया ने एक गरीब किसान की जमीन लेकर हजम कर ली और अपने आप ही पंचायत समिति गढ़ी से 19 हजार का खाद और बीज का पैसा ले लिया जबकि रजिस्ट्रीकरण

(श्री देवीदत्त गाडिया)

नहीं थी लेकिन कहावत है-अन्धा बांटे सीरनी और अपने अपने को ही दे उसको 19 हजार का खाद और बीज का पैसा दे दिया गया। आज उस पंचायत समिति की हालत यह है कि ए० इ० ओ० उसकी गुलामी करे, विकास अधिकारी उसकी गुलामी करे वरना उसकी तुरन्त राजनतिक आधार पर परिवर्तन कराते। आज झूंझनू जिला प्रमुख महोदय के विरुद्ध हजारों गबन और घोटालों के केस है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। पंचायत समिति की अनुदान की रकम वालबाला हजम कर ली और आजभी पंचायत समिति के रेकार्ड में नहीं है। क्या आपने उस मामले की जांच करवाई? नहीं करवाई और उस मामले को दबा दिया गया।

अरडावता में विद्यालय की रकम को जबरदस्ती लेकर खा गये। उसका जमा खर्च कहां है? किन कारणों से पंचायत समितियों से रकम ले गये और उसका कोई हिसाब नहीं दिया। आज इतने गंभीर आरोप जिला प्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों और पंचों के विरुद्ध है लेकिन आज आप उनके खिलाफ कोई कार्यवही नहीं कर सकते क्योंकि कोई कांग्रेस का प्रधान है और कोई कांग्रेसी एम० एल० ए० का सम्बन्धी है। उन सबको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। पंचायत समिति और विकास के प्रति गांववालों का विश्वास उठ गया। पंचायत समितियों को चलते हुये अनेक वर्ष व्यतीत हो गये लेकिन आज भी ग्रामीण जल योजनाओं की समस्यायें हल नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से बांरा पंचायत समिति ने अनेक बार लिखकर भेजा कि हमारे गांवों के अन्दर पीने के पानी की बहुत बडी समस्या है लेकिन इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस सरकार के पास यूनिसेफसे और वाटर वर्क्स से ग्यारह हजार रुपये की रकम ग्रामीण जल योजना की समस्य हल करने के लिये दिये थे तो उदयपुर के पास बड़गांव हैं वहां परजल योजना के लिये वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने उस ऐरिया को प्रोजेक्ट ऐरिया के अन्दर लेकर उस समस्या को हल कर सकते है लेकिन राजस्थान के अन्य जिलों में जहां पर भयकर पानी की समस्यां है वहां पर कोई ध्यान नहीं देते शाहबाद एक आदिवासी इलाका है अनेक वर्षों से गांव के लोग पैसा इकट्ठा करके खर्च करते जा रहे हैं लेकिन आज तक पानी नहीं मिलता है उनको। तालाब का पानी जिसमें मवेशी भी पानी पीते हैं वहां पर उन इन्सानों को वही पानी पीने को मिलता है लेकिन राजस्थान की सरकार उन समस्याओं को हल नहीं कर सकी। इतना ही नहीं है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं–सभापति महोदय आज जो गांवों के अन्दर मेले लगते है उन मेलों की रकम पंचायत समिति को मिलनी चाहिये लेकिन जो आय है वह सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी आते हैं और ले जाते हैं। पंचायत समिति मुंह देखती रह जाती हैं। गांवों के अन्दर जो आमदनी होनी चाहिए क्यों नहीं उस आमदनी को गावों को देते हैं? क्यों सेल्स टैक्स वाले आकर ले जाते हैं और जो बिक्री कर की आमदनी होती हैं उसका हिस्सा क्यों नहीं उनको दिलवाते है। राजस्थान सरकार उन पंचायत समितियों को और ग्राम पंचायतो को

Page No. 103

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उनकी आमदनी की रकम नहीं देती है। जब तक यह राज्य सरकार उन पंचायत समितियों को और ग्राम पंचायतों को उनका हिस्सा नहीं देगी तब तक वे पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें आत्म निर्भर नहीं होंगी। इतना ही नहीं नई नई स्कीमें बनाकर पंचायत समितियों के पास अधिकारी और कर्मचारी भेज देते हैं। अभी आपने एक पोस्ट दी है जिसमें महिलाओं की नियुक्ति की है उसमें ट्रेनिंग का मामला रखा गया है और कोटा व झालावाड़ की महिलायें उदयपुर में जाकर ट्रेनिंग लें तो वहां पर क्यों नहीं रखते है वहां पर ही क्यों नहीं इस प्रकार की ट्रेनिंग रखते है। क्या यह उचित है कि कोटा और झालावाड़ की महिलायें उदयपुर में जाकर ट्रेनिंग लें। पंचायत समिति बारां में भी इस पोस्ट को रखा गया है लेकिन उसके लिये फन्ड्स अलाट नहीं किये और जब फन्ड्स अलाट नहीं किये तो पंचायत समिति वेतन नहीं देगी और वेतन नहीं देती है तो उस कर्मचारी को भूखो मरना पड़ता है और पंचायत समिति को निजी आय में से देना पड़ता है।

पंचायतों की जीपों पर अनाप-शनाप खर्चा होता है। विकास अधिकारी खूब अपने टी० ए० डी० ए० बनाते हैं। जीप पर 200 या 250 रु० का खर्च होना चाहिये लेकिन कोई ऐसी पंचायत समिति नहीं है जिसमें 400 रु० से कम जीप पर खर्चा होता है और यह सब पंचायत समिति की निजी आय में से होता है। आज से 10 साल पहले अनुसूचित जातियों के लिये कालोनीज बनाने का जो निर्णय लिया था और फन्ड्स अलाट किये थे। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ उन कालोनीज का? मैंने अनेक बार विधान सभा में प्रश्न रखे कि अनुसूचित जातियों के लिये एक कालोनी बनाने का निर्णय लिया था लेकिन आज तक उनको जमीन नहीं मिली और अगर कुछ को जमीन मिल गई तो पैसा नहीं मिला। वह नाममात्र की कालोनी है। मांगरोल में एक बुनकर कालोनी का निर्णय था वह भी आजतक अधूरी ही पड़ी है। आखिर जो निर्णय आप लेते हैं उसका क्या होता है। जबतक आपके निर्णय और आश्वासन पूरे नहीं होंगे तब तक पंचायत समितियों में, ग्राम पंचायतों में या जिला परिषदों में जनता का कोई विश्वास नहीं हो सकता है। जिस संस्था को आप लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की रीढ़ की हड्डी मानते हैं उसमें आज भयंकर भ्रष्टाचार है। एक बात में यह और पूछना चाहता हूं आज जो गांवों में अध्यापक है और पंचायत समितियों में लगे हुये हैं उनको शिक्षा विभाग को ट्रान्सफर कर दीजिये। न तो आपकी यह व्यवस्था ठीक है। और न आपकी स व्यवस्था से ग्रामीण जनता सन्तुष्ट है और न ही शिक्षक वर्ग सन्तुष्ट है और उसका कारण यह हो रहा है कि बच्चों का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है। पंचायत समिति को कोई मदद नहीं देते है। कई गांव ऐसे है जिनमें बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलती है।

तो इस प्रकार से गांव के बच्चे आज

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

भी अशिक्षित रहें तो बहुत बड़ा पाप होगा और दूसरा सबसे बड़ा हाल यह है कि पंचायत समितियों की जब जनरल मीटिंग होती है अलग अलग विभाग के अधिकारियों को उसके लिए बुलाया जाता है, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उस मीटिंग में भाग लेने की इत्तिला दी जाती है तो न तो सिंचाई विभाग का, न बिजली विभाग और न जंगलात विभाग का कोई भी अधिकारी उस मीटिंग में भाग नहीं लेता है। प्रोसिडिंग्स आपके पास आती है, किस किस विभाग के अधिकारी ने भाग लिया और यदि भाग नहीं लिया तो आपने क्या कार्यवाही की ? आज पंचायत समितियों का कोई अंकुश नहीं और विभाग के अधिकारी कोई परवाह नहीं करते। इस कारण से किसान को पानी मिलता है या नहीं, बिजली मिलती है या नहीं, पंचायत समितियों की क्या जिम्मेदारी है, जंगलात दिनों दिन नष्ट होते जा रहे हैं इन जंगलों को एक ओर तो पंचायत समितियां निलामी करती है, फिर जंगलात विभाग नीलाम करता है और तीसरे पी०डब्ल्यू०डी० करती है इस प्रकार जंगल समाप्त होते जा रहे हैं इसलिए राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है इसलिए अंत में एक ही बात कहते हुए कि यह जो आपकी व्यवस्था ही पंचायती राज की वह बड़ी अव्यवस्थित है। पंचायत समितियों के पास कोई अधिकार नहीं है और न आर०ए०एस० अधिकारी हैं। आज कल तो कृषि प्रसार अधिकारी विकास अधिकारी बनाये जाते हैं कोई भी सरपंच एम० एल० ए० या प्रधान कांग्रेस के पहुंच जाते हैं चाहे विकास अधिकारी के ऊपर गम्भीर आरोप हो, उसके आरोपों को दबाया जाता है और उनकी फाइल संबंधित मंत्री मंगवा लेते हैं और रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और इस प्रकार की कार्यवाहियां राजनैतिक आधार पर की जाती हैं और उससे पंचायत समितियों के सरपंच अपने अधिकारों से दूर जाकर उनका उपयोग करते जा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायतों को बड़ा बनायें, जिलास्तर पर प्रशासनिक अधिकार दिये जायें रेवेन्यू, सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी और इनकी जो आमदनी है जिलों के अन्दर उसका कुछ हिस्सा उनको दिलाया जाये तब तो पंचायती राज्य के प्रति जनता का विश्वास रहेगा और मुझे आशा है कि यह दो रिपोर्ट्स कब तक आ जायेंगी, उस पर आप कब तक निर्णय ले लेंगे और पंचायतों के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है, चुनाव कब होंगे इसके बारे में स्पष्ट करें और जो अभी हमारे सामने है इसको रद्द करने की मांग है।

श्री सभापति : श्री गंगासहाय

(अनुपस्थिति)

श्री दिग्विजयसिंह : बहुत जल्दी समाप्त कर दें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, जो संकल्प रखा गया है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1971 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश सं० 1, सन् 1971) को अस्वीकार करता है उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, जितनी खिलवाड़

(श्री दिग्विजयसिंह)

राज्य सरकार ने इन पंचायती संस्थाओं के बारे में किया है शायद ही किसी और संस्थाओं के साथ किया हो । सभापति महोदय आप देखेंगे कि जब जब पंचायतों का समय समाप्त होने आया है राज्य सरकार ने इनकी अवधि हमेशा अध्यादेशों के द्वारा बढ़ाई है । जब मूल एक्ट के अन्दर पंचायतों की 3 वर्ष की अवधि रखी गयी और उसके साथ ही साथ एक वर्ष का प्रावधान राज्य सरकार को पावर्स देकर रखा गया था कि एक वर्ष के लिए राज्य सरकार उनकी अवधि बढ़ा सकती है । जब वह समय पूर्ण होने आया तो उस समय भी राज्य सरकार ने एक वर्ष की अवधि का पावर प्रयोग में लाते हुए उनका समय बढ़ाया और दुबारा फिर जब एक वर्ष भी पूर्ण होने आया तो मूल एक्ट में अध्यादेश जारी करके 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष का उसमें संशोधन किया । यह भी अध्यादेश के द्वारा किया और जो हमारा 19 नवम्बर, 1970 को पिछला सत्र विधान सभा का समाप्त हुआ उससे पूर्व ही इस सदन में और इधर बैठने वाले उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने पंचायत मंत्री और मुख्य मंत्रीजी जी से निवेदन किया कि आप कम से कम यह निश्चित रूप से घोषणा कर दें कि पंचायतों के चुनाव आप कब कराने जा रहे हैं या स्थगित करने जा रहे हैं । हमारी राज्य सरकार उस प्रश्न पर मौन रही और कुछ ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके दिमाग में कुछ निश्चितता बिल्कुल नहीं थी और उसके पश्चात 12 जनवरी, 71 को फिर अध्यादेश के द्वारा राज्य सरकार ने इसकी अवधि जो एक साल की पावर्स उनके पास थी उनको अब डिलीट करके उसके स्थान पर 3 साल का प्रावधान रखा, अध्यादेश के द्वारा जारी किया है । तो सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न इतनासा नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे सदन के अन्दर बैठकर निवेदन करने के अधिकार हैं उनके खिलाफ बैकडोर से राज्य सरकार हमारे सामने रख देती और पारित करवा लेती । चाहिए तो यह था कि राज्य सरकार का अपना विभाग निश्चित रूप से गत सत्र में ही बता देना चाहिए था जबकि उस समय उनके सामने यह समस्या आने वाली है कि टर्म एक्सपायर हो रही है तो सदन के अन्दर इस बात के अमेन्डमेण्ट को एक्ट के अन्दर रख देना और उस समय सदन की राय जानना कि आया वह तीन साल के लिए करना चाहते हैं या 5 साल के लिए अन्यथा उसके अन्दर और भी विचार माननीय सदस्यों के आ सकते थे । इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार हमारे जो अधिकार हैं उनके ऊपर भी अपने अधिकार जमाना चाहती है ।

मैं सभापति महोदय, जहां तक पंचायती राज में जो अनियमितताऐं, भ्रष्टाचार और पक्षपात होते हैं और उसके ऊपर कई सदस्यों ने बहुतसी बातें कहीं और मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय पंचायत मंत्री जी को कि जिस प्रकार से आपने कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर जो भी संशोधन किये जायेंगे उसको देखकर ही यह आपने अध्यादेश जारी कराया । तो साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा

(श्री दिग्विजयसिंह)

कि एक कमेटी पंचायती राज्य संस्थाओं के ऊपर कि इसमें किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्या क्या अनियमितताये हो रही हैं उसके सम्बन्ध में भी गठित कर देते तो वह भी साथ ही साथ में आपको बता देगी कि पंचायत संस्थाओं और पंचायत समितियों का हमारे यहां पर अब भी जारी रखना आवश्यक है या नहीं । क्योंकि सभापति महोदय, पंचायत समितियां सही माने में आज बिलकुल निर्जीवसी हो गयी हैं । उनके पास राज्य का जो प्लाण्ड एक्सपेन्डीचर का पैसा है वह सारा तनख्वाह में बांटने के सिवाय और किसी भी चीज में खर्च नहीं होता और उनका विकास की तरफ ध्यान बिलकुल नहीं रहा है । इसलिए यह सुझाव जो माननीय सदस्यों ने दिया है और मैं भी निवेदन करता हूं कि जिला परिषदों को ज्यादा पावर्स दें और उनको डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट कौन्सिल में परिवर्तित करके उनको विशेष पावर्स दें तो वह अधिक लाभदायक रहेगा ।

सभापति महोदय, बड़े दुख : का विषय यह है कि राज्य सरकार को अब ऐसा सत्ता का मद चढा हुआ है कि वह इस बात को निश्चित मानती है कि उनके पक्ष में जो बैठे हुए माननीय सदस्य हैं वे तो कभी उनके विरूद्ध जा नहीं सकते इसलिए यह जो प्रक्रिया बारबार अपना कर चलते हैं अध्यादेशों की यह इस बात का द्योतक है कि माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं वह भले ही समाजवाद और अन्तरात्मा की बात करें लेकिन उनकी अन्तरात्मा मरी हुई है । अगर उनकी अन्तरात्मा जीवित है तो इस प्रकार के अध्यादेश जब कि हमारा सत्र नवम्बर, 70 में चल रहा था और आपकी तरफ से भी डिमाण्ड की गयीं थी लेकिन राज्य सरकार ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए यह कहना की हमारी अन्तरात्मा की आवाज है तो वह तो बिलकुल मरी हुई ....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है । नयी बात कह रहे हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : आपकी आत्मा तो बिलकुल ही मरी हुई है, अचेतन है । इसलिए आपके पास अभी भी मौका है कि राज्य सरकार को इस बात का परिचय दे दें कि जब विधान सभा हमारी बनी हुई है तो अध्यादेश या आर्टिकल 213 है जिसके तहत में राज्यपाल महोदय को विशेष पावर्स दिये हुए हैं अध्यादेश जारी करने के इसका किस समय प्रयोग किया जावे इसको कम से कम समझें तो सही । विधान सभा के सामने जब यह मामला आया तो और बार बार सरकार से पूछा गया तो सरकार मौन रही, तो मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि यह हमारे अधिकारों का हनन है । दूसरे मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि इन्होंने 1 साल के बजाय 3 साल का प्रावधान रखा है । जो स्थिति रही है जो अनिश्चितता का वातावरण रहा है । तो बजाय 3 साल के इनको इन्डेफिनेट पीरियड कर दें । नहीं तो इनको बार बार अध्यादेश लाना पड़ेगा । फिर राज्यपाल महोदय को भी बार बार दस्तखत नहीं करने पड़ेंगे । यह सभापति महोदय, तीन साल में भी चुनाव नहीं होने हैं । क्योंकि राज्य सरकार यह महसूस करती है कि

(श्री दिग्विजयसिंह)

उनके जो कार्यकर्ता हैं वह सरपंच की हैसियत से बैठे हैं। 117 की धारा कार्यकर्ताओं पर लटकती रहती है। दूसरी बात सभापति महोदय यह है कि यदि चुनाव करा लिये जाते तो आपस में गांव म फूट उत्पन्न हो जाती है। तो मुमकिन था कि यह जो चुनावों का नतीजा सामने आया है, यह नहीं आता। जो सरपंच विराजमान हैं उनका पर्दा फास हो जाता। चुनाव इसीलिये नहीं करा रहे हैं। विलेज राइजिग क्रियेट हो जाएगी जिससे उनकी पार्टी को आघात पहुंच सकता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अध्यादेश की प्रक्रिया है। तीन बार अध्यादेश द्वारा ही मियाद बढ़ाई गई है। जबकि सदन में विरोध किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विरोध प्रकट करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय····

श्री सभापति : आप बाद में बोल लें।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अध्यादेश राजस्थान पंचायत राज की अवधि बढ़ाने को सरकार लाना चाहती है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको प्रस्तुत करते हुए कई बातों की चर्चा की है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सदन के आखरी दिन 21 नवम्बर, 70 को मैंने एक स्टेटमेण्ट दिया था। उससे यह साफ ध्वनि निकलती थी कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार पंचायत राज के स्तर को, उसके गठन और किस टाइप से मजबूत किया जाये इस सम्बन्ध में सभी स्तर पर थिंकिंग चल रही है। भारत सरकार की एक कमेटी ने इस बात का निर्णय किया है। पंचायत संस्थाओं में जो शिथिलता और निष्क्रियता आई है, उस सम्बन्ध में उन्होंने भी एक हाई पावर कमेटी बैठाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने भी यह महसूस किया है। पंचायत राज में जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाये। पंचायत राज के पूरे ढांचे का परिवर्तन करना आवश्यक है इसलिये कमेटी का गठन किया जाये। जैसा कि माननीय सदस्यों ने पूछा है। कमेटी का गठन किया जा रहा है। वह रिपोर्ट कब तक देगी। कमेटी का गठन किया गया है या नहीं ? मैं निवेदन करूंगा कि कमेटी का गठन राज्य सरकार के विचाराधीन है। टर्म्स एण्ड रेफरेंस बनाकर प्रस्तुत किये हैं। केबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। मगर चुनावों में व्यस्त रहने के कारण यह नहीं हुआ। मुख्य मंत्री से अनुमति ले ली है। अगली बैठक में या सदन सत्र के भीतर ही, यह बात मैं नहीं कह सकता हूं कि कब तक चलेगा लेकिन जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा।

जैसा कि कहा गया है कि प्रयोग असफल हो गया है। प्रयोग तो मैं नहीं मानता हूं। प्रयोग तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण का किया गया है। वहां भी लोग हैं। वह लोग अपना काम सुचारू रूप से चलायेंगे। वह पंचायत राज संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। उनमें विकास

(श्री परसराम मदेरणा)

आया है। जन जागृति हुई है। लेकिन वह होते हुये भी कमियां रही हैं। मैं इन्कार नहीं करता हूं। जब मैं इन्कार नहीं करता हूं तो जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, वह जायज हैं। जैसा कि वैर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिला परिषद् ज्यादा मजबूत बनाई जाय। पंचायत समितियों को हटाया जाये। पंचायतों को मजबूत बनाया जाये। यह सुझाव आया। दूसरी ओर से यह भी सुझाव आये कि राजनैतिक कारणों से यह चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। राजनैतिक कारण कोई नहीं है। राजस्थान में तीन साल की अवधि है। 5 स्टेटों में अवधि 5 साल की है। कई स्टेटों में 4 साल की है। वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे एक ढाणी में गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां अकाल चल रहा था। पश्चिमी राजस्थान अकाल के भयंकर दौर से निकल रहा था। आप जैसलमेर और बाड़मेर के रहने वाले होते या जोधपुर के रहने वाले होते तो महसूस करते कि अकाल की विभीषिका क्या होती है, उसका क्या असर पड़ता है, अकाल की सीवियोरिटी क्या होती है। जो सरसब्ज इलाके के रहने वाले हैं वह राजनैतिक कारणों से अकाल की बात कहते रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते।

श्री रामकिशन : मैंने तो कोरम की बात कही थी। कोरम था इसलिए कि अकाल था।

श्री परसराम मदेरणा : कोरम जब होता है जबकि चेतनायुक्त व्यक्ति होते हैं। आप जैसे जिलाप्रमुख हैं वह पंचायत समिति में, पंचायत में कोरम नहीं होता। तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि कारण क्या है कि जिला परिषद् संस्था है या जो पंचायतीराज की संस्था है उनमें जितने जन प्रतिनिधि हैं, उनमें शिथिलता क्यों आई है? क्या कारण है? अध्यापकों की बात हो, शिक्षा की बात हो, दूसरी चीजों को ले लीजिये, आप कहते हैं कि ग्यारह बजे सरपंच के पीछे घूम रहे होते हैं अध्यापक। तो यह जानने की आवश्यकता है, सरपंच है, ग्राम पंचायत का पंच है वह बहुत ध्यान देता है या नहीं कि जो समय निर्धारित किया गया है उसमें वह क्लास क्यों नहीं ले रहा है? इन बुनियादी प्रश्नों में हमें जाना पड़ेगा। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता, चेयरमैन महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव अवधि बढ़ाने का जो प्रावधान इस अध्यादेश के जरिये राज्य सरकार ला रही है, यह पहले पांच साल की अवधि रखी थी, जो उनमें पहले संशोधन कर दिया गया था, उसमें अमेन्डमेन्ट न लाकर के राज्य सरकार धारा 7, 14, 46 में राजस्थान जिला परिषद् एवं पंचायत समिति एक्ट में एक संशोधन करना चाहती है ताकि आगे अवसर न मिले। इसके बाद में सादिक अली कमेटी कान्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं, वह रिपोर्ट दें और भारत सरकार एक हाई पावर कमीशन कान्स्टीट्यूट करने जा रही है, वह देश के सारे पहलुओं को सुन ले और हर पहलू पर विचार करके बतायें कि इस संस्था को कैसे मजबूत किया जाय, किस इकाई को, किस टायर को मजबूत किया जाय–इस सम्बन्ध में उनके सुझावों का वजन है। इस कमेटी के जो भी पर्सनल होंगे उनसे मिलने का मुझे अवसर मिलेगा,

(श्री परसराम मदेरणा)

उनसे इन सभी विषयों पर बातचीत करने का मेरा प्रयास रहेगा। आप माननीय सदस्यों के सुझाव, जो भी ठोस सुझाव होंगे, उन पर विचार किया जायगा। मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्यों की भी राय थी कि इसके स्वरूप को बदला जाय, पंचायती राज संस्थाओं का, तो उनकी भी यह राय थी, विरोधी पक्ष के लोगों से बात की उनकी भी राय थी कि जिस तरह पंचायती राज संस्थायें चल रही हैं, चुनाव कराने के बाद वही अधिकार हों वही शक्ति हो, वही कार्य संपादन करने की जिम्मेदारी रहती है तो पंचायतराज ....

श्री रामचन्द्र आर्य : बार बार मियाद बढ़ाना, चुनाव नहीं करवाना और फिर यह कहना कि शिथिलता आ गई है-क्या इसका यह कारण नहीं है कि लोगों की जो भावना है उसके खिलाफ काम हो रहा है। चुनाव सरकार करा नहीं रही है और सरपंच, रोजाना अदालत में 409 के मुकदमे में, क्योंकि वह रुपया जमा नहीं करा पाया, खड़ा हुआ है। यह हालत कर दी है।

श्री परसराम मदेरणा : यह हालत हमने नहीं की है। एक तरफ आपका कहना है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, गड़बड़ी करने वाले किसी सरपंच के खिलाफ कार्यवाही कम कर रही है......

श्री रामचन्द्र आर्य : जो ज्यादा गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं और जो पक्ष में नहीं हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। जो सरकारी पक्ष के हैं उनके खिलाफ शिकायत हो तो भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह सत्य है।

श्री परसराम मदेरणा : हम एक्शन लेते हैं तो फिर कहते हैं कि राजनैतिक तौर पर ले रहे हैं, जब कि एक्शन के लिए प्रॉसीजर है वह जन प्रतिनिधि एक्ट में लिखा हुआ है। माननीय सदस्य एक सरपंच के मामले में मेरे पास आये थे तो मैंने कहा था कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के लिए प्रॉसीजर इसमें लिखा हुआ है कि जन प्रतिनिधियों की सीधी ट्रायल नहीं होनी चाहिए और उनको पूरा अवसर सफाई का देना चाहिए। नेचरल जस्टिस भी यही डिमाण्ड करती है कि सरपंच हो, प्रधान हो, लेजिस्लेटिव असेम्बली का मेम्बर हो–इनके खिलाफ किसी मामले में एक्शन लेने के पहले पूरा अवसर सफाई का दिया जाना चाहिए। ऐसा करते हैं तो फिर कहते हैं कि अवसर क्यों दिया जाता है ....

श्री मदनसिंह : यह अवसर दिया जाता है। लेकिन राज्य सरकार को यह पावर नहीं रखनी चाहिए कि वह उतार सकती है। मेरी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के लोग, जो आपकी निगाह में हैं, के खिलाफ बड़ी से बड़ी चीजें आपके पास पहुंचाई गई हैं। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो राज्य सरकार ने जो पावर ली है उनका वह कब इस्तेमाल करेगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : हो रहा है ?

श्री मदनसिंह : नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजनैतिक कारणों से नहीं हो रहा है ।

श्री मदनसिंह : विरोधी पक्ष का कोई हो तो उसे पांच मिनिट में खत्म कर दें यह निश्चित है । आपके पक्ष के हैं उनको आप शक्ति से मजबूत कर रहे हैं । मेरा यह मानना है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों में जो स्थान रिक्त हैं, उनका चुनाव कब होगा ? कई है ऐसे स्थान ।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है, आपने शक्तियों की बात कही । मैं निवेदन करूं, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य जो उधर बैठने वाले हैं, मैं नहीं कह सकता कि एक भी इन्स्टान्स ऐसा बता सकते हैं जिसमें मैंने शक्ति का प्रयोग राजनैतिक कारणों से किया हो । जहां तक पंचायती राज संस्थायें हैं, उनमें जन प्रतिनिधि हैं, चाहे विरोधीपार्टी के हों, विरोधी पार्टी के होते हुए भी मैंने यह नजरियां वहां नहीं रखा है । और मैंने न्याय करने की कोशिश की है । मैं नहीं कहता कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से जो कुछ किया, वह सब न्याय मैं समझ रहा हूं लेकिन मैंने कोशिश की है कि इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए । ऐसे केस जब भी पेश हुए हैं उनको अपार्चुनिटी दी है, मौका दिया है, एक दफा नहीं, दो दफा, चार दफा-जो प्रासीजर है उसके अनुसार दस्तावेज पेश करना चाहे तो पेश करने का मौका दिया है यदि एडजोर्नमेंट लेने की बात की हो तो एडजोर्नमेंट देने की बात की है और पूर्ण अवसर देने के बाद में बयान होने हैं तो बयान लिये गये हैं और कानून के दायरे में लिबरल रहने की कोशिश की है चाहे वह विरोधी पक्ष के हो, चाहे कांग्रेस के हों । मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत राज संस्थाओं की अभी अवधि बढ़ाना इसलिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं का स्वरूप क्या हो ? क्या उनको निश्चित ढर्रे में चलाना है ? बहुत से माननीय सदस्यों से बातचीत हुई थी कि इसी ढर्रे में चला कर यदि इलेक्शन करा देते हैं तो आगे की परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है । हो सकता है कि सरपंच पंच, प्रधान बदल जायं...

श्री रामकिशन : इतना फर्क तो पड़ता है ।

श्री परसराम मदेरणा : हम इसको राजनैतिक दृष्टि से नहीं, विकास की दृष्टि से देखते हैं ।

श्री रामकिशन : इतना फर्क पड़ता है ।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए यह मौजूदा ढांचे में सम्भव नहीं है । मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो संकल्प रखा है उसको वापिस ले लें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो रिक्त स्थान है....

श्री परसराम मदेरणा : और इन पंचायती राज संस्थाओं की अवधि बढ़ाई जाय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो रिक्त स्थान है, कई पंचायत, पंचायत समितियों में सरपंच और पंच के पद रिक्त है उनके लिए क्या करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : पंच, सरपंच, प्रधान, उप-प्रधान के चुनाव का विकास विभाग से सम्बन्ध नहीं है, चुनाव विभाग से है ।

श्री दिग्विजयसिंह : गत सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में फर्माया था कि जो स्थान रिक्त हैं पंचायती राज के उनका इलेक्शन करा दिया जायगा ।

श्री परसराम मदेरणा : एक के लिए आपने कहा था कि वहां कोरम नहीं बन रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह : सब के लिए ।

श्री परसराम मदेरणा : एक जिसका कोरम नहीं बन रहा था, उसके लिए कहा था मैंने ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कहा था कि जो रिक्त स्थान हैं उनका करा दिया जायगा ।

श्री परसराम मदेरणा : यह नहीं कहा था । एक पंचायत का कोरम नहीं बन रहा था उसके लिए मैंने कहा था कि ऐसी बात नहीं हो कि कोरम के अभाव में फंक्शन नहीं कर सके, इसलिए मैंने कहा था कि चुनाव जल्दी करा दिये जायेंगे। अब हुए या नहीं......

श्री दिग्विजयसिंह : नहीं हुए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने एक लिस्ट मांगी थी, आपने लिस्ट दी थी कि इतने प्रधान, पंच, सरपंच के पद रिक्त हैं। हमने पूछा कि इनके चुनाव कब करा दिये जायेंगे तो आपने कहा था कि जल्दी से जल्दी। आपने लिस्ट दी थी कि इतने प्रधान, इतने सरपंच की जगह रिक्त ह । आपने आश्वासन दिया था।

श्री परसराम मदेरणा : चुनाव मिनिस्टर ने दी होगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने दी थी ।

श्री परसराम मदेरणा : स्थान कितने रिक्त हैं इसकी जानकारी मेरे पास रहती है लेकिन चुनाव कराने की नीति का सवाल है, वह चुनाव कराने का प्रश्न मेरे परव्यू में नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 1971 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1971) को अस्वीकार करता है ।

यह प्रस्ताव श्री रामकिशन, श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, श्री मनोहरसिंह मेहता, श्री दुर्गालाल बाढदार, श्री भगवान दास शास्त्री, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री गंगासहाय ने रखा है इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया ।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री केसरीसिंह : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आपका कहां है अभी ?

यह प्रस्ताव विचारार्थ ले लिया है । अभी सभी माननीय सदस्यों को विचार करना है। अब इसका क्या प्रासीजर हो सकता है। यह जानना चाहता हूं क्योंकि समय दस मिनिट का शेष है।

श्री रामकिशन : दस मिनट बैठेंगे ।

श्री सभापति : दस मिनिट बैठेंगे, ज्यादा बैठेंगे-ज्यादा बैठेंगे तो उसका निर्णय आपको करना है । प्रश्न दो है, जनमत जानने हेतु परिचालित करने का और प्रवर समिति को सौंपने का । जो संशोधन माननीय सदस्यों ने दिये हैं अथवा पेश किये हैं वह सब वही करीब करीब है जो मैंने पढ़े हैं । आज यह बिजनेस पूरा करना है, यह पारित करना है । अभी जनमत जानने के लिए श्री वृद्धिचन्द्र जैन का है । आप बोलना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जी हां ।

श्री दिग्विजय सिंह : आर्डिनेन्स की मियाद क्या आज समाप्त हो रही है ?

श्री सभापति : नहीं ।

श्री रामकिशन : कल ले लेंगे ।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जी हां ।

श्री केसरीसिंह : विचारार्थ का ले रहे हैं या जनमत जानने का ले रहे हैं, सभापति महोदय ।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971, को जनमत जानने हेतु प्रचालित किया जाए, इस संबंध में संशोधन प्रस्ताव मैंने पेश किया है, मैं उस समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं । लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जब स्थापना की गई थी उस समय हमें बड़ी आशायें थीं परन्तु वे आशायें निराशा में परिणत हुई । हम पंचायत समितियों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों से आशा करते थे कि हमारे क्षेत्रों का बड़ा विकास होगा । गांवों की नेतागीरी का प्रादुर्भाव होगा और बहुत ईमानदारी से गांवों की पंचायतों का संचालन कर सकेंगे । सबसे बड़ी कमी जो मुझे महसूस हो रही है और वह यह कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण जो असफल हुआ है, मैंने गहराई से सोचा है तो पाया है कि देश में राष्ट्रीय चरित्र की कमी है और जब तक नेशनल कैरेक्टर राष्ट्रीय चरित्र अपना विकसित नहीं होता है तो क्या पंचायतें, क्या पंचायत समितियां क्या जिला परिषदें, क्या विधान सभा, क्या लोक सभा और क्या देश का लोकतंत्र, इन सबको भारी धक्का पहुंचता है । अपने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विकास की असफलता का जो कारण है वह यह है कि हमारे देश के नागरिकों में सेवा की भावना नहीं है । देश की आजादी प्राप्त करने के लिए हमने सैक्रीफाइसेज किए । हमने बलिदान किया, नेताओं ने बलिदान किया, परन्तु देश के निर्माण के लिए......

श्री रामचंद्र आर्य : राजस्थान के नेताओं ने ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या राजस्थान के नेता, क्या हिन्दुस्तान के नेता, किसी भी पार्टी में सैक्रीफाइसिंग स्प्रिट नहीं है ।

श्री रामचंद्र आर्य : शाबास ।

श्री मदनसिंह : किसी भी नेता को गोली नहीं लगी है, हार्ट फेल से मरे हैं, गोली से तो गरीब मरे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सेवा की भावना नहीं है । अगर प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं तो सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारी शिक्षा किस प्रकार की हो, किस प्रकार हमारे नवयुवक चरित्रवान बनें......

श्री रामचन्द्र आर्य : सबसे पहले पंजागीरी......

श्री वृद्धिचन्द जैन : किसान, गांव के नेता और गांव के कार्यकर्ता और शहर के कार्यकर्ता सभी चरित्रवान् हों । इस के लिए शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा । जब तक ऐसा नहीं करते और चरित्र निर्माण की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते तब तक कोई भी संस्था सफल नहीं हो सकेगी ।

पंचायतें बड़ी होनी चाहिए थीं । मगर हमारे जिले के अन्दर यदि पंचायतें बड़ी कर दी जाएं तो हमारे जिले में कोई पसंद न कर सकता क्योंकि अभी भी पंचायती क्षेत्र एक एक गांव में 12-12, 15-15 मील में हैं और अगर इससे बड़ी पंचायतें बनाई जाती हैं तो संचालन करना कठिन हो जाता है । पंचायतें बड़ी भी की जायें तो यह सोचा जाय कि बाड़मेर और जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं, उनकी पंचायतें बड़ी न की जायें । क्षेत्रफल को भी देखा जाए, आबादी को ही माध्यम न बनाया जाए ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय समाप्त हो रहा है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक विधेयक पारित न हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए ।

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है कि जब तक विधेयक पारित न हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आधा घंटा या 15 मिनट ।

श्री मदनसिंह : एक घंटा कर दें ।

श्री रामकिशन : वह कहते हैं कि समय समाप्त हो रहा है, उनका तो अभी एक साल बाकी है ।

श्री सभापति : Is the Government insistent that the Bill should be passed today or it should be postponed to some other date, घंटा भर रखें दो घंटा रखें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जब तक संकल्प पर वादविवाद समाप्त न हो......

श्री सभापति : संकल्प तो हो गया ।

श्री हरिवल्लभ : संशोधन पर ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कल तक के लिए रखें ।

श्री सभापति : (मुख्य सचेतक से) दो मिनट में अध्यक्ष महोदय से बात कर लें । एक घंटे से कम में नहीं हो सकता ।

श्री वृद्धिचंद जैन : पंचायत समितियों के लिए मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत ही ढीलढाल बरती गई है ।

श्री सभापति : यह सुझाव उस समय दें जब विधेयक पारित किया जाय। अभी तो you have to make out a case why it should be circulated for eliciting public opinion.

आप तो सीख दे रहे हैं जब विदाई होती है। यह थर्ड रीडिंग पर दे दें।

श्री वृद्धिचंद जैन : मैं थर्ड रीडिंग पर नहीं बोलना चाहता हूं। न सिर्फ प्रधान व पंचायत समितियों के सदस्य ही लापरवाही बरतते हैं परन्तु राज्य सरकार भी इस ओर अधिक ध्यान नहीं देती। जो फंड्स पंचायत समितियों के पास में थे या सहकारिता विभाग को अधिकार मिल गया या कृषि विभाग को अधिकार मिल गया। इस प्रकार पंचायत समितियों के पास में फंड्स के वितरण का कोई कार्य नहीं रहा। अब पंचायत समितियां क्या कार्य करें?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जीपों में मौज करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जीपों का दुरुपयोग करें। कार्य है नहीं। जिला परिषदों के पास में तो पहले ही काम नहीं है। तो इस बारे में आवश्यक रूप से सोचना है कि कोई भी पंचायत समिति बनायें, जिला परिषद् बनायें, तो ऐसी संस्थाएं बनाएं जिनको कुछ अधिकार हों......

श्री दिग्विजय सिंह : समय हो रहा है।

श्री सभापति : जब तक विधेयक पारित न हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए, इस संबंध में मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैंने जानकारी करने की कोशिश की, यदि सरकार अगले किसी दिन लेने को तैयार हो जिससे समय न बढ़ाना पड़े और कार्यवाही समय पर समाप्त कर सकें लेकिन सरकार चाहती है कि आज पारित कराया जाए चाहे समय बढ़ाना पड़े। मेरी मजबूरी है। तो इस सम्बन्ध में सदन की अनुमति से एक घंटे का समय बढ़ाया जाय?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री मदनसिंह : आप तो हमेशा नियमों पर रहे हैं, समय हो चुका है........

श्री सभापति : सदन का समय आध घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जब तक आय के साधन नहीं बढ़ाते हैं तब तक न तो पंचायत समिति और न जिला परिषद् अच्छी तरह से काम कर सकती हैं। पंचायतों के लिये तो यह आवश्यक है कि ग्रुप सैक्रेटरी के पद की नियुक्ति की जाय। पहले एसेम्बली इसके बारे में निश्चय कर चुकी है। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, वहां अब तक ग्रुप सैक्रेटरीज के बारे में निश्चय नहीं किया गया है और उनके नहीं होने से सरपंचों को काम करना पड़ता है जो अच्छी तरह से काम नहीं जानते हैं इस कारण मिस-एप्रोप्रियेशन ओफ एकाउन्ट्स और दूसरी तरह की इर्रेगुलेरिटिज़ हो जाती हैं। यह उनकी अनभिज्ञता के कारण है। इसलिए वहां गवर्नमेन्ट ग्रुप सचिवों की नियुक्ति करे। हाई पावर कमिशन की रिपोर्ट आने में समय लगेगा

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
और करीब दो साल लग जावेंगे और दो साल से पहले चुनाव हो नहीं सकते हैं । जब तक चुनाव न हों तो ऐसा कार्य तो चलना चाहिए । इसलिए ग्रुप सचिवों की नियुक्ति जहां सरपंच अधिक पढ़े लिखे न हों वहां तो करनी ही चाहिए ।

इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि बहुतसी पंचायतों ने वर्क्स कम्पलीट किये हैं उनको कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि उनको करने चाहिए, क्योंकि ओवरसीयर की नियुक्ति जिले में नहीं है। बाड़मेर जिले में यह पोजिशन है कि ओवरसीयर जाकर के देखते ही नहीं हैं और पंचायतों ने सर्टिफिकेट वर्क्स जो कम्पलीट किये हैं उनके नहीं किये हैं इसलिये पंचायतों वाले लोग घबरा रहे हैं कि ईमानदारी से पूरी तरह से वर्क्स कम्पलीट कर लिये फिर भी सर्टिफिकेट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं । गवर्नमेन्ट को चाहिये कि जिन्होंने काम कम्पलीट किये हैं, ईमानदारी से किये हैं, ओवर सीयर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

गवर्नमेन्ट की तरफ से कमेटी बने वह जल्दी से जल्दी बननी चाहिये उस कमेटी में पंचायत के विषय में जानकारी हो, एक्सपर्ट हों, नान आफिशियल या जो इसमें अच्छा ज्ञान रखते हैं, जिनका अनुभव हो उनको उसमें सम्मिलित किया जाय और वह ऐसी बोडी हो जो कि इम्पाशियल हो और जिनका अच्छा अध्ययन हो वह कुछ न कुछ कान्ट्रिब्यूशन करे और कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो लाभदायक हो जिससे कि पंचायती राज अच्छी तरह से चल सके ।

श्री सभापति : श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, जितना रोष और आक्रोश यहां राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971, जो सदन के समक्ष विचारार्थ रखा गया है, इस पर शायद ऐसा कोई अवसर नहीं होगा जब मुझे इतना दुख हुआ हो । सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है वह यह रखा है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय ।

सन् 64 में पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों के आम चुनाव सम्पन्न हुए थे । उस समय उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिये था । 3 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात् सम्बन्धित मंत्री महोदय द्वारा यहीं इसी सदन में एक विधेयक लाया गया और सन् 1967 के बाद, जैसा कि सदन अनुभव करता होगा इस राज्य सरकार की एक प्रणाली सी बन गयी है कि अपना इतना भारी भरकम बहुमत होते हुए भी, चाहे संशोधन किसी अधिनियम में लाना हो अथवा कोई नया बिल पास करवाना हो, उसके पहले एक अध्यादेश जारी करवा दिया जाता है और उसके बाद उधर बैठने वालों पर ऐसी जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि उनको उसका समर्थन करना पड़ता है चाहे उनकी अन्तर्रात्मा उसके लिये गवाही न दे । आज यह हालत उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की है । सब इस बात से खिन्न हैं इस पंचायती राज का आज राजस्थान में क्या हाल हो रहा है । 64 में आम चुनाव कराये गये । उसकी अवधी समाप्त होती थी 67 में । चूंकि जनवरी फरवरी में आम चुनाव होने वाले थे इसलिये राज्य सरकार को एक कारण मिल गया कि चूंकि आम चुनाव होने वाले हैं

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

और वे चुनाव बिलकुल नजदीक हैं इसलिये पंचायतों के चुनाव अभी नहीं करवा सकते इसलिये उनकी अवधि बढ़ायी जाय। पंचायती राज अमेन्डमेन्ट बिल पहले सामने आय जिसके द्वारा राज्य सरकार ने पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों का कार्यकाल पहले तीन साल के लिये रखा था उसको पाँच वर्ष का कर दिया। इस प्रकार के अधिकार राज्य सरकार के पास रहे तो यह पंचायती राज संस्थायें ही सरकार की एक पूरी की पूरी मर्जी वाली एजेन्सी बन कर रह जावेगी।

श्री परसराम मदेरणा : कौन से आम चुनाव की बात कर रहे हैं ?

श्री सभापति : सन् 67 के आम चुनाव की बात कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 64 के एण्ड में और 65 की जनवरी फरवरी में चुनाव हुए थे पहले पंचायतों के। उसकी मियाद थी 63 की जनवरी पंचायतों की और पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फरवरी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अकाल का बहाना लिया।

श्री परसराम मदेरणा : उसके बाद की बात है। वह सब राजस्थान की जनता जानती है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यही कारण लिया था। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं थी। चुनाव कराये जा सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सदन में जो संशोधन लाये वह 69 में लाये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसलिय दो वर्ष की अवधि बढ़ी जहां तक जान पड़ता है। फरवरी, 68 में अवधि समाप्त होने वाली थी। अब आज राज सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि ये पांच वर्ष का कार्यकाल है वह है तो है ही इसके अतिरिक्त तीन साल की अवधि और बढ़ाना चाहते हैं।

इस विषय में निवेदन करदेना चाहता हूं सभापति महोदय, कि पांच साल ही क्यों तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर ही पंचायत समितियां और जिला परिषदें तो निष्प्राण हो चुकी हैं।

आज विभिन्न जिला प्रमख और प्रधान आदि यह मानकर चलते हैं उनकी यह राय है कि अगर उनको हाथ उठा कर पूछा जावे तो इस अवधि बढ़ाने के लिये वे ना ही कहेंगे, हां कोई नहीं कहेगा। आज वे सभी उकता गये हैं इस गोरख धन्धे से।

आप तीन साल की यह अवधि क्यों बढ़वाना चाहते हैं। जून तक चुनाव कराने में क्या बाधा आती है आपको। इस वर्ष तो अकाल का बहाना भी आपके पास नहीं है। वोटर लिस्ट भी तैयार है।

पर राज सरकार में एक बहाना लिया कि हम एक कमीशन मुकर्रर कर रहे हैं जो इसे पुनर्जीवन इनमें डालेगा, अध्यन दल भी मुकर्रर कर रहे हैं जो यह रिपोर्ट देगा कि इस पंचायत राज के ढांचे में क्या तब्दीली की जाय, क्या स्वरूप रखा जाय, क्या अधिकार दिये जायं।

59 में पंचायत राज स्थापित हो गया था नागौर में पं० जवाहरलाल

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

नेहरू ने दीपक जलाकर इसका शुभारम्भ किया था । इसके पश्चात् तीन साल निकले नहीं कि सादिक कमीशन आपने बिठाया । वह काफी हाई पावर बॉडी थी। काफी महत्वपूर्ण और इस विषय के माहिर लोगों को और अधिकारियों को आपने इसमें लगाया । इसके पहले बलवन्तसिंह मेहता कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट भी आ गई थी । भारत भर का भ्रमण इस सादिक कमेटी ने किया और अंत में अपनी काफी विस्तृत रिपोर्ट राज सरकार को दी । आज तक उस रिपोर्ट पर इस सदन में कभी विचार नहीं हुआ। राज सरकार ने उसमें से कौनसी रिकमण्डेशन मानी और कौनसी अस्वीकार कर दी यह पता नहीं ।

इतना व्यय और आर्थिक भार जिस कमेटी के कारण राज सरकार के कोष पर पड़ा उस कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में सरकार ने फेंक दिया। मैंने इस कमेटी की रिपोर्ट को आद्योपान्त पढ़ा है और देखा है । आपने केवल सरपंचों को इलेक्टोरल कॉलेज मान लिया। कुछ एक आध बात और मान ली। नहीं तो असल में बहुत अनुभवों के आधार पर यह रिपोर्ट दी गई थी । पर उसे भी आपने अस्वीकार कर दिया। अब क्या सोचकर यह कहा गया है कि आज की परिस्थितियों में उसकी सिफारिशें पर्याप्त नहीं हैं और इसलिये नया कमीशन आप बिठाना चाहते हैं यह भी स्पष्ट नहीं है । क्या परिस्थितियां बदली हैं, कुछ पता नहीं ।

राज सरकार ने एक पुनर्सीमन के लिये भी आयोग बिठाया था । मैंने इस बारे में प्रश्न भी सदन में पूछे थे । तो उत्तर में कहा गया कि उस को भंग कर दिया गया है । तो कहने का मतलब यह है कि 5 वर्ष प्लस एक साल जो लगा यदि राज सरकार चाहती और यह महसूस करती थी कि पुनर्सीमन कराना ही है तो फिर उस आयोग को भंग क्यों किया गया । इसके श्यामलालजी, जो राजस्व मण्डल के चेयरमन थे उनका वन मैन कमीशन था । तो जब भंग कर दिया तो पता नहीं उनसे रिपोर्ट ली भी या नहीं। तो इस तरह से पुनर्सीमन का आज जो आप बहाना ले रहे हैं वह भी खोखला है।

अब यह नया बहाना आया है कि सीमांकन करना है, अध्यन दल बिठाना है इसमें तीन वर्ष लग जावेंगे। यह सब आपके अनुचित बहाने हैं । आपके पास इनके जस्टिफिकेशन के लिये कुछ भी नहीं है । जनवरी, 71 में आपका कार्यकाल समाप्त हुआ । एक साल होता है और आपके पास तब भी छः महीने का समय था जिसके लिये आपने अवधि बढाई थी तो इस समय में आराम से आप यह सारा काम भी कर सकते थे।

पर वास्तव में आप पंचायती राज की स्थापना नहीं चाहते। आप तो इस बहाने से अपने राजनैतिक एजेन्ट कायम करना चाहते हैं, और ये एजेन्ट आपके बने रहें इसके लिये जिस तरीके से भी आपका मनोरथ सिद्ध हो सकता हो वे तरीके आप अपनाना चाहते हैं। पंचायती राज कायम करना आपका ध्येय नहीं है।

आज गांवों की जनता जागरूक है । आपका यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा । जल्दी से चुनाव कराएं । अकाल की परिस्थितियां है नहीं।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

जैसा कि कहा जाता है अपनी अन्तरात्मा से आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि दरअसल पंचायतें करप्ट हुई हैं। प्रधान सरपंच अधिकतर ऐसे हैं। पंचायत समितियों के पास आज काम नहीं रहा। जिला परिषदों के पास जो काम है वह साल भर का काम पांच दस दिनों में किया जा सकता है, बाकी साल भर का काम उनके पास भी नहीं है। पंचायतें तो मृत प्रायः पड़ी हैं। उनके पास कुछ भी अख्तियार नहीं हैं। पंचायतों को ट्रान्सफर्ड स्कीमें काम की थीं। आज वे भी निष्क्रिय हैं।

मेरी निश्चित धारणा है कि पंचायत राज की विभिन्न इकाइयों को अगर आप कायम रखना चाहते हैं तो पहले तो आज के इस सारे ढांचे को समाप्त कर दीजिये। फिर शान्त मन से सोच लीजिये कि इस पंचायत राज को किस तरह से कायम करना है कि जिससे इसका लक्ष्य प्राप्त हो सके। फिर आप नया लेजिस्लेशन लाकर या और फिर अच्छी तरह से अध्ययन करके सच्चे मन से इसे लागू करें।

यह नहीं कि कहने को तो विकेन्द्रीकरण कर दिया, पर असल में सत्ता आप अपनी मुट्ठी में रखें। बेमन से काम नहीं चल सकेगा। आप चाहें कि पंच, सरपंच, प्रधान आदि आपके चंगुल के नीचे फंसे रहें तो इससे अब काम नहीं चलेगा। नतृत्व तो तभी पनपता है जब जनता के हाथ में सही सत्ता दी जाय। यह नहीं हो सकता कि नेतृत्व की डोर आप अपने हाथ में रखें और नाम जनता के राज का लें।

इसलिये निवेदन करूंगा कि आप इस सारी व्यवस्था को एक बार समाप्त कर दें और फिर सच्चे मन से इसका नव निर्माण करें। आज तो पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख आदि सभी यही सोच रहे हैं जो सच्चे मन से पंचायती राज देखना चाहते हैं वे कि हम क्या करें आज तो यह गले में हमारे नमाज पड़ी है। इस लिये कुछ मन के विपरीत भी आना करना पड़ता है। नहीं तो करें क्या ? ऐसी उनको प्रेरणा रही-उनके काम करने की। सरपंच, प्रधान इस बात को महसूस करके चलते हैं और यह जन मानस की बात है। इसमें अपनी मरजी से काम नहीं करना चाहिये। मरजी आये जब लोक सभा भंग हो जाय और मरजी आये तभी विधान सभा भंग हो जाय। इसलिये मैं उनका घोर विरोधी हूं—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जो प्रस्ताव रखा है जनमत जानने हेतु मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं और राज्य सरकार ने जो समय बढ़ाया है इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और जो जो मुद्दे मैंने उठाये हैं मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय उन मुद्दों का जवाब देंगे हाई पावर की जो कमेटी है क्या राज्य सरकार ने कन्सीडर कर लिया कौनसी योजना स्वीकार कर ली गई और कौनसी ऐसी योजना है जिसको अस्वीकार की गई है और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रणाली में कोई आवश्यक अमेन्डमेन्ट्स करते है तो राज्य सरकार क्यों नहीं करती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 को जन मत जानने हेतु प्रस्ताव पेश करता हूं । इस सम्बन्ध में जो मियाद बढाने के लिये यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है वह पहले एक साल का अधिकार था अब तीन साल का अधिकार सरकार ले रही है । तीन साल पंचायतों का कार्यकाल था और अब तीन साल सरकार मियाद बढाने जा रही है । विधान सभा की मियाद नहीं बढाई जाती, लोक सभा की मियाद नहीं बढाई जाती लेकिन पंचायतों की मियाद बढा दी जाती है । यह सरकार पंचायतों को अपनी कठपुतली बनाये रखना चाहती है । पंचायत राज संस्था को अपने अधिकार में रखने के लिये 10-10 साल पंचायतों के चुनाव नहीं कराये जांय और बार बार मियाद बढाई जाय और इसमें यह कहा जाय कि पंचायतों का इसमें सुधार करना है, इसका पुनर्गठन करना है और इस पर कमीशन नियुक्त किया गया है । इस प्रकार के बहाने आये दिन इस विधान सभा में किये जाते हैं । पिछली दफा पंचायत मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि रिक्त स्थानों का चुनाव शीघ्र करवा देंगे । आज यह मुकर गये । इनकी कथनी और करनी में फर्क है । इस विधान सभा में बैठकर यह कहते हैं और फिर मुकर जाते हैं । यह इस सरकार की हालत है और इस प्रकार पंचायत राज को समाप्त करने पर यह सरकार तुली हुई है । पंचायतों को मामूली से अधिकार दिये गये थे आबादी भूमि बिक्री के लिये वह भी आज एस० डी० एम० से मंजूरी लेनी पड़ती है और एस० डी० एम० मंजूरी नहीं देता है तो पंचायत पट्टा नहीं बना सकती है । राजस्थान केनाल में 10 साल से अधिकार छीने हुए हैं । आबादी भूमि देने का कोई अधिकार नहीं । राजस्थान सरकार ने जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं रखा है । हजारों की तादाद में नाजायज कब्जे हुये है और बार बार यह ऐलान किया जाता है राजस्थान कैनाल में जमीन देंगे बारबार आश्वासन दे देते हैं लेकिन एक भी आश्वासन आज तक पूरा नहीं किया गया । इस प्रकार पंचायत राज संस्था को समाप्त करने पर तुले हुये हैं इसलिये इनको मियाद बढाने की इजाजत न दी जाय और चुनाव जल्दी से जल्दी करवाये जांय । चुनाव कराने में कौनसी अड़चन है । चुनाव के बाद भी कोई संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं । आज 6 साल होने को आये, 6 साल पहले चुनाव हुये थे और अब तीन साल और आगे बढा रहे हैं इसका मतलब यह है कि 10 साल तक चुनाव नहीं होंगे । जनता में यह आम धारणा बन गई है कि पंचायतों के चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, आधे घण्टे का समय समाप्त हो रहा है इसलिये थोड़ा समय और बढा दिया जाय ।

श्री सभापति : यह विधेयक पारित न हो, समय बढा दिया जाय ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था जो राज्य सरकार कानून पास करती है उनमें माननीय सदस्यों के पूरे विचार नहीं जाने जाते हैं इसलिये कानून

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

बड़ा पंगू होता है और इसलिये बार-बार संशोधन किये जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा शान्तिपूर्वक माननीय सदस्यों को और अधिक समय दिया जाय और बोलने का मौका दिया जाय। सबके विचार लेकर इसके बाद निर्णय होना चाहिये। इस समय समय नहीं बढ़ाना चाहिये। काफी समय हो गया है। साढ़े पांच बज रहे हैं, बहुत ही अनुचित बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। मैंने स्वयं ने जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि सदन का समय नहीं बढ़ाया जाय—पांच बजे बाद। यह आर्डिनेन्स लेप्स होने वाला नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण आर्डिनेन्स है। अब समय नहीं बढ़ाया जाय और इसको अगले समय ले लिया जाय।

श्री सभापति : गवर्नमेन्ट की गुड सेन्स पर है।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): जो बिल सरकार के विचाराधीन है इसमें कोई कम्पलिकेटेड लॉ इन्वोल्व नहीं है और माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक जितना समय लेना चाहें उतना ले सकते हैं। जिन तीन धाराओं में संशोधन किया जा रहा है ......

श्री सभापति : कम्पलिकेटेड तो नहीं है लेकिन सामूहिक तौर से प्रश्न आता है समय बढ़ाने का। टेक्निकली इस पर विचार करें तो कमी का वापस हो जाना चाहिये था लेकिन इस प्रकार का व्यापक विचार माननीय सदस्य इस पर रखना चाहते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : फिलहाल तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है......

श्री केसरीसिंह हाड़ा : कम्पलिकेटेड तो नहीं है लेकिन मिसचीवियस जरूर है।

श्री सभापति : ट्वन्टीसेवन्थ को रख दें। We can keep it on 26th or some other date.

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, जैसा आप उचित समझें वैसा करें।

श्री सभापति : कल रख दें ?

(स्वीकृत)

अच्छी बात है, माननीय रामचन्द्रजी आप भी अपना भाषण कल ही दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अच्छा जी।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 5-30 म० प० दिनांक 24 मार्च, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 70 की सूची)

गुढ़ा गोकुलपुरा पर आवंटित राशि व खर्चा

वर्ष	आवंटित धनराशि	खर्च	
1966-67	रु० 7,700.00	रु० 7,700.00	अकाल राहत के अन्तर्गत
1967-68	रु० 33,335.00	रु० 33,335.00	,,
1968-69	रु० 20,665.00	रु० 20,665.00	,,
1969-70	रु० 42,144.00	रु० 42,144.00	,,
1970-71	रु० 1,00,000.00	रु० 46,393.00	योजना कार्य
		रु० 1,50,237.00	

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं० 69 की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जयपुर ।

परिशिष्ट 'क'

जयपुर नगर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या 1	नाम विद्यालय 2		स्थान 3
1.	राजकीय प्राथमिक	विद्यालय	सरस्वती कुण्ड
2.	,,	,,	जंगल जाडी
3.	,,	,,	गैर साईवाड
4.	,,	,,	सूरखडी
5.	,,	,,	नदी
6.	,,	,,	बालानन्द जी
7.	,,	,,	व्यापारियान
8	,,	,,	शीतल निवास
9	,,	,,	नाहरी का नाका
10	,,	,,	नुमाईश कैम्प
11	,,	,,	श्यामियान
12	,,	,,	वाटर वर्क्स
13.	,,	,,	झोटवाड़ा
14.	,,	,,	साहिबा लाईन्स
15.	,,	,,	स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स
16.	,,	,,	कान्ती चन्द्र रोड
17.	,,	,,	वडोदिया
18.	,,	,,	विनोबा बस्ती
19.	,,	,,	हाथी बाबू का बाग
20.	,,	,,	रेल्वे स्टेशन
21.	,,	,,	गणपति नगर
22.	,,	,,	हसनपुरा न्यू
23.	,,	,,	हसनपुरा ओल्ड
24.	,,	,,	सोडाला
25.	,,	,,	कवलरी लाईन्स
26.	,,	,,	सिविल लाईन्स
27.	,,	,,	बाईस गोदाम
28.	,,	,,	हथरोई
29.	,,	,,	रेजीडेन्सी रोड
30.	,,	,,	नादिर जी सिन्धी का मन्दिर
31.	,,	,,	बाईजी का मन्दिर
32.	,,	,,	देवड़ी जी का मन्दिर

Page No. 123

1	2	3
33.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	बिहारी जी रामगंज
34.	,, ,,	रंगरों की कोठी
35.	,, ,,	मठ का कुआ
36.	,, ,,	अनाज मण्डी
37.	,, ,,	अनाज मण्डी
38.	,, ,,	कली का कोठा
39.	,, ,,	हरिजन बस्ती घाटगेट
40.	,, ,,	मुरली मनोहर जी
41.	,, ,,	महावतान
42.	,, ,,	पहाड़ गंज
43.	,, ,,	मोती डूंगरी
44.	,, ,,	शेखावटियों का घेर
45.	,, ,,	बाजरे वाला की बगेची
46.	,, ,,	पातालेश्वर
47.	,, ,,	लडी बालों की बगीची
48.	,, ,,	पुराना घाट
49.	,, ,,	फतेह टीबा
50.	,, ,,	खानिया
51.	,, ,,	घाटी करोलान्
52.	,, ,,	जामडोली
53.	,, ,,	पालडी मीणा
54.	,, ,,	खां नागोरियान
55.	,, ,,	हरिजन बस्ती आदर्शनगर
56.	,, ,,	ब्रम्हपुरी नं० 1
57.	,, ,,	ब्रम्हपुरी नं० 2
58.	,, ,,	ब्रम्हपुरी नं० 3
59.	,, ,,	बृजराज बिहारी जी
60.	,, ,,	रतन बिहारी जी
61.	,, ,,	बान्दरी का नासिक
62.	,, ,,	गंगापोल
63.	,, ,,	पन्नीगरान्
64.	,, ,,	बदनपुरा
65.	,, ,,	बासखा की झोरी
66.	,, ,,	लक्ष्मण डूंगरी
67.	,, ,,	परशुरामद्वारा
68.	,, ,,	सीतारामपुरी
69.	,, ,,	हीदा की मोरी
70.	,, ,,	दवाब खाना
71.	,, ,,	मण्डी खटीकान
72.	,, ,,	जाली का महादेव
73.	,, ,,	मन्दिर गोपाल जी
74.	,, ,,	नाहरवाड़ा

1	2		3
75.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		मैहरान
76.	"	"	नीलगरान
77.	"	"	सिलावटान
78.	"	"	पन्नगरान
79.	"	"	मौलाना साहिब
80.	"	"	बिहारी जी गंगापोल
81.	"	"	छीपावाड़ा
82.	"	"	रामपुरा रूपा
83.	"	"	मानसिंह पुरा
84.	"	"	देवरी
85.	"	"	बाढ़देवरी
86.	"	"	झालाना डूंगर
87.	"	"	गोपालपुरी
88.	"	"	एयर पोर्ट
89.	"	"	गेटोर
90.	"	"	बजाज नगर
91.	"	"	गान्धी नगर
92.	"	"	बापू नगर
93.	"	"	लाल कोठी
94.	"	"	सी स्कीम
95.	"	"	चान्दपोल गेट
96.	"	"	तोपखाना देश
97.	"	"	चौकड़ी तोपखाना देश
98.	"	"	मन्दिर चावलान
99.	"	"	मन्दिर चावलान
100.	"	"	विनोदी लाल जी
101.	"	"	पुरन्दर जी की गली
102.	"	"	मोदी खाना न्यू
103.	"	"	साम्भरियान
104.	"	"	तेलीवाड़ा
105.	"	"	कामेश्वरनाथ जी

Sd/-
विद्यालय निरीक्षक,
शिक्षा विभाग,
जयपुर ।

परिशिष्ट 3

(अ० प्र० सं० 68 की सूची)

सूची 'अ'

गंगानगर जिला-कृषि उत्पादन समिति द्वारा सिफारिश किये गये गांवों की सूची

तारीख 30-4-70

क्र० सं०	गांव का नाम	टिप्पणी	क्रम सं०	गांव का नाम	टिप्पणी
1	2	3	1	2	3
1.	4 एच एच (गढ़िया वाली)		23.	2 बी	
2.	1 जी छोटी		24.	4 ए	
3.	13 एल. एन. पी		25.	2 ए	
4.	6 एच बड़ा		26.	1 ए (खेरवा)	
5.	7 एच बड़ा		27.	1 एफ	
6.	1 जी बड़ी		28.	2 एच	
7.	500 एल एम पी		29.	3 एच	
8.	2 इ		30.	4 एच	
9.	2 ई		31.	2 जी (रोहिड़ावाली)	
10.	2 डी		32.	1 पी	
11.	1 डी		33.	3 पी	
12.	3 डी फस्र्ट		34.	1 एच बड़ा	
13.	4 डी		35.	3 एफ बड़ा	
14.	5 डी (दुलापुर केरी)		36.	4 एफ	
15.	4 सी (अ डिकी)		37.	5 एफ	
16.	1 सी		38.	6 एफ	
17.	2 सी		39.	7 एफ	
18.	4 सी		40.	8 एफ	
19.	3 बी		41.	9 एफ	
20.	7 बी		42.	10 एफ	
21.	5 बी		43.	2 के	
22.	1 बी		44.	11 वाई	
			45.	10 वाई	

1	2	3
46.	9 वाई	
47.	3 जे	
48.	2 जे	
49.	17 जी जी	
50.	18 जी जी	
51.	19 जी जी	
52.	20 जी जी	
53.	21 जी जी	
54.	22 जी जी	
55.	23 जी जी	
56.	1 एल एल	
57.	30 जी जी (चूनावड)	
58.	34 जी जी	
59.	पट्टी खिवान	स्वीकृत कर दिया है
60.	18 एम एल	विद्युतीकरण हो चुका है
61.	20 एम एल बी	
62.	21 एम एल	
63.	22 एम एल	
64.	5 एच	स्वीकृत कर दिया है
65.	8 क्यू	"
66.	12 क्यू	"
67.	क्यू सियागावाला	
68.	10 एच बड़ा	
69.	लादू वाला	स्वीकृत कर दिया है
70.	18 एल एन पी	"
71.	डूंगरसिंहपुरा	"
72.	गनेशगढ़	
73.	16 एल एन पी	
74.	17 एल एन पी	
75.	चक गणेशगढ़	स्वीकृत कर दिया है
76.	4 सी	
77.	7 जी	
78.	8 जी	
79.	9 जी	
80.	10 जी	
81.	11 जी	
82.	24 जी जी	
83.	25 जी जी	
84.	26 जी जी	
85.	27 जी जी	
86.	30 जी जी (चूनावड)	
87.	21 एम एल	
88.	9 एल एन पी	
89.	12 एल एन पी	
90.	11 एल एन पी	
91.	6 एल एन पी	
92.	4 एम एल	
93.	11 जेड	
94.	15 जेड	
95.	12 जेड	
96.	9 जेड	
97.	15 एफ (मोलीराठान)	
98.	3 एम (साहबसिंहवाला)	
99.	3 जेड	
100.	4 सी छोटी	
101.	5 ई छोटी	
102.	3 एफ	
103.	3 वाई	

दिनांक 24-9-70

पंचायत समिति, श्रीगंगानगर क्षेत्र

1. गंग कैनाल मेन फीडर खेरवा से डावलाऊ तक

1	2	3	1	2	3
2.	शिवपुर हैड से बाईफरकेशन हैड होती हुई एच माइनर के साथ 2 क्यू हैड तक			**पंचायत समिति, पदमपुर क्षेत्र**	
3.	क्यू हैड से एच माइनर के टेल तक		1.	पदमपुर से रजवाला जो गंगानगर पदमपुर 33 के० वी० लाइन पर है	
4.	बाईफरकेशन हैड से एफ माइनर के साथ साथ मिर्जे वाला तक		2.	रेडमल सर से विद्यायला तक	
5.	नेतावाला हैड व डिफेन्स रोड से जी जी माइनर के साथ चूनावढ़ तक			**दिनांक 11-11-70**	
	पंचायत समिति, श्रीकरणपुर क्षेत्र		1.	मलकाना	
1.	एच माइनर के टेल से एच माइनर के टेल तक		2.	सरदारपुरा	
	पंचायत समिति, रायसिंहनगर क्षेत्र		3.	नन्द	
1.	डाबला हैड से पी एस के साथ 2 पी एस हैड तक		4.	गूरसर	
			5.	21 पी एस	स्वीकृत कर दिया है
			6.	14 पी एस	
			7.	ख्यादीवाला	
			8.	9 एल एन पी	
			9.	ढूलमाना	
			10.	जनाना	

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
10	अन्तिम से	1	गय	गये
11	शीर्षक		माच	मार्च
14	अन्तिम से	7	गिफट	गिफ्ट
16	„	1	परमि ों	परमिटों
26	„	15	ब्नने	बनने
29	„	7	समिराने	सामियाने
30	„	3	नारा णसिंहजी	नारायण सिंहजी
33	„	7	क म	काम
38'		11	स य	समय
39	अन्तिम से	7	अत्रमा	आता
43	शीर्षक		माच	मार्च
45	अन्तिम से	8	डिपार्टमे.ट	डिपार्टमेन्ट
60	„	10	।—	:—
71	„	5	कमा ा	कमाया
73	,	1	प लियामेन्ट	पार्लियामेन्ट
77	„	7	मको	हमको
87	„	8	Magistr te	Magistrate
88	„	1	आँथोरिटो	आँथोरिटी
93	„	1	तयार	तैयार
94	„	3	सदस ा	सदस्य
108	„	18	इसम	इसमें
109	„	16	प्र न	प्रश्न
116	„	13	व ल	कल
118	„	11	याचि ाा	याचिका
128		7	पने	आपने
129	अन्तिम से	4	हो े	होने

1	2		3	4
129	अन्तिम से	9	आ ुर्वेदिक	आयुर्वेदिक
131	,,	3	रजिरटर	रजिस्टर
132	,,	4,5	डॉक र	डॉक्टर
135	,,	3	व्यि। तयों	व्यक्तियों
135	,,	6	मह नूस	महसूस
139	,,	11	गं ा	गंगा
140	,,	1	हेत	हेतु
143	,,	12	सम ादित	सम्पादित
145	,,	16	कि ा जता	किया जाता
150	,,	2	सीमीत	सीमित
154	,,	7	उपा क्ष	उपाध्यक्ष
156	,,	13	करन	करने
157	,,	9	कि ा	किया
158	,,	2	ट्रेनि ा	ट्रेनिंग
164	,,	14	दांतार म ढ	दांता रामगढ़
167	,,	16	अच्छ	अच्छे
170	,,	6	विमाग	विभाग
170	,,	12	नुम इन्दे	नुमाइन्दे
173	,,	11	लचर	लिचड़
176	,,	17	हमन	हमने
190	,,	2	क ोड़	करोड़
190	,,	7	पंचाय ा	पंचायत
197	शीर्षक		माच	मार्च
197	अन्तिम से	1	ह	है
199	,,	7	च हिये	चाहिये
199	,,	15	समाधान	समाधान
202	,,	6	के	का
203	,,	13	बालबाला	बालाबाला
204	,,	3	यूनिसेफसे	यूनिसेफ से
204	,,	8	उ ा	उक्त
207	,,	14	नीलात	नीलाम
208	,,	2	मेंडाल	में डाल
209	,,	7	हमेंसा	हमेंशा

1	2	3	4
209	अन्तिम से 12	ैठने	बैठने
212	7	उ	3
213	अन्तिम से ·10	पर्दा फास	पर्दाफाश
217	„ 10	परसगम	परसराम
218	„ 2	?	।
221	„ 3	के	द्वारा
221	„ 9	ी	दी
223	„ 5	जन	जैन
223	„ 6	1970	1971
232	„ 7	पुर्नजीवन	पुनर्जीवन